

लोक-सभा वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha



(खण्ड १४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

पृष्ठ

तारांकित* प्रश्न संख्या ३८८ से ३९७	१६५३—७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४०८	१६७७—८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७३३ से ७६६	१६८५—१७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७०१
राज्य सभा से संदेश	१७०१
समुद्री बीमा विधेयक	१७०२
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा	१७०२—४६
श्री दे० जी० नायक	१७०२
श्री हनुमन्तैय्या	१७०३—०४
श्री भागवत झा आजाद	१७०४—०५
श्री दाजी	१७०५—०८
श्री खाडिलकर	१७०८—०९
श्रीमती सावित्री निगम	१७०९—१०
श्री जं० ब० सि० विष्ट	१७१०
श्री बड़े	१७१०—१४
श्री उइके	१७१४—१८
श्री अब्दुल वहीद	१७१८—२१
श्री राम सेवक यादव	१७२१—२५
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	१७२५—२९
श्री हिम्मतसिंहका	१७२९—३०
डा० मा० श्री अणे	१७३०—३१
श्री दी० चं० शर्मा	१७३१
श्री ब० प्र० सिंह	१७३१—३५
श्री राजाराम	१७३५—३६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १४ मार्च, १९६३
२३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

धूम्रपान में वृद्धि

+

†*३८८. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धूम्रपान में वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) लोगों में सिगरेट और बीड़ी पीने की आदत कम करने या खत्म करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) धूम्रपान करने वालों की संख्या और पी गई सिगरेटों की औसत संख्या जानने के लिये बार बार सर्वेक्षण किये बिना यह बताना संभव नहीं है कि क्या देश में धूम्रपान में वृद्धि हुई है। जहां तक जानकारी उपलब्ध है उसे एकत्रित किया जा रहा है और यथासमय उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यवाही के एक भाग के रूप में सरकार धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में आवश्यक प्रचार कर रही है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : समाचार है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि धूम्रपान जन स्वास्थ्य के लिए नशीले पेयों से भी अधिक घातक है। क्या वह स्थिति की व्याख्या करेंगी और इस वक्तव्य का आधार बतायेंगी तथा यह भी बतायेंगी कि विशेष रोगों पर धूम्रपान का क्या प्रभाव होता है ?

†मूल अंग्रेजी में

१६५३

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी में दिये गये मेरे भाषणों में से उस भाषण का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें मैंने टाल्सटॉय को उद्धृत किया था जो कहते हैं कि मनुष्यों की उच्च क्रांतिक मनःशक्तियों को निष्क्रम्य बनाने के दृष्टिकोण से धूम्रपान मदिरा से अधिक हानि पहुंचाता है। इसमें जन स्वास्थ्य का कोई उल्लेख नहीं था।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूँ कि टाल्सटॉय की विचारधारा स्वास्थ्य मंत्रालय की भी विचारधारा है ? यदि हां, तो धूम्रपान की रोकथाम के लिये प्रशासनिक और वैध रूप से कौन से ठोस कदम उठाये जाने वाले हैं ?

†डा० सुशीला नायर : चिर ब्रांकाइटिस और एम्फीसेमा तथा फेफड़ों के केन्सर की बढ़ती हुई गति से इसके सम्बन्ध को देखते हुये सरकारी लोगों के स्वास्थ्य पर धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों का जानती है। उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्री तैयार करता रहा है जिससे कि लोगों को धूम्रपान के कुप्रभावों के बारे में बताया जा सके तथा इच्छा रहने पर धूम्रपान बन्द करने के योग्य बनाया जा सके। यहां कुछ पुस्तिकायें और पत्र हैं। यदि माननीय सदस्य की रुचि हो तो यह उन्हें भिजवा कर मुझे खुशी होगी।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : शिक्षणात्मक पहलू बताया गया था। मेरा प्रश्न विशेषकर वैध और प्रशासी उपायों से संबंधित था।

†श्री हरि विष्णु कामत : मध-निषेध।

†डा० सुशीला नायर : प्रशासी उपाय तो यह किया गया है कि हमने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में यह स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री तैयार की है। हम इसे राज्य सरकारों को भेज देते हैं और उनसे इसे अपनी निजी भाषाओं में काफी आकर्षक बनाने और इस संदेश का प्रसार करने के लिये कहते हैं। दूसरी बात यह है कि बाल धूम्रपान को रोकने के लिए अनेक राज्यों ने विधान बनाया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमाओं और सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान को रोकने के लिए विधान पारित किया है।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या सरकार जानती है कि राज्यों में विधान के पारित होने के उपरान्त भी बाल धूम्रपान बढ़ रहा है और यह आदत स्कूलों और कालेजों में तेजी से फैल रही है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†डा० सुशीला नायर : क्या बच्चों को धूम्रपान से रोकने का काम सरकार का है या उनके माता पिता का ? यदि माता-पिता उनके सामने ऐसा उदाहरण रखें तो सरकार के लिये माता पिता के प्रभाव को मिटाना संभव नहीं है जिनके साथ कि बच्चे अपना अधिकतर समय व्यतीत करते हैं।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : मैं ने सरकार से पूछा था—माता-पिता के बारे में नहीं—कि इस सम्बन्ध में वह क्या कर रही है ?

†डा० सुशीला नायर : सरकार ने विधान बनाया है ; कुछ स्थानों पर इसे लागू कर दिया गया है और कुछ अन्य स्थानों में

†श्री नी० श्रीकान्तन नायर : एक औचित्य प्रश्न पर।

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर पूरा नहीं हुआ है। प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं है।

†डा० सुशीला नायर : कुछ अन्य स्थानों में यह इतनी अच्छी तरह से लागू नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि अकेले कानपुर शहर में २ लाख रुपये से ज्यादा के तम्बाकू का इस्तेमाल होता है, यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अकेले कानपुर शहर के बारे में कह रहे हैं।

†श्री नी० श्रीकान्तन नायर : एक प्रार्थना है। केवल धूम्रपान न करने वालों को ही अबसर न दिया जाना चाहिये। हम धूम्रपान करने वालों में से भी कुछ को प्रश्न पूछने का अबसर दिय जाए।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। जो धूम्रपान का समर्थन करना चाहते हैं वे अबसर ले सकते हैं।

†श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जो धूम्रपान नहीं करतीं और ऐसी स्त्री हैं जो तम्बाकू का धुआ नहीं लेती, उन लोगों की कठिनाई समझती हैं जो धूम्रपान करते हैं और इसे प्रचुर मात्रा में नहीं पा सकते ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बताना संभरण मंत्री का काम है।

†श्री दाजी : उनका अभिप्राय वित्त मंत्री से है और वह कह रहे हैं कि नये करों के कारण सिगरेटें महंगी हैं।

†श्री रा० शि० पाण्डेय : यह धूम्रपान की प्रथा प्रायः पुरुषों में ही ज्यादा पाई जाती है लेकिन अभी हाल में ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियाँ भी पीने लगी हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए क्या स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया कुछ उपाय करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : जो उपाय उन्होंने करने हैं वह स्त्रियों और मर्दों दोनों के लिये ही करने हैं, अकेले किसी एक के लिए तो करने नहीं हैं।

सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को कम करना

+

*३८६. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में २० प्रतिशत कर्मचारियों को कम करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई कमी कर दी गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में, पहले से निर्धारित किसी प्रतिशत के आधार पर, एक समान कमी करना सम्भव नहीं है। एक मितव्ययता समिति, जिसमें गृह सचिव, वित्त सचिव (व्यय) और आयोजना आयोग के अतिरिक्त सचिव हैं, इस समय इस बात का पता लगा रही है कि कितनी कमी की जा सकती है। जितनी कमी सम्भव होगी वह इस समिति की सिफारिशों मिलने के बाद ही की जायेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपातकालीन स्थिति को प्रारम्भ हुए कई महीने गुजर चुके हैं और अब तक यह समिति कोई विचार नहीं कर पाई है, तो क्या इस संबंध में अभी तक अन्तर्कालीन सुझाव भी इस समिति ने दिये हैं और स्टाफ को कम करने की दिशा में मंत्रालय ने क्या कदम उठाया है ?

श्री ब० रा० भगत : अन्तर्कालीन सुझाव का सवाल नहीं है और यह कहना भी सही नहीं है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान में स्टाफ में कुछ कमी नहीं हुई। इसी सन् १९६३-६४ का बजट जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अभी पेश किया है, उसमें पिछले साल जहां सरकारी कर्मचारियों पर ८० करोड़ रुपये का खर्च होता था, उसे कम करके १६ करोड़ कर दिया गया है। इस १६ करोड़ में से १४ करोड़ तो पुलिस के लिये है। हमारी उत्तरी सीमाओं पर जो पुलिसमैनों की संख्या बढ़ाई जा रही है उस के कारण पुलिस के लिये १४ करोड़ रखे हैं जब कि २ करोड़ भटान, सिक्किम के लिये रखे हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज में जो पहले खर्चा होता था इस साल वह बिल्कुल नहीं बढ़ा है। यह १६ करोड़ भी आपातकालीन स्थिति की वजह से ही रखे गये हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह खर्च में जो कमी हुई है यह भत्ते में कमी करने के कारण हुई है। मरा सवाल तो यह है कि जो भारत सरकार की सेवाएं हैं उन में बहुत से पदों पर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनकी कि आवश्यकता नहीं थी, ऐसे लोगों की छंटनी करने के लिये और आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है। इसका कोई उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिया जा रहा है।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह कमेटी कोई अब से नहीं बनी है। कमेटी शुरू से बनी है, जब से यह आपातकालीन स्थिति शुरू हुई कोई १७०० कर्मचारियों की लिस्ट बनी हुई है जोकि वर्तमान जगहों पर जरूरी नहीं है, उन को और जगहों पर काम में लगाया जाता है यह काम चालू है और आगे भी चलता रहेगा और जहां भी कोई कर्मचारी बेकार समझा जायगा उसे दूसरी जगह जहां आवश्यकता हो उसे काम पर लगाया जायगा। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा कि कोई कर्मचारी ऐसी जगह पर न रहे जहां वह बेकार हो।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या यह जानने के लिये कोई आकस्मिक निरीक्षण किया गया है कि विभिन्न कार्यालयों में कितनी कामहीन जनशक्ति है और कुछ अधिकारी दिन में केवल एक या दो घण्टे ही काम करते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बड़ा विचित्र प्रश्न है। ऐसे किसी आकस्मिक निरीक्षण से इस तरह की कोई बात पता नहीं चल सकती। यह बात तो सामान्य समझ-बूझ की है, मंत्रालय के

काम को देखने की है तथा यह देखने की कि प्रत्येक व्यक्ति कितना काम करता है। आकस्मिक निरीक्षण से कुछ प्रकट नहीं होगा। हो सकता है कि कोई कर्मचारी बैठा किसी बात के बारे में सोच रहा हो। यदि उससे पूछा जाये तो वह कह देगा कि वह समस्या पर सोच रहा है। आकस्मिक निरीक्षण से आप कैसे जान सकते हैं? परन्तु सदा इसकी जांच की जाती है और, जैसा कि मैं ने कहा, फालतू कर्मचारियों का पता लगाया जा रहा है तथा जो नया काम आरम्भ होता है उसमें लगा दिया जाता है। ऐसा ही किया जा रहा है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो उप-समिति बनाई गई है वह संगठन और पद्धति विभाग द्वारा दिये गए काम को दुहराने जा रही है अथवा वह कर्मचारियों की छंटनी के लिये कोई नया तरीका खोजेगी ?

†श्री ब० रा० भगत : यह समिति सभी मंत्रालयों में मितव्ययता के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने जा रही है। उन्होंने लगभग ग्यारह मंत्रालयों में काम पूरा कर भी लिया है। जिस विभाग की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है इसलिये काम की पुनरावृत्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : श्री चेट्टियार।

†श्री दी० चं० शर्मा : वह काम का विश्लेषण करते हैं

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री चेट्टियार को बुलाया है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह समिति विशेष पुनर्गठन एकक के अतिरिक्त है जो पहले ही इस विषय में जांच कर रहा है ?

†श्री मोरारजी देसाई : विशेष पुनर्गठन एकक सदा विभिन्न मंत्रालयों का पुनरीक्षण करता है। वह किसी विशेष मंत्रालय को ले लेता है, वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार उसकी जांच करता है और देखता है कि क्या तरीकों में परिवर्तन किये जाने की अपेक्षा है और फिर संबंधित लोगों के साथ चर्चा करने के बाद विधियां बताता है। ऐसा होने पर स्थायी कमी हो जाती है। आपात स्थिति के प्रयोजनों के लिये यह समिति चारों ओर तेजी से यह देख रही है कि संकट-काल की अवधि तक के लिये भी क्या न्यूनतम कमी की जा सकती है ताकि अधिक से अधिक मितव्ययता की जा सके। दोहरा काम कोई नहीं होता। वे मिल कर काम करते हैं। पद्धति विभाग भी इस समिति की सहायता कर रहा है। यह कोई अतिरिक्त समिति नहीं है तथा कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाता।

†श्री विश्राम प्रसाद : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि छंटनी संभव नहीं है? एक समान श्रेणियों के पदों के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मंहगाई तथा अन्य भत्तों में बड़ा अन्तर है। क्या आपात स्थिति और राष्ट्रीय मितव्ययता को देखते हुए सरकार एकरूपी स्तर बनायेगी ?

†श्री मोरारजी देसाई : राज्य की सेवाओं तथा यहां की सेवाओं में एकरूपता नहीं हो सकती।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि आर्कैओलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया से ३१ मार्च को कुछ गवर्नमेंट सर्वेड्स निकाले जा रहे हैं और उन को नोटिस दे दिये गये हैं, लेकिन अभी उन को किसी

दूसरी जगह पोस्ट्स नहीं दी जा रही हैं? क्या शासन ने इस तरफ ध्यान दिया है कि वहां पर इमर्जेंसी की वजह से तीस पैंतीस क्लार्कस एकदम से निकाले जायेंगे?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा इसी सिलसिले में हुआ होगा। लेकिन इस के माने ये नहीं हैं कि वे घर बिठाये जायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सच है कि वित्त मंत्री महोदय पांच सैक्रेटरीज के बजाये दो सैक्रेटरीज से काम चलाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अन्य मिनिस्ट्रीज में इस नीति के अनुसार कहां तक काम किया जा रहा है?

श्री मोरारजी देसाई : सब मिनिस्ट्रीज इसी तरीके से काम करती हैं, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ।

कीटाणुनाशक पदार्थ

+

†*३६०. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बिशनचंद्र सेठ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री कीटाणुनाशक पदार्थों के संबंध में २२ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार इस संबंध में संभवतः कब विधान प्रस्तुत करेगी ; और
(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). विधेयक का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अन्य मंत्रालयों से परामर्श के साथ यह परीक्षाधीन है। विधेयक में कई वैध और प्रविधिक पहलू हैं जिनकी कि ध्यानपूर्वक जांच की जानी है। इस वर्ष की दूसरी छमाही में विधेयक के प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने पिछली सत्र में उठाई गई बात की जांच कर ली है अर्थात् मदिरा का अधिक शौक रखने वाले इन कीटाणुनाशक पदार्थों का नशीले पेयों के रूप में प्रयोग करते हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मदिरा उन्मत्त लोगों द्वारा कीटाणुनाशक पदार्थों के प्रयोग की बात हम नहीं जानते। वे तो शायद विषैले होते हैं और यदि कोई इनका नशा करता है तो इस संसार से विदा हो जायेगा।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों के साथ कीटाणुनाशक पदार्थों के मिला दिये जाने के कारणों की जांच की है और यदि हां तो क्या पता लगा है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तो बिल्कुल अलग बात है।

†डा० द० स० राजू : माननीय सदस्य शायद पिछले वर्ष बंगाल और आसाम में कीटाणुनाशक पदार्थों से खाद्य पदार्थों के विषैले होने की ओर संकेत कर रहे हैं। दो स्वतंत्र समितियों ने उस प्रश्न की जांच की थी और पता लगाया कि स्टोर में पड़े पड़े तथा लेजाते समय मिलावट हो गई थी।

†मूल अंग्रेजी में

†डा० क० ल० राव : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार गुणदोष तथा कीटाणुनाशक पदार्थों के स्तर और टाक्सिन रेजीड्यूज की इतनी मात्रा जितनी का मनुष्य और पशु बिना किसी खतरे के उपभोग कर सकें निर्धारित करने के लिये एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीटाणुनाशक पदार्थों के विषय में विधान के बारे में था। श्री श्यामलाल सराफ ।

†श्री श्यामलाल सराफ : यह देखते हुए कि सरकार इस विषय पर एक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करने का विचार रखती है, जैसा कि अभी कहा गया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि देश भर के सभी राज्यों में खाद्य पदार्थों और ऐसे अन्य पदार्थों को दूषित होने से बचाये रखने के लिये इस समय क्या उपाय किए गए हैं ?

†डा० सुशीला नायर : जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है, केरल में १९५८ में कालीडाल द्वारा खाद्य पदार्थों को दूषित होने की पहली घटना के बाद एक जांच आयोग बनाया गया था और उस जांच आयोग की उपपत्तियों के परिणामस्वरूप कुछ ऐसे लघुकालिक पूर्वविधान थे, जिनकी उन्होंने सिफारिश की थी, जो कि राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं और उनमें से अधिकतर ने उन्हें लागू कर दिया है। दीर्घकालीन सिफारिशों का संबंध इन कीटाणुनाशक पदार्थों के उत्पादन को नियंत्रित करने, स्टोरों में रखने, वितरण तथा यातायात आदि के लिये इस विस्तृत विधान से है और वह विधान, जैसा कि कहा गया है, परीक्षाधीन है।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़ें

+

†*३६१. { श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
 { श्री नि० रं० मास्कर :

क्या सिंचाई और बिद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने, डिब्रूगढ़ नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्र को प्रति-वर्ष बाढ़ों के प्रकोप से बचाने के लिये ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को बदलने की बहुत बड़ी और भारी लागत वाली योजना आरम्भ की है और केन्द्रीय सरकार से इस परियोजना के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये राज्य सरकार को सहायता देने का निर्णय किया है ?

†सिंचाई और बिद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) : (क) ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को बदलने की कोई योजना नहीं है परन्तु डिब्रूगढ़ नगर को बचाने के लिये बाढ़ से बचाव के उपाय किये गये थे जैसे कि पत्थर और लकड़ी के स्परों का निर्माण, पलस्तर लगाना आदि। १९६२ की बाढ़ों के प्रभावों का परीक्षण करने के पश्चात् विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय दल ने अग्रेतर मरम्मत करने की सिफारिश की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या यह सच है कि पहली योजना की अवधि में डिब्रूगढ़ नगर को बचाने के लिये केन्द्रीय सहायता से २ करोड़ रुपये की लागत पर कुछ विशेष बन्ध आदि बनाये गये थे और वे सभी बाढ़ में आने वाली बाढ़ों में या तो पूरी तरह से बह गये हैं या उन्हें इतनी क्षति पहुंची है कि मरम्मत नहीं हो सकती ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : पहली योजना अवधि में बाढ़ से बचाव करने के कामों पर २४५ लाख रुपये खर्च किये गये थे। इसमें से आधी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में और आधी ऋण के रूप में दी गई थी। यह कहना ठीक नहीं है कि वह सारा निर्माण कार्य बह गया है। उसने वास्तव में अपना प्रयोजन पूरा किया है और नगर को बचाया है।

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले दस वर्षों में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ों से कुल कितनी क्षति हुई है तथा उस अवधि में उस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया है ?

†श्री अलगेशन : मैं क्षति का अनुमान तो नहीं बता सकता। इस समय आंकड़े मेरे पास नहीं हैं परन्तु जैसा कि मैंने कहा, दूसरी योजना अवधि में २४५ लाख रुपये खर्च किये गये थे और अब आसाम सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ही इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार लगातार इसकी जांच करती रही है और बहुत सहानुभूतिपूर्ण रही है। चालू वर्ष के लिये १०२ लाख रुपये तथा अगले वर्ष के लिये १५० लाख रुपये तक की राशि दी गई है।

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि बार बार आने वाली बाढ़ों के विरुद्ध तथा नौपरिवहन को सुगम बनाने के उपाय के रूप में बाढ़ों पर उच्च-शक्ति प्राप्त आयोग ने ब्रह्मपुत्र नदी के तलकर्षण की सिफारिश की थी और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाये हैं या उठाने का विचार कर रही है ?

†श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि जिस समिति की ओर माननीय सदस्य संकेत कर रहे हैं उसने कोई ऐसी सिफारिश की हो।

†श्री हेम बरुआ : उसने की है। मैंने उसे पढ़ा है।

†श्री अलगेशन : परन्तु हमें आसाम सरकार से अभ्यावेदन मिले हैं कि बाढ़ की रोकथाम के उपाय के रूप में तलकर्षण की रीति को आजमाया जाना चाहिये। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इसकी जांच की थी और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी के तलकर्षण की लागत बहुत ही अधिक बैठती है। कलकत्ता आदि जैसे पत्तनों के तलकर्षण से हम अभ्यस्त हैं परन्तु सैकड़ों मील तक सारी नदी के तलकर्षण की लागत हमें बहुत अधिक पड़ेगी तथा ऐसी चीज को करने की सीमा है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : यह देखते हुये कि कुछ समय से बाढ़ों से तबाही होना आसाम में प्रतिवर्ष की बात हो गई है तथा सफल नियंत्रण राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर जोर डाला है कि ब्रह्मपुत्र तथा उसकी ४२ सहायक नदियों को वृहद योजना में ले लिया जाए और केन्द्रीय सरकार की ओर से इस मामले पर विचार किया जाए।

†श्री अलगेशन : आसाम सरकार ने विधि अभ्यावेदन भेजे हैं। वह जोर देती है कि एक वृहद योजना तैयार की जाये। हाल ही में उसने लगभग ६४८ लाख रुपये की लागत पर विभिन्न कामों का कार्यक्रम तैयार किया है और आसाम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक बड़ी सीमा तक, यद्यपि पूरी सीमा तक नहीं, विशेष निधियां दे दी गई हैं और वे प्रस्ताव के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं।

†श्री श्यामलाल सराफ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ब्रह्मपुत्र घाटी के लिये बाढ़ की रोकथाम तथा उसके लिये किये जाने वाले कामों की एक समन्वित योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं ?

†श्री अलगेशन : यह तैयार हो रही है। राज्य के इंजीनियर और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग दोनों ही इस पर काम कर रहे हैं और एक समन्वित योजना बना रहे हैं। इसके बहुत से भागों पर काम भी हो रहा है।

†श्री रा० बरुआ : हाल ही में आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री, श्री ति० त० कृष्णमाचारी आसाम गये थे और मुख्य मंत्री से मिले थे। क्या वह जानते थे कि ब्रह्मपुत्र में अनवरत बाढ़ों के कारण बाढ़ नियंत्रण की आसाम की आवश्यकताओं को पूरा करना आसाम राज्यकोष के लिये अब संभव नहीं रहा ? क्या उन्होंने आसाम में बाढ़ की स्थिति तथा ब्रह्मपुत्र के लिये बहुप्रयोजनीय योजना के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†श्री अलगेशन : आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री आसाम गये थे और उन्होंने प्रतिवेदन दिया है जिसमें बाढ़ नियंत्रण का भी उल्लेख है। उसके अतिरिक्त, हम इन कामों को भी कर रहे हैं।

†श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात को देखा है कि कुछ वर्ष पीछे भूकम्पों के पश्चात् ब्रह्मपुत्र का तल लगभग १० फुट ऊपर उठ गया है और यदि हां, तो किस प्रकार इस विशालकाय समस्या को सुलझाया जायेगा ?

†श्री अलगेशन : भूकम्प का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था और उसने ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव को बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप यह सभी काम किये जा रहे हैं।

†श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा कि तलकर्षण की लागत बहुत अधिक होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस राशि और बाढ़ की रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करने और ऐसे सभी कामों पर अब तक खर्च किये गये धन में बहुत बड़ा अन्तर है ? यदि हां तो अन्तर क्या है ?

†श्री अलगेशन : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा था कि नदी के तलकर्षण पर बड़ी भारी लागत आयेगी। वह जानना चाहते हैं कि क्या अन्य उपायों पर अब तक खर्च की गई राशि उतनी ही है।

†श्री अलगेशन : तुलना कोई नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

†डा० क० ल० राव : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ब्रह्मपुत्र को डिब्रूगढ़ में निर्माण कार्य पर से बह जाने से रोकने के लिये सतर्क उपाय करने के हेतु सरकार ने किसी योजना की छानबीन की है ?

†श्री अलगेशन : जो निर्माण कार्य अब वर्तमान हैं वे अपना प्रयोजन पूरा कर रहे हैं। उन्हें और सुदृढ़ करने के लिये कुछ सुझाव दिए गए हैं। नदी की कटाव से रोकथाम करने के लिये नदी के बहाव के साथ किये जाने वाले काम पर भी विचार हो रहा है।

†श्री हेम बरुआ : बाढ़ें इतनी विनाशकारी इसलिये हैं क्योंकि यह ब्रह्म पुत्र है, पुत्री नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : पुत्र हो या पुत्री, यह बदलेगा नहीं।

†श्री हेम बरुआ : पुत्र पुत्री से अधिक पुरुषार्थी होता है।

भांडागार रसीदों की जमानत पर बैंकों द्वारा ऋण

+

†*३६२. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
 { श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने आदेश जारी करके धान और चावल की भांडागार रसीदों की जमानत पर बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) क्या सहकारी विपणन एवं साधन (प्रोसेसिंग) समितियों को ऋण नियंत्रण के क्षेत्र से मुक्त रखा गया है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) धान तथा चावल की भाण्डागार रसीदों की जमानत पर दिये जाने वाले ऋणों पर रिजर्व बैंक के २३ जनवरी, १९६३ के निदेश लागू होते हैं।

(ख) हां।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने कुछ विशेष शर्तें लगाई हैं और यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : भाण्डागारों के बारे में यह शर्त है। आरम्भ में उन पर कोई सीमा या अन्य कोई बात लागू हीं होती थी। अब उन्होंने कहा है कि भाण्डागार रसीदों पर लिये गये ऋणों के मामले में २५ प्रतिशत सीमा होगी। ऋण की भी सीमा है। उड़ीसा में, जो कि चावल उगाने वाला राज्य है, ऋण की सीमा १९६२ में दो महीने तथा प्रति शाखावार या कार्यालय वार १.२ लाख रु० की है।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या कोई निश्चय किया गया था कि जो राशि सहकारी समितियों द्वारा दी जाती है पर उस दर से ब्याज लिया जाना चाहिये जिस पर कि बाजार में ऋण मिलता है; और यदि हां, तो उन्हें प्रतिकर देने के लिये क्या उपबन्ध किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : सहकारी समितियों तथा शोधन और विपणन संस्थाओं पर यह ऋण नियन्त्रण लागू नहीं होता ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि गेहूं, चना और अन्य खाद्यान्नों सम्बन्धी ऋणों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है; यदि हां, तो ये प्रतिबन्ध केवल धान तथा चावल पर लगाने के क्या कारण हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : मई, १९६१ से गेहूं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । चावल अभी अभाव वस्तु बना हुआ है, क्योंकि हम पी० एल० ४८० के अन्तर्गत या अन्य आयात से गेहूं की उपलब्धि बढ़ा सकते हैं, जब कि चावल इतनी सरलता से नहीं मिलता है और देश में चावल की कहीं अधिक मांग है । अतः चावल पर नियन्त्रण होना बहुत ही आवश्यक समझा जाता है ।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या अभी बताये गये कारण रिजर्व बैंक के लिए पिछली जनवरी में आदेश निकाल कर अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा चावल और धान पर कुछ शर्त लगाई है, और क्या किसी ने इस बात की जांच की है कि क्या यह जनवरी से सन्तोषजनक रूप में काम कर रही है ?

†श्री ब० रा० भगत : हां, यह संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और इस का मुख्य कारण यह है कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण ढीला है । जब चावल की उपलब्धि अधिक होगी या बाजार-स्थितियां सरल होंगी, तो मूल्य कम होंगे और तब ऋण ढीला किया जा सकता है, जब कि मूल्यों के बढ़ने पर जैसा कि जनवरी में हुआ था और उपलब्धि की स्थिति कठिन होने पर क्योंकि सभा को विदित है कि इस वर्ष भी चावल के उत्पादन की स्थिति लगभग पिछले वर्ष जैसी ही है और मांग अधिक होने पर ऋण सुविधा कड़ी की जा सकती है । अतः यह योजना बहुत ही सफल रही है :

आवास बोर्ड

+

†*३६३. { श्री श्याम लाल सराफ :
श्री शिव चरण गुप्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) किन राज्यों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित आवास बोर्ड बनाये गये हैं;
- (ख) क्या केन्द्रीय आवास बोर्ड बनाया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो इस बोर्ड के क्या कार्य तथा अधिकार हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री श्याम लाल सराफ : क्या उन राज्यों में इन बोर्डों के कार्य की प्रगति की सूचना सरकार को दी जाती है जहां वे अभी तक बनाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : ये बोर्ड राज्य सरकारों ने बनाये हैं और उन राज्यों में इन का मुख्य कार्य आवास योजनायें बनाना तथा उन्हें लागू करना है। मैं स्वयं वहां गया हूं और मैं ने कुछ राज्यों की यात्रा की है। मैं ने देखा है कि उन्होंने अच्छा काम किया है।

†श्री श्याम लाल सराफ : इस बात को ध्यान में रख कर कि ये बोर्ड देख भाल करने वाले हैं और इन का काम संबंधित राज्यों में आवास योजना को लागू करना है, इन राज्यों से सरकार कैसा सम्पर्क रखती है और क्या केन्द्र विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं की पूर्ति का निदेश देता है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : हम केवल राज्य सरकारों के साथ कार्यवाही करते हैं, बोर्डों के साथ नहीं। बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन बनाये जाते हैं।

†श्री महेश्वर नायक : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में दी गई राशि बोर्ड प्रबन्ध-व्यय के रूप में लेते हैं ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं इस प्रश्न का उत्तर एकदम नहीं दे सकता। परन्तु अधिकतर यह नहीं होता।

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, जिन राज्यों में अभी तक हाउसिंग बोर्ड नहीं बने हैं, उन्होंने क्या ऐसा करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया है या इस बारे में वे विचार कर रहे हैं और कब तक उन में इस तरह के हाउसिंग बोर्ड बन जायेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक हाउसिंग बोर्डज् का ताल्लुक है, असली मंशा यह है था कि ये बनेंगे और बाजार से रुपया लायेंगे ताकि जो हमारा हाउसिंग प्रोग्राम है वह कुछ बढ़े। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं और नजर कुछ ऐसा आता है कि जहां मुझे बतौर सरकार एल० आई० सी० से और दूसरी बाडीज से रुपया लेने में दिक्कत हो रही है, शायद हाउसिंग बोर्ड उस हद तक कामयाब नहीं, जिस हद तक उन से उम्मीद की जाती थी कि वे कामयाब होंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मेरा प्रश्न यह था कि जिन राज्यों में ये बोर्ड अभी तक नहीं बन हैं क्या उन्होंने बिल्कुल इन्कार कर दिया है या अभी विचार कर रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : उन में कोई खास चिन्ता नजर नहीं आती है।

†श्री बी० चं० शर्मा : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों ने राज्य भाण्डागार बोर्डों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : अनुदान या सहायता की कोई एक दर नहीं है। यह प्रति योजना के लिये भिन्न है और आवास योजनायें भी अनेक हैं।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : माननीय मंत्री ने पहिले अपने उत्तर में कहा था कि बोर्ड सन्तोष-जनक कार्य कर रहे हैं। दूसरे उत्तर में कहा कि वे वह उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं जिस के लिये बनाये गये थे। इन में कौन सा उत्तर ठीक है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने योजना बनाने तथा योजना लागू करने और भारत में बन उपलब्ध करने में भेद किया है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पु० र० पटेल : क्या देश के किसी गांव में आवास बोर्ड ने कोई काम किया है ?

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : भारत में कहीं भी नहीं ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने सभा में अभी बताया है कि मैं राज्य सरकारों के साथ कार्यवाही करता हूं, आवास बोर्डों के साथ नहीं । ग्राम आवास की योजनायें पृथक हैं और उन्होंने भी अच्छी प्रगति की है ।

केन्द्रीय मंत्रियों को निःशुल्क पानी तथा बिजली

+

†*३६४. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री त्यागी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रियों के बिना किराये के मकानों में दिये जाने वाले पानी तथा बिजली का खर्चा २५० रुपये प्रति मास तक सीमित करने की योजना छोड़ दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना को छोड़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) आजकल औसतन एक मंत्री के घर में एक माह में कितनी बिजली तथा पानी खर्च होता है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). केन्द्रीय मंत्रियों के मकानों में निःशुल्क बिजली व पानी का संभरण सीमित करने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया था क्योंकि सरकार को बताया गया था कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी सीमायें वैध रूप से नहीं लगाई जा सकतीं ।

(ग) जल तथा विद्युत् का औसत मासिक व्यय दर्शाने वाला विवरण/पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--६६१/६३] ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : यह कार्य किन परिस्थितियों में आरम्भ किया गया था और क्या इन परिस्थितियों में अधिनियम का संशोधन अभीष्ट समझा जाता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने अपने सहयोगियों से निवेदन किया था कि हमें यथासंभव व्यय कम करने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं ने यह पत्र दो या तीन मास पहिले लिखा था। उस के बाद, इस पर बहुत ही उत्साहप्रद कार्यवाही हुई है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि जो मंत्री महोदय प्रेजीडेंट एस्टेट में रहते हैं उन के पानी और बिजली का किराया इस में शामिल है या नहीं। उत्तर में यह भी नहीं बतलाया गया है कि जो बिजली के खर्च का स्टेटमेंट है उस में रिफ्रेजरेटरों/एअर कंडीशनिंग सिक्योरिटी लाइटिंग, आफिस की बिजली और दूसरे किस्म के जो खर्चे हैं वे इस में शामिल हैं या नहीं। अगर वे शामिल नहीं हैं, तो वे खर्च क्या हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक प्रेजीडेंट एस्टेट का ताल्लुक है, वह तो एक अलाहदा चीज है और मेरे जनरल पुल में उस का सवाल नहीं आता। लेकिन राष्ट्रपति ने मुझे हिदायत दी है कि मैं उन के तमाम मामले को देखूँ और उन को राय दूँ कि वहां कैसे हालात होने चाहिये, कुछ सीलिंग होनी चाहिये या नहीं। वह तो मैं देखूंगा। जहां तक मिनिस्ट्रों के बिलों का ताल्लुक है, उस में एअर कंडीशनर भी शामिल है, रिफ्रेजरेटर शामिल हैं, सिक्योरिटी लाइट्स भी शामिल हैं, पेरीमीटर लाइट्स भी शामिल हैं, सब चीजें हैं। सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स शामिल हैं, मिनिस्ट्रों के धरों पर जो दफ्तर होते हैं वे भी शामिल हैं जो, सिक्योरिटी वाले आदमी होते हैं वे भी शामिल हैं। जनावर, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हम ने अपने ऊपर एक वालेन्टरी कट लगाया है, हम ने एक सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन अपने ऊपर किया है। मैं चाहता हूँ कि इसे एंप्रिगिएट किया जाय कि हम इसे कम कर रहे हैं।

†श्रीमती सावित्री निगम : विरण से पता लगता है कि कुछ मामलों में पानी का बिल काफी कम है परन्तु अन्य कुछ मामलों में बहुत है। इस का क्या कारण है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ क्योंकि उत्तर केवल संबंधित माननीय मंत्री ही दे सकते हैं। मैं तो केवल कह सकता हूँ कि मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता अधिनियम संसद् ने पारित किया था। अधिनियम के अन्तर्गत, मंत्री को सज्जित मकान बिजली तथा पानी निःशुल्क मिलने चाहिये। अब हम स्वयं कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इसे यथासंभव कम कर सकें।

†श्री दाजी : सीमा क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री सामन्त।

†श्री स० चं० सामन्त : जिन मंत्रियों के मकानों में बिजली खर्च हुई है क्या उन के कुछ उत्तर प्राप्त हो गये हैं ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : उत्तर देने की कोई बात नहीं है। यह तो मकान के आकार, सुरक्षा कर्म-चारियों नौकरों के क्वार्टरों की संख्या, आदि पर निर्भर है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु मैं सभा से यह कहना तथा बताना चाहता था कि माननीय मंत्री मुझे सहयोग दे रहे हैं और व्यय कम हो रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि गृह मंत्री जी ने यह एलान किया है कि चूँकि उन के हाउस का पानी और बिजली का बिल बढ़ गया है इसलिये छः महीने तक वे उसे अपने पास से देंगे, और अगर यह सही है तो इस तरह का आदर्श और किन-किन मंत्रियों ने दिखलाया है ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह बयान मैंने अखबारों में पढ़ा। मैं कल गृह मंत्री जी से मिला भी हूँ, और उन्होंने यह चीज कही है। वह करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि जो खर्चा उन के ख्याल के मुताबिक ज्यादा हुआ है उसे वे अपनी जेब से देंगे। यह एक बड़ी नोबल मिसाल है और मैं समझता हूँ कि मेरे दूसरे क्लिगज उस को फालो करेंगे और उस पर अमल करेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूँ कि पिछले दिनों समाचारपत्रों में जो आंकड़े प्रकाशित हुए थे कि किस मिनिस्टर की कोठी पर कितना पानी और बिजली का खर्च आया है उन को देखने के बाद बिजली के मीटरों को पढ़ने वालों को इस प्रकार के कुछ निर्देश दिये गये हैं कि वे यह जाने कि कहीं मीटर की खराबी की वजह से तो यह रूप्यों की तादाद ज्यादा नहीं हो गई है, और इस प्रकार से उन के ऊपर अनुचित दबाव डाल कर इस खर्च के जो बिल हैं उन्हें कम कराने की कोशिश की जा रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है उस का जो अमल है वह आम लोगों के सामने है। हम ने कभी छिपाने की कोशिश नहीं की, पहली बात तो मैं आप की खिदमत में यह कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मीटर गलत हैं तो एन० डी० एम० सी० के हैं और दुस्त हैं तो एन० डी० एम० सी० के हैं। हम तो बतौर सरकार एन० डी० एम० सी० को पानी और बिजली का किराया देते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न दूसरा था।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ऐतराज करता हूँ। आनरेबल मेम्बर ने हिन्दी में यह कहा, बल्कि उन्होंने यह इम्प्लाई किया, कि शायद नाजायज तौर पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर मीटरों में यह चीज आई है तो उसे कम किया जाये। यह आप ने कहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैंने यह पूछा है कि आप की ओर से इन मीटरों के पढ़ने वालों को कोई इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स तो नहीं दिये गये हैं कि वे यह जानने का यत्न करें कि कहीं गलत मीटर की वजह से तो पैसे ज्यादा नहीं लगाये गये हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं ने अर्ज किया है कि मीटर एन० डी० एम० सी० के होते हैं, गवर्नमेंट के नहीं होते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है मीटर वह लगाते हैं। हम किराया देते हैं। जो बिजली और पानी सर्फ होती है माहवार, उस का बिल आता है। यह पता लगे . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो कोई हिदायत नहीं दी है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : नहीं, हम ने कोई हिदायत नहीं दी है।

श्री रामसेवक यादव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो मंत्रियों के मकान हैं उन का मासिक किराया क्या आंका गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल बिजली पानी का है, मकान के किराये का नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : हमें सुन लेने दीजिये, त्यागी, तपस्वी मंत्रियों की बात भी हो जाने दिया कीजिये, एक आध मिनट ज्यादा दे दिया कीजिये।

श्री मेहर चन्द खन्ना : स्वामी जी का त्याग तो नजर आ गया है, स्वामी जी होने के बाद अब सियासत में आ गये हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं अपने वेतन का एक हिस्सा दे रहा हूँ। आओ मंदान में, आओ मेरे मुकाबले में, अपना सर्वस्व देता हूँ आओ मेरा मुकाबला करो। मैं ४०० रु० छोड़ना हूँ तुम छोड़ो अपना वेतन, करो एलान।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कहने की जरूरत नहीं है किसी को।

श्री रामेश्वरानन्द : उन्होंने कितना बड़ा हमला किया, आप ने उन को कुछ नहीं कहा। मैं ने कुछ नहीं कहा। वह चाहें तो मेरा मुकाबला करें, वह क्या अपना वेतन छोड़ने के लिये तैयार हैं।

श्री कछवाय : मंत्री महोदय को इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिये थे।

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। क्या वह अपना पद ग्रहण करने की कृपा करेंगे। मैं भी कह रहा हूँ। मैं दोनों पार्टियों से कह रहा हूँ।

श्री कछवाय : वे अपने शब्द वापस लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं निवेदन तो कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि दोनों का यह नहीं कहना चाहिये था।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने तो कुछ कहा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने त्याग की बात कही तो उन्होंने कही। मैं दोनों को कह रहा हूँ।

श्री रामेश्वरानन्द : जब उन्होंने हम पर हमला किया तो मैं ने कहा। मैं कहता हूँ कि मैं १०० रुपये देता हूँ, चौथाई देता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि मैं ४०० रु० देता हूँ, तुम भी सारा दे दो।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : प्रत्येक को फिरकेबाजी करने का अधिकार है और मैं वह फिरका कहने के लिए मंत्री महोदय को दोष नहीं देता। परन्तु फिर माननीय मंत्री स्वामी जी ने जो त्याग किया है उस की अपने त्याग से तुलना करना चाहते थे। क्या ऐसा करना उनके लिये उचित है? स्वामी रामेश्वरानन्द किसी रूप में सरकार से कोई सुविधा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपने लिए मकान तक नहीं लिया है। उन्होंने अपने लिए टेलीफोन तक नहीं लिया है। शायद माननीय मंत्री यह बात नहीं जानते कि स्वामी एक साधू का जीवन व्यतीत करते हैं। उनके विरुद्ध उन्हें वे आरोप नहीं लगाने चाहिये थे। उन्हें वे शब्द वापस ले लेने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। इस बात में किसी एक्साइटमेंट या जोश के आने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने जो त्याग किया है वह काबिले तारीफ है और हम सब उसकी प्रशंसा करते हैं। इस बात में किसी को शंका नहीं है कि उन्होंने त्याग किया है। पर उन्होंने मिनिस्टर्स के त्याग के बारे में कहा जो कि ठीक नहीं था। मैं ने उस को बन्द किया और कहा कि यह उचित नहीं है। मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि ऐसे त्याग करने वालों को पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिये, यह भी उचित नहीं था और नहीं कहना चाहिए था। (अन्तर्वाधा)

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस ओर के माननीय सदस्यों से भी ऐसा न करने को कह रहा हूँ।

श्री कछवाय : उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कहता हूँ कि एक बात जो कही गई वह उचित नहीं है तो वह वापस लेने के ही बराबर है ।

श्री रामेश्वरानन्द : आप ने मुझ से कहा, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया ।]

श्री भागवत झा आजाद : यह बिल्कुल ठीक कहा गया है । हम इसका समर्थन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, आप बैठ जाएं, वे चार आदमी खड़े हुए आप पांच खड़े हैं ।

श्री प्रकाशचौर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक व्यवस्था चाहता हूँ । अभी माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा कि एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में अन्तर होता है । एक सन्यासी के सम्बन्ध में निर्माण मंत्री श्री मेहरचन्द खन्ना ने जो शब्द कहे, वित्त मंत्री इन शब्दों को कहकर कि स्वामी जी के प्रति कहे गये शब्दों को धोने का यत्न कर रहे हैं । लेकिन पार्लियामेंट में आने के पश्चात् एक सदस्य की स्थिति और एक मिनिस्टर की स्थिति बराबर है । सन्यासी पहले से भारत वर्ष में राजनीति का पथ प्रदर्शन करते आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है । यह एक ब्यक्तिगत आक्षेप किया गया एक मिनिस्टर को और से और अब उसको धोने का यत्न किया जा रहा है । मैं समझता हूँ कि आपके होते हुए इस प्रकार की चीज उचित नहीं है । इस विषय में आपको व्यवस्था देनी चाहिए . . .

एक माननीय सदस्य : इन शब्दों को वापस लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । आप बैठेंगे या नहीं ।

श्री रामसेवक यादव : आप मेरी बात सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने चार आदमियों की बात तो सुन ली और कुछ कहने की जरूरत नहीं है । यही एतराज किया गया है कि जो शब्द मिनिस्टर ने कहे हैं वे उचित नहीं हैं और यह मतालबा किया गया है कि उनको वापस लिया जाए, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामसेवक यादव : मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ । क्या राजनीति में हिस्सा लेना ढोंग है जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । बस आपकी तसल्ली हो गयी, यही व्यवस्था है ।

श्री त्यागी : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । अपोजीशन मेम्बर साहब अपनी स्थिति खराब कर रहे हैं । उन्होंने एक जुम्ले पर एतराज किया है लेकिन उनका तो प्रिविलेज है ताने तिश्ने करने का और यह रिवाज चला आ रहा है । इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा कि गोकि स्वामी जी के बारे में जो कहा गया है वह उचित नहीं लेकिन उनको इसका बहुत अपमान नहीं मानना चाहिए । उनको चाहिए कि मेहरबानी कर के इस तरह की फिकेवाजी की इजाजत दें वरना उनको ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगी बजाय मिनिस्ट्रों के । (अन्तर्गता)

† वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आवश्यक गर्मी पैदा की जाती है (अन्तर्गता) । माननीय अध्यक्ष महोदय के यह कहने के बाद कि दोनों पोर यह नहीं कहना चाहिये था, मेरा खयाल है कि यह गर्मी लाना उचित नहीं है । जब स्वामी जी ने तपस्वी मंत्रियों का उल्लेख किया, तो मेरे सहयोगी को बुरा लगा और उन्होंने कुछ और कह दिया । उन्हें जेश में नहीं आना चाहिये था । मैं यह अवश्य कहना हूँ । परन्तु, जो व्यक्ति एक

† मूल प्रश्न में

वस्तु छोड़ देता है उसे दूसरों के लिये आपत्ति नहीं करना चाहिये। गृहस्थियों तथा सन्यासियों में अन्तर है। सन्यासियों को यह स्मरण रखना चाहिये। यदि समूचा संसार सन्यासी बन जाये, तो सन्यासियों का कोई स्थान नहीं रहेगा और गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिये भी कोई स्थान नहीं रह जायेगा। अतः यह ऐसी बात नहीं है जिस पर हम तर्क वितर्क करें। (अन्तर्बाधा)

श्री काशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूँ। अभी माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा कि एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में अन्तर होता है। एक सन्यासी के संबंध में निर्माण मंत्री श्री मेहरचन्द खन्ना ने जो शब्द कहे वित्त मंत्री इन शब्दों को कह कर स्वामीजी के प्रति कहे गये शब्दों को धोने का यत्न कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में आने के पश्चात् एक सदस्य की स्थिति और एक मिनिस्टर की स्थिति बराबर है। सन्यासी तो पहले से ही भारतवर्ष में राजनीति का पथप्रदर्शन करते आये हैं, आज कोई नई बात नहीं है। यह एक व्यक्तिगत आक्षेप किया गया, एक मिनिस्टर की ओर से और अब उसको धोने का यत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आपके होते हुए इस प्रकार की बात उचित नहीं है इस विषय में आपको व्यवस्था देनी चाहिये

एक माननीय सदस्य : इन शब्दों को वापस लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आप बैठेंगे या नहीं।

श्री रामसेवक यादव : आप मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने चार आदमियों की बात तो सुन ली और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यही ऐतराज किया गया है कि जो शब्द मिनिस्टर ने कहे हैं वे उचित नहीं हैं और यह मतलब किया गया है कि उनको वापस लिया जाये, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामसेवक यादव : मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ। क्या राजनीति में हिस्सा लेना ढोंग है जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। बस अब आपकी तसल्ली हो गयी, यही व्यवस्था है।

श्री त्यागी : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। अपोजीशन मेम्बर साहब अपनी स्थिति खराब कर रहे हैं। उन्होंने एक जुमले पर ऐतराज किया है लेकिन उनका तो प्रिविलेज है ताने तिशने करने का और यह रिवाज चला आ रहा है। इसलिये मैं उनसे अपील करूंगा कि गो कि स्वामी जी के बारे में जो कहा गया है वह उचित नहीं लेकिन उनको इसका बहुत अपमान नहीं मानना चाहिये। उनको चाहिये कि मेहरबानी करके इस तरह की फिकरेबार्जी की इजाजत दें वरना उनको ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगी बजाय मिनिस्टर्स के। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री योगेन्द्र झा : त्यागी जी ने कहा वह एक प्रकार की चेतावनी है। मैं इसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं आगे चलना चाहता हूँ। पर इस तरह आगे नहीं चल सकता। मुझे शोक के साथ यह कहना पड़ता है कि जब मैंने कह दिया कि यह उचित नहीं है और ऐसा नहीं कहना चाहिये था उसके बाद (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर :

श्री कछवाय : ये शब्द वापस लिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वापस लेने की जरूरत नहीं है । जब मैंने कह दिया कि उचित नहीं है तो उसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं है ।

सुपर चम्बल-भाखड़ा ग्रिड

†*३६५. श्री हेडा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने सुपर चम्बल-भाखड़ा ग्रिड बनाने का निर्णय कर लिया है ;
- (ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और
- (ग) उसके मुख्य लाभ क्या हैं ?

† सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मुख्य लाभ निम्न हैं :—

१. मिली जुली व्यवस्था के लिये अलग अलग व्यवस्थाओं की अपेक्षा थोड़ी जनन क्षमता की आवश्यकता होती है ।
२. स्वतन्त्र रूप से काम करने वाली व्यवस्थाओं की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था के लिये थोड़ी सहायक क्षमता की आवश्यकता होती है ।
३. तापीय तथा नाभिकीय बिजलीघरों को जल विद्युत् संयंत्रों के साथ अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है ।
४. आवश्यकता के समय पड़ोसी व्यवस्थाएँ पारस्परिक सहायता कर सकती हैं ।

† श्री हेडा : यह ग्रिड कितने क्षेत्र के लिये होगी और क्या नाभिकीय बिजलीघर इस ग्रिड के अंग होंगे ?

† श्री अलगेशन : भाखड़ा व्यवस्था पंजाब में है, और चम्बल व्यवस्था में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है । राणा प्रतापसागर बांध के पास जो नाभिकीय बिजलीघर बनेगा उसका भी अन्त में संबंध इसी से होगा ।

† श्री दाजी : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस पर विचार हो रहा है । विचार की क्या अवस्था है और विचार करने के लिये कौन कौन बात की गई है, क्यों कि माननीय मंत्री ने लाभों का बहुत ही सुन्दर उल्लेख किया है ? अब किन और बातों पर विचार किया जायेगा ?

† श्री अलगेशन : मैं जांच का ब्योरा नहीं बता सकता । केन्द्रीय विद्युत् तथा जल आयोग द्वारा संश्लेषित राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर अध्ययन कर रहा है ।

† श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रिड से मध्य प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा । इसमें कितनी लागत लगाई गई है और उसमें से मध्य प्रदेश से कितना लिया जायेगा ?

† नूल अंशों में

†श्री अल्लगेशन : चम्बल व्यवस्था . . .

श्री कछवाय : उत्तर हिन्दी में दिलाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं जानते तो मैं क्या करूं ।

†श्री अल्लगेशन : चम्बल व्यवस्था से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को ही बिजली मिलती है । मुख्य प्रश्न चम्बल व्यवस्था को भाखड़ा नंगल व्यवस्था से मिलाने के बारे में है । केवल मध्य प्रदेश के लाभ प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं है । समूचे क्षेत्र को ही लाभ पहुंचेगा ।

श्री कछवाय : मैंने पूछा था कि कितनी लागत लगी है ?

†सिचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : जनाब वाला, अभी लागत का कोई हिसाब नहीं है कि कितनी लगेगी ।

देश की बिजली की आवश्यकता

+

†*३६६. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बेरवा कोटा :

क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दस वर्षों में देश को बिजली की आवश्यकताओं पर विचार करने के बिधे हाल में हुये सम्मेलन ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) सरकार की राय में ये सिफारिशें किस सीमा तक व्यवहार्य हैं ?

†सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) देश की बिजली की आवश्यकता पर विचार करने के लिये हाल में हुई कान्फ्रेंस की सिफारिशें अभी निश्चित नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि द्वितीय योजना काल में विद्युत्भाव के कारण उद्योगों की गति मध्यम पड़ गई है, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में, और यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि तीसरी योजना में बिजली का हमारा उत्पादन योजनानुसार हो ?

†श्री अल्लगेशन : यह सामान्य प्रश्न है । यह सच है कि दूसरी योजना के बीच में विदेशी मुद्रणाभाव के कारण बिजली की योजनाएँ पिछड़ गईं और उनमें योजनानुसार प्रगति न हो सकी, परन्तु हम तीसरी योजना में योजना बना कर अभाव को पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं । जहां तक पश्चिमी बंगाल या कर्नाटक क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसे दामोदर वाघे निगम की मिश्रित व्यवस्था, पश्चिमी बंगाल, बिहार और रैंड से बिजली मिल रही है, क्योंकि हम रैंड की बिजली कर्नाटका ले जा सके हैं । हम कर्नाटक तथा आसाम के उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने में भी सफल रहे हैं ।

†श्री अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इसके साथ ही तीसरी योजना की आवश्यकतापूर्ति के लिये देश में विद्युत् जनन मशीन निर्माण उद्योग के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है ?

†श्री अलगेशन : हां । मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं, भारी बिजली सामान, भोपाल, आदि के बारे में जानते हैं ।

†श्री पें० वेंकटामुब्बया : देश में बिजली की आवश्यकता के इस समूचे अनुमान पर विचार करते समय क्या प्रत्येक राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति उत्पादन के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह देखने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था कि प्रत्येक राज्य में बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन अखिल भारतीय आधार पर आता है ?

†श्री अलगेशन : इस समिति ने यह एक वार्षिक विद्युत् सर्वेक्षण किया था । विभिन्न राज्यों के विद्युत् मंडलों के सभापति तथा मुख्य इंजीनियर उपस्थित थे । उन्होंने इस प्रश्न की जांच की । उन्होंने निश्चय ही अपने क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उत्पादन पर तथा इस बात पर विचार किया होगा कि वे इस में सर्वोत्तम ढंग से कैसे सुधार करेंगे ।

†श्री बरेवा कोटा : श्रीमान्, इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और कितनी उपबन्ध कराई जा सकेगी ?

†श्री अलगेशन : इस वार्षिक सर्वेक्षण के प्राप्त होने पर यह सब अधिक निश्चित रूप से ज्ञात हो जायेगा । साधारणतया, हमने तीसरी योजना में ७० लाख किलोवाट की जनक तथा अधिष्ठापित क्षमता का आयोजन किया है ।

†श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये कितनी अतिरिक्त क्षमता का रक्षण करने का विचार है ?

†श्री अलगेशन : यह राज्य विद्युतीकरण बोर्ड पर छोड़ दिया गया है । प्रत्येक राज्य बोर्ड का राज्य सरकार यथासंभव ग्राम विद्युतीकरण के लिये अलग धन रखने का प्रयत्न कर रही है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि मंत्रालय के सिंचाई और विद्युत् विशेषज्ञों ने हाल में ही एक जांच की थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने यह निर्णय किया है कि तीसरी योजना के लक्ष्य पूरे होने योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके अनुमान के क्या मुख्य कारण हैं ?

†श्री अलगेशन : यह सच है कि इस समय तीसरी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये तथा आपात के कारण उत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकता के पूरा करने के लिये हम कुछ कदम उठा रहे हैं । अतिरिक्त योजनायें जो तीसरी योजना में शामिल नहीं की गई थी, को मांगा गया है तथा विभिन्न राज्य सयकारों तथा अधिकारियों ने अतिरिक्त योजनायें भेजी हैं । १६० करोड़ रुपये की योजनायें विचाराधीन हैं ?

†डा० क० ल० राव : सरकार ट्रांसमिशन सुविधाओं को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि इसकी कमी के कारण विद्युत् आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अल्लगेशन : बिजली घर क्या ट्रांसमिशन पद्धति की स्थापना एकीकृत चीजें हैं । ट्रांसमिशन सुविधाओं पर अलग से विचार करने का प्रश्न नहीं है । यदि ट्रांसमिशन सुविधायें कम हैं तो विभिन्न राज्य विद्युत् बोर्डों को अवश्य इस पर ध्यान देना चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि इस कमी को दूर करने के लिए पिछले सप्ताह अमरीकन सरकार के साथ यहां बैठ कर दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ है जिसमें अमरीकी सरकार १ करोड़ और ६० लाख डालर हमारी इमदाद के लिए देगी ? क्या इस तरह का कोई एग्रीमेंट पिछले सप्ताह हुआ है ?

†श्री अल्लगेशन : विद्युत् परियोजनाओं के लिए अमरीका हमारी सहायता कर रहा है । हमें अन्य देश भी सहायता दे रहे हैं । मैं अन्य बातों के बारे में नहीं बता सकता हूं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मंत्रालय को इसका पता है कि पिछले सप्ताह कोई एक एग्रीमेंट हुआ है ?

†श्री अल्लगेशन : मैं नहीं बता सकता ।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या हम यह समझें कि मंत्रालय को यह मालूम नहीं है कि वर्तमान संभरण आवश्यकता से कितना कम है ?

†श्री अल्लगेशन : मैं इस समय नहीं बता सकता । यदि माननीय सदस्य राज्य अथवा परियोजना के संबंध में अलग से प्रश्न पूछना चाहते हों तो प्रश्न पूछें, मैं उत्तर दे दूंगा ।

†श्री पु० र० पटेल : क्या तीसरी योजना के अन्त तक गुजरात की आवश्यकता सम्मेलन के सामने रखी गई थी तथा उस पर विचार हो चुका था ।

†श्री अल्लगेशन : मैं समझता हूं कि यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि आसाम में बहुत कम विद्युत् जनन होता है अर्थात् १९६१ में यह २.५४ किलोवाट था जबकि अखिल-भारत स्तर ३० तथा दिल्ली में १४९ था । आसाम को अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

†श्री अल्लगेशन : कृपा करके प्रश्न को दोबारा पूछें ।

†अध्यक्ष महोदय : डा० सेन ।

†डा० रानेज सेन : श्री टांटिया के एक अनुसूक्त प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत् संभरण के लिए एकीकृत ग्रिड पद्धति है । क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि बिजली संभरण की नई पद्धति के बावजूद उस क्षेत्र में बिजली की बहुत कमी है ; यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार की क्या योजना है ?

†श्री अल्लगेशन : हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । संभव है कि कुछ अधिक मांग हो परन्तु प्रश्न है कि अधिकांश मांग पूरी की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

राजधानी में अनधिकारवासी

+
†*३६७. { श्री महेश्वर नायक :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अनधिकारवासियों की संख्या का अनुमान लगाया गया है जो राजधानी में अनधिकृत रूप से मकानों आदि पर कब्जा किये हुये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक वर्ष में अनधिकारवासियों की समस्या को समाप्त करने के लिये कड़ी कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) झुग्गी तथा झोंपड़ी हटाना योजना के अधीन जून-जुलाई, १९६० में दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई विशेष जनगणना के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी तथा सार्वजनिक जमीनों पर लगभग ४४००० अनधिकारवासी परिवार थे।

(ख) और (ग). लगभग एक वर्ष में सरकारी तथा सार्वजनिक जमीनों पर बसे हुए अनधिकारवासियों को दूसरे स्थानों पर हटा दिया जायेगा। इसके बारे में भी कदम उठाये जा रहे हैं कि इस प्रकार खाली जमीन पर कोई अन्य व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा न करे।

†श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम का मकान गिराने वाला दल काम कर रहा है तथा अनधिकारवासियों द्वारा बनाये गये अनधिकृत मकानों को गिरा रहा है; यदि हां, तो जिन लोगों को मकानों से निकाल दिया गया है उनको मंत्रालय किस प्रकार बसाने जा रहा है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : इसका झुग्गी तथा झोंपड़ी हटाने की योजना से कोई संबंध नहीं है। इनमें से कुछ कालोनी म्यूनिसिपल क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाली गई हैं तथा दिल्ली नगर निगम उसके विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। मेरे मंत्रालय का उससे कोई संबंध नहीं है।

†श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार अनधिकृत मकानों से निकाले गये व्यक्तियों को विक्री के लिए तथा अन्ततः पट्टे पर देने के लिए कुछ कालोनियां बनाने का विचार कर रही है ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : यह स्पष्टतः बता दिया गया है कि हमने जनगणना की है। उस जनगणना के अनुसार जून तथा जुलाई १९६० में यह संख्या लगभग ४४,००० थी। यह संख्या संभव है कुछ हजार बढ़ गई हो। हमने इन सभी लोगों को हटाने की तथा उपयुक्त लोगों को भूमि तथा वैकल्पिक स्थान देने की योजना बनाली है।

†श्रीमती सावित्री निगम : अनधिकारवासियों को वैकल्पिक निवासस्थान तथा जमीन देने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा तथा इसमें कितना धन लगेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मेहरचन्द खन्ना : योजना बनाली गई है। योजना ५००० मकान बनाने की, ८० वर्ग गज के १०००० प्लॉट बनाने की तथा २५ वर्ग गज के २५,००० प्लॉट बनाने की है। व्यय लगभग १० करोड़ रुपये का है। लगभग एक वर्ष में हम उनको हटा देंगे परन्तु पूरी योजना की क्रियान्विति में तीन से चार वर्ष लग जायेंगे।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार को २ करोड़ रुपये की सम्पत्ति गिरानी है तथा १०००० परिवारों को निकालना है; यदि हां, तो उनके पुनर्वासि लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या १ करोड़ रुपये की सम्पत्ति गिराई जानी है तथा १०००० परिवारों को निकाला जाना है। प्रश्न पूछे जाने पर माननीय मंत्री कहते हैं कि वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। ध्यान दिलाने की सूचना अस्वीकृति कर दी जाती है।

†अध्यक्ष महोदय : अब वह प्रश्न से बाहर की बात पूछ रहे हैं। उनका औचित्य प्रश्न था।

†श्री स० मो० बनर्जी : औचित्य प्रश्न था कि मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं न ही ध्यान दिलाने की सूचना का उत्तर देते हैं क्या इन १०००० व्यक्तियों को उनके घरों से रात्रि में निकाल दिया गया है?

†अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। माननीय सदस्य ने सुना नहीं होगा।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि फरवरी और मार्च में अभी तक कितनी झुग्गियां और झोंपड़ियां और कितने मकान गिराए गए हैं और उन के गिराने में सरकार का कुल कितना खर्च हुआ है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह तो मैं जानता नहीं कितना खर्च हुआ है, लेकिन ये झुग्गी-झोंपड़ियां मिट्टी की बनी हैं। पुलिस का स्कवैड वहां पर जाता है और उनको गिरा देता है। हम तीन, चार हजार प्लास तो डेवेलप कर चुके हैं और बाकी कर रहे हैं। इस वक्त यह हमारी प्रोजीशन है।

श्री त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने दिन झुग्गी में पड़े रहने के बाद आदमी टेनेमेंट हासिल करने के लिए हकदार हो जाता है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : वह हकदार तो नहीं होता है, लेकिन हमने कम्पैशनेट ग्राउंड्ज पर फैसला किया है कि जिन लोगों ने जून-जुलाई, १९६० से पहले स्कवैट किया था, जब हम उनको हटायेंगे, तो उनको जगह देंगे। उसके बाद जो भी आए होंगे, चाहे वे कहीं भी हों, उनको कोई आल्टरनेटिव जगह नहीं दी जायगी और उनको एंविकट कर दिया जायगा।

श्री त्यागी : तो क्या मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है?

श्री मेहरचन्द खन्ना : कोई गुंजाइश नहीं है।

†मूल सत्रेची में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ये निकाले गये लोग हाल में ही प्रधानमंत्री से मिले थे ? क्या समाचारपत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने उनकी बात पूरी तरह से सुनी और क्या प्रधानमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया था ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे भी जानकारी वहीं से मिली है जहां से माननीय सदस्य को मिली है। मुझे प्रधानमंत्री से कोई जानकारी नहीं मिली है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्रौषध निर्माण संबंधी सर्वेक्षण

†*३६८. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या स्वास्थ्य संघी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विश्व स्वास्थ्य संगठन" ने हाल में ही विभिन्न देशों में श्रौषध निर्माण के नियंत्रण के तरीकों का सर्वेक्षण किया है तथा उसे पता चला है कि विकसित देशों में भी विद्यमान उपाय अपर्याप्त है ;

(ख) क्या भारत में सर्वेक्षण भी किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये ; और

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन में इस बारे में की गई सिफारिशों को सरकार का विचार किस प्रकार लागू करने का है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य संघ ने श्रौषधियों के निर्माण और उनकी बिक्री को सुचारु रूप से चलाने के लिये विभिन्न देशों द्वारा अपनाये गये उपायों के सम्बन्ध में तीन रिपोर्ट प्रकाशित की हैं वे ये हैं :—

- (१) श्रौषधों का वर्गीकरण—वर्तमान विधान का सर्वेक्षण—स्वास्थ्य विधान विषयक अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थ में प्रकाशित, १९६०, ११-४-५६।
- (२) श्रौषधों का वितरण तथा व्यापार—वर्तमान विधान का सर्वेक्षण—स्वास्थ्य विधान के अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थ में प्रकाशित, १९६२, १३, ३८१-४६६।
- (३) श्रौषधों का गुण प्रकार नियंत्रण—योरुपीय प्रविधिक बैठक संबंधी रिपोर्ट-विश्व स्वास्थ्य संघ के अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, माला संख्या २४६।

पहली रिपोर्ट में श्रौषध निर्माण संबंधी विधान का सर्वेक्षण किया गया है, जो विविध देशों में लागू है। जिन देशों के श्रौषध निर्माण सम्बन्धी विधान की संक्षेपतः समीक्षा की गयी है, उन में अन्य

†मूल अंग्रेजी में

देशों के साथ, ब्रिजम, कनाडा, फ्रांस, फेडरल जर्मनी, रिपब्लिक, भारत, स्विटजरलैंड, अमरीका और इंग्लैंड शामिल हैं। जहां तक भारत का संबंध है, रिपोर्ट में संज्ञा में औषध अधिनियम तथा केवल औषधों की दिकों के बारे में अधिनियमों सम्बन्धी मुख्य उपबन्ध बताये गये हैं। रिपोर्ट में औषध निर्माण के ऊपर नियंत्रण सम्बन्धी कोई पहलू नहीं आया है।

दूसरी रिपोर्ट में भी औषध निर्माण के वितरण और व्यापार के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के वर्तमान विधान का सर्वेक्षण किया गया है। भारत के विधान का इस रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

तीसरी रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संघ द्वारा नियुक्त औषध निर्माण के गुण प्रकार नियंत्रण सम्बन्धी यूरोपीय अधिविज्ञान समिति के निष्कर्ष दिये गये हैं। इस समिति का एक निर्देश निर्बंधन, यूरोपीय देशों में औषध निर्माण के मुख्य प्रकार संघों, स्थिति की संज्ञा में समीक्षा करना था। इस लिये भारत के सम्बन्ध में कोई समीक्षा नहीं हो गई और सिफारिश का प्रश्न नहीं उठता।

मक्खन निकाला हुआ दूध

*३६६. श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूरोप' ने १९६१-६२ में सरकार को मक्खन निकाले गये दूध के पाउडर का उपहार दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा किस प्रयोजन के लिये ; और

(ग) क्या उक्तका पूरा उपयोग किया गया है तथा किस रूप में ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में ४,१२,६२,२५३ पाउंड मक्खन निकाला दूध चर्चा यूरोप के द्वारा, गर्भवती माताओं, स्कूलों में जाने की आयु से पहले आयु वाले बच्चों और स्त्रियों के बच्चों का, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्रों और स्कूलों के द्वारा दिया गया है केवल थोड़ा देना चर्चा रक लिये गया है जो आने वाले बच्चा जायेगा तथा आने वाले के लिये संरक्षण करते समय उक्तको शामिल किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान कांग्रेस

*४००. श्री बेरवा कोटा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में डूढ़ करोड़ लोगों की आंखें खराब हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने सरकारी अस्पताल हैं जिनमें केवल आंखों का इलाज होता है तथा वे कहां-कहां पर हैं ;

(ग) दिसम्बर, १९६२ में आई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान कांग्रेस में कितने भारतीय नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया ; और

†भूल अंग्रेजों में

(घ) क्या उक्त कांग्रेस ने नेत्र लोगों का कोई नया इलाज निकाला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) आंख की खराबी से पीड़ित व्यक्तियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। रोहे नियंत्रण प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हुये एक नमूना सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि लगभग ४० लाख व्यक्ति ट्रैकोमा से पीड़ित हैं। मोटे तौर पर अनुमान किया गया है कि भारत में आंखों की संख्या लगभग २० लाख है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) ५७०।

(घ) विभिन्न नये इलाजों पर विचार विमर्श हुआ। कांग्रेस द्वारा क्या क्या विचार-विमर्श किया गया उसका विवरण प्राप्त किया रहा है।

पोंग बांध परियोजना

†*४०१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध पर काम की गति धीमी कर दी गई है और प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स योजना का स क्षेत्र को बारहमासी जल संवर्धन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनायें

†*४०२. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरभा :
श्री बृजराज सिंह :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में तब सरकार को राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन राज्यवार कितने मकानों का निर्माण किया गया ;

(ख) पहले पांच वर्षों की तुलना में निर्माण की गति में कितना सुधार हुआ है ; और

(ग) मालिनों तथा मजदूरों को सहकारी समितियों बनाने के लिये राजी करने तथा बड़े पैमाने पर मकान बनाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के पूर्वार्ध में योजना के अधीन बनाये गये मकानों की संख्या बनाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :—

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	१९६२-६३ में (सितम्बर १९६२) तक बने मकानों की संख्या
१	आंध्र प्रदेश	२६०
२	आसाम	—
३	बिहार	६८४
४	गुजरात	१८१८
५	जम्मू व काश्मीर	—
६	केरल	२८
७	मध्य प्रदेश	२२०
८	मद्रास	५८८
९	महाराष्ट्र	२३२२
१०	मैसूर	२७४
११	उड़ीसा	५०
१२	जाब	१३२
१३	राजस्थान	—
१४	उत्तर प्रदेश	१३६१
१५	पश्चिम बंगाल	६०८
	योग	८६४५
	संघ राज्य क्षेत्र :—	
१६	दिल्ली	—
	कुल जोड़	८६४५

(ख) १९६२-६३ के पूर्वार्ध में बनाये गये मकानों की संख्या पिछले पांच वर्षों में ५८५० की अर्ध वार्षिक औसत के मुकाबिले में ८,६४५ थी ।

मिल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि कार्य कर्त्ताओं को अवास सहकारी संस्थाओं बनाने के लिये सहायता करने और प्रोत्साहन देने के लिये पृथक प्रशासित इकाइयां स्थापित करें। योजना की वित्तीय व्यवस्था में भी उदारता की गई है। कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं अत्र, मकानों की अनुमोदित लागत का ६०% तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। शेष १०% उन को उनके अपने भविष्य निधि से, न लौटाया जाने वाले ऋण के रूप में प्राप्त हो सकता है।

जीवन बीमा निगम से आवास ऋण

†*४०३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने आसाम और पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग के लिये आवास ऋण देने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की शर्तें क्या है।

(ग) क्या प्रस्ताव उद्योग को स्वीकार्य नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो स्वीकार न करने के क्या कारण बताये गये है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

एकीकृत विद्युत् 'ग्रिड'

†*४०४. { श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री ० वेंकटा सुब्बया :
श्री दे० जी० नायक :
श्री वाडीवा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा कुछ समय पूर्व स्थापित एक विशेष समिति ने सिफारिश की है कि देश में कई विद्युत् जोन बना दिये जायें तथा प्रत्येक जोन में एक एकीकृत विद्युत् 'ग्रिड' स्थापित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इस योजना के मुख्य लाभ क्या हैं ?

†सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने देश को सात विद्युत् प्रखंडों में बांटने का सुझाव दिया है। इस की पुष्टि राज्य बिजली बोर्डों, दामोदर घाटी निगम आदि के प्रतिनिधियों की एक बैठक द्वारा की गई थी, जो प्रादेशिक-

बिजली ग्रिडों के विकास के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य के लिये केन्द्रीय जाल तथा विद्युत आयोग द्वारा समवेत की गई थी।

(ख) सिफारिशों पर सरकार द्वारा, आयोग से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर विचार किया जाएगा। योजना मुख्य लाभों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(१) मांगों की भिन्नता के कारण, समेकित प्रणाली के लिये उस से कम जैनरेटिंग क्षमता की जरूरत होगी, जितनी अकेली प्रणाली के लिये जरूरत होती है ;

(२) समेकित प्रणाली के लिये उस से कम आरक्षित क्षमता की जरूरत होती है, जितनी दो या अधिक प्रणालियों के लिये स्वतंत्र रूप से चलने के लिये होनी चाहिये।

(३) समूचे प्रखण्ड में अत्यधिक लाभदायक स्थानों पर, अणु शक्ति केन्द्रों समेत बड़े जैनरेटिंग केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं ;

(४) थर्मल स्टेशनों का जल-विद्युत संग्रहों के साथ अधिक सक्रिय ढंग से प्रयोग किया जा सकता है ;

(५) पड़ोस की प्रणाली संकट काल में दूसरी भी सहायता कर सकती है ; और

(घ) समेकित प्रणाली के लिये उस से कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उसे अधिक अच्छी तरह चलाया जा सकता है, जितनी कि आवश्यकता हो या अधिक स्वतंत्र प्रणालियों के लिये होती है।

“यूनिसेफ” से जर्पें

†*४०५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या “ यूनिसेफ ” ने सरकार को कुछ जीप उपहार के रूप में दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब, कितनी तथा किस कार्य के लिये ; और

(ग) उनका कहां पर तथा किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). यूनिसेफ ने पिछले १३ वर्षों में लगभग १५५० जीपें दी हैं। जीप सरकार को “ उधार ” पर चलती हैं, और गाड़ियों का स्वामित्व औपचारिक रूप से यूनिसेफ के पास रहता है। इन जीपों का प्रयोग सब राज्यों में निम्न परियोजनाओं को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है :—

(१) ग्राम्य स्वास्थ्य सेवाएं

(२) बी० सी० जी० टीका आन्दोलन

(३) ट्रैकोमा रोग नियंत्रण

(४) पास नियंत्रण

(५) पैडियाट्रिक प्रशिक्षण

- (६) सामाजिक तथा निवारक चिकित्सा प्रशिक्षण
- (७) व्यवहारिक औटिक आहार परियोजना
- (८) दुग्ध परिरक्षण परियोजनाएं
- (९) गायट्रे सर्वक्षण
- (१०) कुष्ठ रोग
- (११) अपाहज बाल परियोजना
- (१२) सहायता इंडेंट (प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र) :
- (१३) क्षय रोग सर्वक्षण

दिल्ली में भूमिगत जल

†*४०६. { श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर प्रसाव सिंह :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भूमिगत जल को बढ़ने से रोकने के लिये किये गए प्रयत्न प्रभावी सिद्ध नहीं हुये हैं ;

(ख) भूमिगत जल के स्तर में अधिकतम वृद्धि कितनी हुई है तथा इस में हुये सुधार की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) क्या इसके द्वारा नगर के मकानों तथा भवनों को हुई क्षति का, यदि कोई हुई है तो अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या स्थिति है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) ३०३ नलकपों में से जो लगये गये हैं, पानी निकालने का काम २२८ में प्रगति पर है । इन में से केवल कुछ एक नल कूप अधिक अवधि तक चले है, अतः अभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता ।

(ग) और (घ) भूमिगत जल स्तर इतना ऊंचा नहीं उठा जिस से इमारतों की सुरक्षा को खतरा हो सके ।

राज्य विद्युत् बोर्डों के प्रधानों का सम्मेलन

†*४०७. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में राज्य विद्युत् बोर्डों के प्रधानों का एक सम्मेलन बुलाया गया था ;

†नूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

†सिचार्ड और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रादेशिक ग्रिडों की संगठनात्मक रचना संबंधी विविध पहलू ।

(ग) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों समेत एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(१) विद्युत् संसाधनों तथा पड़ोसी राज्यों में विद्युत् व्यवस्था की समीपता आदि ध्यान में रखते हुए, देश का सात प्रदेशों में अस्थायी सीमांकन ।

(२) प्रत्येक प्रदेश के लिये प्रादेशिक विद्युत् अभिकरणों की स्थापना, जिसे समूचे प्रदेश में समेकित बिजली व्यवस्था संचालन और बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों तथा नये बिजली घरों की आयोजना का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा ।

(३) केन्द्रीय बिजली प्राधिकार के द्वारा प्रादेशिक बिजली अभिकरणों के कार्य के ऊपर आवश्यक अधीक्षण दिया जाएगा, जिसे पर्याप्त मजबूत तथा अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा ।

घग्गर नदी की बाढ़

†*४०८. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कर्णो सिंहजी :

क्या सिचार्ड और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राजस्थान और पंजाब सरकारों द्वारा घग्गर नदी की बाढ़ से नुकसान को रोकने की कोई संक्युत परियोजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) आगामी वर्षा ऋतु में नुकसान को रोकने के लिये यदि कोई अन्तरिम उपाय किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

†सिचार्ड और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) और (ख) घग्गर संबंधी समेकित बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिये कुछ सम्मत प्रस्ताव बनाये गये हैं । इन में पंजाब की नाली तथा बांध योजनाएं, और ओड् के बांध को नये ढंग से बनाने, घग्गर में से नदियां निकालना और राजस्थान में सूरत गढ़ के समीप रेत के टीलों में इस जोन के लिये इस का रख परिवर्तन ।

(ग) हनुमान गढ़ और सूरत गढ़ नगरों १६ अन्य गांवों और आवादी आदि के लिये बचाव बांध के निर्माण, और राजस्थान में कर्णजीसूए के किनारों को ऊंचा उठाने तथा मजबूत करने के कुछ अल्प-कालीन उपाय पूरे किये जा चुके हैं ।

पुनर्वास कार्य

†७३३. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या निर्वाग, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अभी और कितने शरणार्थियों को बसाना शेष है ;

(ख) इसमें कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस काम की कब पूरा होजाने की संभावना है ताकि मंत्रालय में पुनर्वास विभाग समाप्त किया जाए ?

†निर्वाग, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम प्रायः पूरा हो चुका है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के बारे में पश्चिम बंगाल को छोड़ कर, पूर्वी खण्ड में राज्यों में उनको बसाने का काम भी पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अवशिष्ट कार्य का अनुमान भी किया गया है। एक या दो वर्षों में इस के पूरा हो जाने की संभावना है।

पुनर्वास विभाग बहुत अधिक छोटा हो गया है। जब बकाया काम पूरा हो जाएगा, तो इसे बन्द कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

†७३४. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य विभाग के दो भाग के रूप ही में एक अनुसंधान प्रभाग खोलने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस की रूप रेखा क्या है और यह कितने तथा कब कार्यान्वित होने वाला है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने में कितनी लागत आएगी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) सफलता प्राप्त करने तथा होने वाली गलतियों से शिक्षा लेने के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन अधिक किया जा रहा है। इसे अनुसंधान कार्य माना जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में पलंगों की संख्या

†७३५. { डा० प० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की पलंगों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या उन में पलंगों की संख्या को बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस का व्योरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तीन अस्पताल हैं, जिन की पलंग संख्या इस प्रकार है :—

बिहार

मानसिक रोगों का रांची अस्पताल, रांची ५०३

दिल्ली

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली १०००

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली २५०

(ख) जी हां ।

(ग) मानसिक रोगों का अस्पताल, रांची ।

अस्पताल की पलंग संख्या में १८० पलंग और बढ़ाने का विचार है

जब (१) भोजन हाल ८० पलंग

(२) पुराने रोगियों के वार्ड का निर्माण १०० पलंग

१८० पलंग

संबंधी काम पूरा हो जायेगा, जो इस समय चल रहा है ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

हड्डी रोग विभाग में ३५ पलंग और डालने का विचार है ।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली

तीसरी योजना में पलंग की संख्या ५०० पलंगों पर बढ़ाने का विचार है ।

कैंसर अस्पताल

†७३६. { डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में राज्यवार कितने कैंसर अस्पताल हैं;

(ख) इस समय कितने लोगों का इलाज हो रहा है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में नवीन कैंसर अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है और उसका व्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) देश में केवल कैंसर का इलाज तीन अस्पतालों में किया जाता है, टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई; चितरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता और कैंसर संस्था मद्रास । तथापि देश भर के प्रायः सभी सामान्य अस्पतालों में कैंसर का इलाज किया जाता है । राज्यवार अस्पतालों का विवरण, जहां कैंसर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ६६२/६३]

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सामान्य डाक्टरी जांच का अस्पताल

†७३७. डा० श्रीनिवासन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य डाक्टरी जांच के लिये केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में कोई अस्पताल है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी नहीं । सी० एच० एस० योजना के अधीन, योजना के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की डाक्टरी जांच के लिये एक स्वास्थ्य चिकित्सालय है ।

यह चिकित्सालय केन्द्रीय सचिवालय डिस्पेंसरी में है और यहां समय निश्चित करके, इच्छा रखने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामान्य डाक्टरी जांच की सुविधा है । इस में साधारण प्रयोगशाला में जांच की जाती है और जिन मामलों में अधिक विषद जांच की जरूरत होती है, वे विलिंगडन और सफदरजंग अस्पताल में भेज दिये जाते हैं । यह चिकित्सालय तीन वर्षों से अधिक समय से है और प्रतिदिन लगभग १५ लोगों की जांच औसतन करता है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार का और कोई अस्पताल नहीं है, जहां यह सुविधा उपलब्ध हो ।

दिल्ली से बाहर अन्य केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में तलचेर विद्युत् केन्द्र

†७३८. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आज तक की तलचेर तापीय विद्युत् केन्द्र की प्रगति क्या है; और

(ख) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस विद्युत् केन्द्र के लिये सलाहकार इंजीनियर नियुक्त किये जा चुके हैं । लाखों आल्टरनेटोरो और बायलर फीड पम्पों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं । बायलर संयंत्र के लिये आर्डर शीघ्र ही दिये जाने वाले हैं । विशिष्ट विवरण जारी करने, उपकरण जुटाने और उस को बनाने की अनुसूची भी तैयार की गई है ।

(ख) योजना पर ३०-४५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

बम्बई में विद्युत्-करघों के मालिक

†७३९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सूती कपड़ा बनाने वाले विद्युत्-करघों के मालिकों ने उद्योग पर लगे करों को समान करने तथा उनके एकत्रित किये जाने को सरल बनाने के लिए सरकार को उत्पादन शुल्क की एक योजना का सुझाव दिया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो संक्षिप्त योजना क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्युत्-ऊर्जा उद्योग संघ द्वारा, गत जनवरी में, किये गये प्रेक्षकों तथा प्रस्तावों का एक संज्ञेय सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ६६३/६३]

(ग) भारत सरकार ने, इन कुछ मामलों की जांच करने के लिये, श्री अशोक मेहता के सभापतित्व में एक समिति पहिले ही बना दी है । उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । उस प्रतिवेदन के प्राप्त होने तथा उस पर विचार किये जाने के समय तक, उत्पादन शुल्क के विद्यमान ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड के प्रधान

†३४०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड के प्रधान एक ऐसे सार्थ^१ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर विदेशी मुद्रा विनियमन का उल्लंघन करने के कारण लगभग २ लाख रुपया जुर्माना किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस चयन के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मैसर्स कोटक एण्ड कम्पनी के सार्थ तथा उसके भागीदारों को निदेशित किया गया था कि वे उस खाते को बन्द कर दें जिसे कि सार्थ विदेशी मुद्रा में रख रहा था और खाते की राशि को जो ८५ पाँड थी भारत को वापस भेज दें । सार्थ के तीन सदस्यों पर, जिन में से एक श्री जी० बी० कोटक नहीं थे, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण कुल मिला कर ३ लाख ५० हजार रुपये के बराबर का जुर्माना किया गया था ।

(ख) क्योंकि स्वर्ण बोर्ड के प्रधान इस में व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अथवा सम्मिलित नहीं थे, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

†४१. श्री सुबोध हंतदा :
श्री स० च० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१-६२ में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कार्य की प्रगति की कुल मात्रा संतोषजनक नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कथित वित्तीय वर्ष में कार्य की कुल मात्रा का निर्धारित लक्ष्य कितना था; और

(घ) कितनी कमी हुई और क्या इसको कोई हानि हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

१Firm.

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना) : (क) से (घ), जी, नहीं। १९६१-६२ में एक करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध १ करोड़ ८ लाख रुपये का कार्य हुआ था।

(घ) कार्य में कोई कमी नहीं थी किन्तु १ लाख २५ हजार रुपये की छोटी सी हानि हुई थी।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पंखों के लिए अग्रिम-धन

†७४२. { श्री बिशनचन्द्र सेठ :
 { श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री ८ नवम्बर, १९६२ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास पंखे नहीं हैं पंखों के लिये अग्रिम धन देने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या व्योरे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब लिये जाने की संभावना है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना) : (क) से (ग). सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पंखे खरीदने के लिये ऋण देने का निर्णय कर लिया है। ऐसे ऋणों को देने की एक योजना बनाई जा रही है।

चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों के लिये पुरस्कार

†७४३. श्री बिशन चन्द्र सेठ: क्या स्वास्थ्य मंत्री २२ नवम्बर, १९६२ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी तथा अंग्रेजी की चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के व्योरे तैयार कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). हिन्दी तथा अंग्रेजी की चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार देने के प्रस्ताव की अभी जांच की जा रही है। पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का मामला ऐसा है जिस पर योजना की सफलता के लिये सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

हस्तिनापुर नगर का विकास

†७४४. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर नगर के विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का प्रस्ताव किया है, यदि उत्तर प्रदेश पुनर्वास मंत्रालय द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को केन्द्रीय सरकार पूरा कर दे; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या शर्तें रखी गई हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : जी, नहीं। ७ मार्च, १९५९ से यह नगर राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था जिसने इसका प्रशासन करने तथा विकास करने के लिए एक संविहित बोर्ड की स्थापना की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

इंग्लैंड के बैंक रेट में कमी

†७४५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड के बैंक रेट को साढ़े चार प्रतिशत से घटा कर चार प्रतिशत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय अर्थ व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जब तक कि ब्रिटिश बैंक रेट फिर से नहीं बढ़ाया जाता भारत द्वारा इंग्लैंड से लिये जाने वाले ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरों में कुछ कमी हो सकती है।

होम्योपैथिक संस्थायें

†७४६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथिक संस्थाओं के कार्य-संचालन को सुधारने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं ;

(ग) क्या सर्व-निपुण चिकित्सक उपलब्ध करने के हेतु मानकीकृत होम्योपैथिक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(घ) होम्योपैथिक औषधालयों को अन्य सरकारी औषधालयों के समान पद पर लाने के लिये और सरकारी कालेजों से अर्हता प्राप्त डाक्टरों को रखकर विद्यमान औषधालयों के कार्य-संचालन को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही भारत सरकार देश की विद्यमान शिक्षण संस्थाओं को उन्नत करने के कार्य को बढ़ावा देती रही है। १९५२ में भारत सरकार ने होम्योपैथी के लिये एक तदर्थ समिति बनाई थी जिसके स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक हैं। इस समिति ने एक पंचवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की जांच सभापति की और उसे तैयार किया, जिसे राज्य सरकारों को परिचालित भी कर दिया गया है। समिति ने होम्योपैथ के प्रशिक्षण, विकास तथा अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य अनेक पहलुओं की भी जांच की थी। १९५६ में सरकार को होम्योपैथी से सम्बन्धित सब मामलों पर मन्त्रणा देने के लिये एक होम्योपैथी मन्त्रणा समिति भी बनाई गई थी जिसके सभापति स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव महोदय थे। होम्योपैथिक औषधियों की शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रैक्टिस से सम्बन्धित समस्याओं पर भी इस समिति द्वारा विचार किया जाता है और अनुसन्धान तथा शिक्षण संस्थाओं की सहायता देते समय सरकार द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अर्वाधि में विद्यालयों को उन्नत करने अथवा उनका सुधार करने के लिये ७

लाख ५७ हजार २० रुपया व्यय किया गया था तथा अनुसन्धान के लिये इसी प्रकार २ लाख ७२ हजार ५०० रुपया व्यय किया गया था। १९६१-६२ में विद्यालयों को उन्नत करने के लिये ७ लाख ५८ हजार ७५४ रुपये के तथा अनुसन्धान के लिये १ लाख ५०० रुपये के अनुदान दिये गये। १९६२-६३ में उन्नत करने के लिये १ लाख ७७ हजार ५०० रुपये तथा अनुसन्धान के लिये ६५ हजार ८०० रुपये दिये गये। यह आशा की जाती है कि संस्थाओं को उन्नत करने तथा पाठचर्या को अपनाने के परिणामस्वरूप होम्योपैथिक प्रशिक्षण संस्थाओं का मानकीकरण करने की सिफारिश की गई। अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को रखना तथा औषधालयों का सुधार करना मूल रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है।

सेना कर्मचारियों को शुल्क-रहित सिगरेटें

†७४७. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना कर्मचारियों को शुल्क-रहित सिगरेटों तथा मद्य प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस समय उक्त रियायत केवल उन नौसेना कर्मचारियों को उपलब्ध है जो युद्ध-सेनानियों को ले जाने वाले जहाज पर चढ़े होते हैं।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) इस समय सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा ६० के अन्तर्गत भारतीय नौसेना के समस्त जहाजों पर चढ़े हुए सेनानियों को बिना आयात शुल्क दिये हुए वस्तुएं लेने का अधिकार है, जिनमें सिगरेटें तथा मद्य भी सम्मिलित है, यदि ऐसी वस्तुएं ऐसे जहाजों के नाविक गणों को उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा निशुल्क संभरित की जाती हों।

भारत सेवक समाज

†७४८. श्री दलजीत सिंह : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से लेकर १९६३ तक प्रत्येक वर्ष संघ सरकार द्वारा अब तक भारत सेवक समाज को दिये गये ठेकों की संख्या तथा उनका मूल्य क्या है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में लोक निर्माण विभाग की शाखायें

†७४९. श्री रिशांग किर्शिग : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६३ के अन्त तक मनीपुर में लोक निर्माण विभाग की जो शाखायें थीं उनकी संख्या कितनी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के दौरान प्रत्येक शाखा के लिये वित्तीय उपबन्ध तथा व्यय की राशि क्या है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रो (श्री मेहरवन्द खन्ना): (क) बारह।

(ख) यह निम्नलिखित है:—

शाखा का नाम	१९६१-६२		१९६२-६३		टिप्पण
	उपबन्ध (अन्तिम) (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	उपबन्ध (मूल) (लाखों में)	पूर्वानुमानित व्यय (लाखों में)	
१ इम्फाल भवन शाखा	३२.३५	३४.६८	२४.००	२३.५४	
२ राजमार्ग उत्तर शाखा	४३.६७	४३.०७	४४.००	४५.८०	}
३ निर्माण शाखा संख्या ३*	शून्य	शून्य			
४ राजमार्ग दक्षिण शाखा	१४.५२	११.६६			
५ निर्माण शाखा संख्या १	२६.६५	२८.४६	३५.००	३३.७४	}
६ निर्माण शाखा संख्या ४*	शून्य	शून्य			
७ निर्माण शाखा संख्या २@	शून्य	शून्य	३४.१८	२५.०८	
८ जल विद्युत तथा पुल परियोजना शाखा	३.५०	३.०३	६.००	६.७३	मुख्य रूप से अनुसंधान शाखा
९ जल सम्भरण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण शाखा	६.४६	६.३१	३०.६५	१६.०७	१९६१-६२ में मुख्य रूप से अनुसंधान शाखा
१० भण्डार और कर्मशाला शाखा	६.६२	६.६८	१०.०५	७.८४	५० लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं की देखभाल करना

*केवल जनवरी, १९६३ से ही कार्य करना प्रारम्भ किया

@ यह शाखा १९६१-६२ में नहीं थी।

शाखा का नाम	१९६१-६२		१९६२-६३		टिप्पण
	उपबन्ध (अन्तिम) (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	उपबन्ध (मूल) (लाखों में)	पूर्वानुमानित व्यय (लाखों में)	
११ विद्युत शाखा	७.००	६.९६	११.२५	९.७२	मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपक्रम तथा संधारण शाखा
१२ विद्युत परियोजना शाखा	६.९१	५.९२	११.९६	३.१५	मुख्य रूप से अनुसंधान शाखा
	१४८.३१	१४७.७३	२३१.३९	१९३.१३	

रीवां और रायपुर में मेडिकल कालेज

†७५०. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रीवा और रायपुर में दो मेडिकल कालेज स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने पूंजी परिव्यय पर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा परिव्यय का कितना भाग दिया जायेगा ; और

(ग) प्रस्तावित संस्थाओं के अन्य व्यौरे क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई १९६३ से दो नये मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिनमें से एक रीवा में होगा तथा दूसरा रायपुर में और प्रत्येक स्थान पर ५० विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा । योजना के व्यौरे राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु सामान्य पद्धति के अनुसार, राज्य सरकार निर्धारित सीमा के अधीन अनावर्ती व्यय के ७५ प्रतिशत तथा आवर्ती व्यय के ५० प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय सहायता पा सकेगी ।

जबलपुर में कैंसर अस्पताल

†७५१. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश में, एक कैंसर अस्पताल स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किस लागत पर और अस्पताल की स्थापना में केन्द्रीय सरकार कहां तक अंशदान देगी ; और

(ग) इस अस्पताल की क्षमता कितनी होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अस्पतालों का स्थापित किया जाना सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि ऐसा समझा जाता है कि जबलपुर में एक कैंसर औषधालय स्थापित करने की संभावना है जिस की अनुमानित लागत लगभग १० लाख रुपये होगी तथा जिस के लिये एक लोक-हितैषी ने २ लाख रुपये का दान देने का वचन दिया है। कैंसर के उपचार की वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार तदर्थ अनुदान देती रही है। १९६३-६४ के लिए प्रस्तावित औषधालय के बारे में कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्तावित औषधालय में २५ शय्याएँ होंगी।

केरल में कोराट्टी में सरकारी मुद्रणालय

†७५२. श्री मणिप्रंगाडन : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में कोराट्टी में सरकारी मुद्रणालय की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) मुद्रणालय तथा सहायक भवनों के २७.७३ लाख रुपये की लागत पर निर्माण की मंजूरी दे दी गई है और मुद्रणालय के प्रमुख भवन के लिये टेंडर आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी कर दी गई है। कुछ ही महीनों में काम के प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

बैंक आफ चाइना का बन्द होना

†७५३. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ चाइना के आलेख तथा खातों की जांच और लेखा परीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या किन्हीं अनियमित और अवैध सौदों का पता चला है ;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(घ) भारत में बैंक आफ चाइना की आस्तियों और निक्षेपों की राशि कितनी है ; और

(ङ) कलकत्ता और बम्बई में बैंक की आस्तियों को नीलाम करने से क्या वसूली हुई है और उन्हें किस प्रकार जमा किया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) बैंक के खातों और आलेखों की छानबीन हो रही है तथा इस समय, इस छानबीन और जांच के पूरा होने तक, अवैध सौदों, यदि कोई हों, के विषय में बताना संभव नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) बैंक के परिसमापन के तुरन्त पूर्व उस की गोचर आस्तियों का अनुमान १.५७ करोड़ रुपये लगाया गया था। तथा निक्षेपों की राशि लगभग ४५.१० लाख रुपये थी।

(ङ) बम्बई शाखा के फर्नीचर और स्थावर वस्तुओं के विक्रय से अभी तक १.५२ लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। अन्य आस्तियों के विक्रय अथवा वसूली के लिये, जिन में कलकत्ता शाखा की आस्तियां भी सम्मिलित हैं, आवश्यक कदम अलग से उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी

७५४. श्रीमती सावित्री निगम : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के किसानों की पंजाब की नहरों से समय पर पानी न मिलने की शिकायत अभां तक दूर नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) तथा (ख) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र ने पंजाब की नहरों से पानी की कमी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त की थीं और उन्होंने ने पंजाब सिंचाई विभाग के पश्चिमी यमुना नहर के अधिकारियों के साथ इस विषय पर कार्रवाई करनी आरम्भ कर दी है।

कलकत्ता में घड़ियों का पकड़ा जाना

†७५५. श्री बेरवा कोटा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० फरवरी, १९६३ को कलकत्ता में एक यात्री से, जिसने सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया था, लगभग ४०,००० रुपये के मूल्य की लगभग ६५० घड़ियां पकड़ी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह यात्री विदेशी था अथवा भारतीय तथा उस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन घड़ियों के निर्माताओं का नाम क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १० फरवरी, १९६३ को डमडम हवाई अड्डे पर एक यात्री से अनुमानतः ८९,०९० रुपये के मूल्य की १०८३ कलाई घड़ियां इस संगत विश्वास के साथ पकड़ी गई थीं कि उन्हें भारत में तस्कर रूप से लाया गया है।

(ख) यात्री भारतीय था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था।

(ग) पकड़ी गई सभी घड़ियां स्विटजरलैंड में बनी हुई हैं।

†मूल अंग्रेजी में

न्यू एशियाटिक इंस्योरेंस कम्पनी

†७५६. { श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वित्त मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ह) क्या यह सच है कि बीमा नियंत्रक ने न्यू एशियाटिक बीमा कम्पनी के मामलों में जांच का आदेश दिया है ;

(ख) क्या सरकार को जांच का अन्तिम प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ग) प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्रों (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) उपपत्तियों का स्वरूप, जैसी कि वे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में दी गई हैं, उस विवरण में पहले ही दिया जा चुका है जो तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में, जो १७ अगस्त, १९६० को लोक-सभा में दिया गया था, सभा-पटल पर रखा गया था ।

(घ) जैसा कि १७ अगस्त, १९६० को लोक-सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८१ के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है, कम्पनी को एक औपचारिक पत्र भेज दिया गया था जिस में लेखापरीक्षकों की उपपत्तियों की सूचना दी गई थी तथा उसे व्याख्या करने का अवसर दिया गया था । बाद में कम्पनी से प्राप्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए विधि मंत्रालय से परामर्श के साथ प्रतिवेदन की जांच की गई थी और बीमा अधिनियम की धारा ४८-ग द्वारा सरकार को प्राप्त शक्तियों के अधीन कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड में दो निदेशक नियुक्त करने का निर्णय किया गया था । तथाकथित कुरीतियों पर सरकारी निदेशकों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और विधि मंत्रालय से परामर्श के साथ उस की जांच की गई थी । विधि मंत्रालय के कहने पर कोई अग्रेतर कार्यवाही न करने का निर्णय किया गया है ।

मनीपुर से चिकित्सा छात्र

†७५७. श्री रिशांग किशिंग : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९६२-६३ में मनीपुर के छात्रों के लिये देश के विभिन्न चिकित्सा कालेजों में कितने स्थान रक्षित किये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से कालेजों में मनीपुर के छात्रों को दाखिला देने से इन्कार कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में उन्हें कालेजों में प्रविष्ट करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है या किया जायेगा ?

†मूल सभेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) विभिन्न चिकित्सा कालेजों में केवल मनीपुर के छात्रों के लिए ही कोई स्थान रक्षित नहीं किए गए हैं। वे संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के लिये कुछ विशेष कालेजों में रक्षित स्थानों में ही आ जाते हैं।

(ख) हां।

(ग) आसाम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़, में मनीपुर के दो अभ्यर्थियों में से एक को प्रथम एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से इसलिए इन्कार कर दिया गया था क्योंकि कालेज प्राधिकारियों ने नागालैंड सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः मनोनीत तीन अभ्यर्थियों को दाखिल कर लिया था। बाद में आसाम सरकार ने उसे प्री-मेडिकल कोर्स में दाखिल होने की अनुमति दे दी। वरतूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल में मनीपुर के छात्रों को इस आधार पर प्रवेश से इन्कार कर दिया गया था कि कर्नाटक विश्वविद्यालय गौहाटी विश्वविद्यालय की आई० एस० सी० अर्हता को मान्य नहीं समझता। बंकुरा सम्मिलीनी मेडिकल कालेज, बंकुरा, ने मनीपुर के उन छात्रों को दाखिला देने से इन्कार कर दिया था जिन्होंने बंगाली को एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा था।

(घ) सम्बन्धित कालेज प्राधिकारियों के साथ बात उठाई गई थी और जहां संभव था कठिनाइयों को दूर किया गया। मनीपाल कालेज प्राधिकारियों तथा बंकुरा कालेज प्राधिकारियों ने १९६३-६४ के लिये मनीपुर के छात्रों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करना स्वीकार कर लिया है।

लुंकारनसर को पीने का पानी

†७५८. श्री कर्णासिंहजी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रविधिक विशेषज्ञों ने लुंकारनसर के खारे पानी वाले क्षेत्र को पीने के पानी के सम्भरण के हेतु उत्पापक जलमार्ग के लिये तैयार किये गये प्राक्कलन की जांच और छानबीन कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) हां।

(ख) लुंकारनसर के खारे पानी वाले क्षेत्र को पीने के पानी के सम्भरण के हेतु उत्पापक जलमार्ग के लिये तैयार किया गया प्राक्कलन राजस्थान नहर परियोजना के पुनरोक्षित व्यापक प्राक्कलन का एक भाग है। परियोजना के तत्सम्बन्धी भाग में १००० क्यूजिक क्षमता वाले उत्पापक सिंचाई जलमार्ग का उपबन्ध है जिसमें से लगभग १०० क्यूजिक पीने के पानी के प्रयोजनों के लिये तथा शेष गैर-सिंचाई प्रयोजनों के लिये दिये जा सकेंगे।

बम्बई का सीमा-शुल्क विभाग

७५९. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के सीमा शुल्क विभाग द्वारा १९६० में कितने एजेंटों की एजेंसियां रद्द की गई थीं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त मामलों में बम्बई के सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और मामलों के निर्णय में यदि कोई विलम्ब हुआ हो तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों (कस्टम्स अथॉरिटीज) ने १९६० में कस्टम हाउस के ५१ एजेण्टों के लाइसेंस रद्द कर दिये या नये सिरे से जारी नहीं किये ।

कस्टम हाउस के एजेण्टों को लाइसेंस देने के लिए १९६० में बनाये गये नियम १५ जुलाई, १९६० से लागू हुए । इन नियमों के अनुसार जारी किया गया कस्टम हाउस के किसी भी एजेण्ट का लाइसेंस १९६० में रद्द नहीं किया गया । कस्टम हाउस के एजेण्टों से सम्बन्ध रखने वाले इन नियमों के जारी होने से पहले एजेण्टों की ये चार श्रेणियां थीं :— निकासी एजेण्ट (क्लीयरिंग एजेण्ट), दलाल, मुकद्दम और सामान-निकासी एजेण्ट (बैंगेज क्लीयरिंग एजेण्ट) । १९६० में इन एजेण्टों के लाइसेंसों के रद्द किये जाने या नये सिरे से जारी न किये जाने का विवरण नीचे दिया गया है :—

- (१) ७ लाइसेंस इसलिए रद्द किये गये कि या तो लाइसेंसदारों की मृत्यु हो चुकी थी या उन्होंने अपने लाइसेंस रद्द करने के लिए जमा कर दिये थे ।
- (२) दो मामलों में, लाइसेंसों को ३१ मार्च, १९६० से आगे नये सिरे से जारी करने से इसलिए इंकार कर दिया गया कि लाइसेंसदारों का व्यवहार अच्छा नहीं था ।
- (३) ४ लाइसेंसदारों ने नये नियमों के अनुसार लाइसेंस मांगे थे, पर कस्टम हाउस के एजेण्टों को लाइसेंस देने के नियमों के अनुसार बनायी गयी समिति ने उन्हें लाइसेंस दिये जाने के काबिल नहीं समझा ।
- (४) ३८ लाइसेंस अपने आप रद्द हो गये, क्योंकि लाइसेंसदारों ने, कस्टम हाउस एजेण्टों को लाइसेंस देने के लिए १९६० में बनाये गये नियमों के अनुसार, लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं भेजे, जो बम्बई के कस्टम हाउस की ४ जून, १९६० की सार्वजनिक सूचना संख्या ८१ के अनुसार आवश्यक था । बाद में, लाइसेंस के लिए इनमें से एक का प्रार्थना-पत्र आया और उसे लाइसेंस देना मंजूर कर लिया गया ।

(ख) इन मामलों को निबटाने में देरी नहीं हुई ।

बन्देल बिजली घर

†७६०. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में बन्देल बिजली घर के लिए अमरीका द्वारा वित्तपोषित चार बायलरों की अधिष्ठापना के काम में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : नीव का काम तथा अन्य असैनिक इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, जैसा कि सड़कों, भवनों, रेल पथ, कर्मचारियों के लिये कालोनी का निर्माण और डिसचार्ज सुरंग आदि को कंक्रीट से पक्का बनाना, हो रहा है ।

जनन संयंत्र और सामान के लिये क्रयदेश दे दिया गया है । रचना सामग्री स्थल पर पहुंचनी आरम्भ हो गई है तथा बायलरों के पुर्जे अमरीका से जहाज द्वारा भेज दिए गए हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

दन्त चिकित्सालय

७६१. श्री बेरवा कोटा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समस्त राज्यों में दन्त चिकित्सालय खोलने के लिये योजना बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अजय घाटी विकास योजना

†७६२. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अजय घाटी के बहु-प्रयोजनीय विकास के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य व्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रस्ताव की प्राक्कलित लागत क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अजय बेसिन के जल संसाधनों का उस सारे क्षेत्र को सर्वोत्तम लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाये इस पर पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारें तथा केन्द्र ध्यान दे रहे हैं । विस्तृत जांच-पड़ताल की अनुपस्थिति में अभी तक विकास की कोई निश्चित योजना स्पष्ट रूप से नहीं बन पाई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

'पी' फार्म

†७६३. श्री अ० क० गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकटकाल की घोषणा के बाद विदेश जाने के लिए 'पी' फार्म की मंजूरी के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितने मंजूर किये गये हैं ;

(ग) उनमें से कितने रद्द किये गये हैं ; और

(घ) कितनों का अभी निर्णय होने वाला है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १ नवम्बर, १९६२ से ३१ जनवरी, १९६३ तक की अवधि के लिये आंकड़े उपलब्ध हैं और वे निम्नलिखित हैं :—

(क) इस अवधि में १५,२१६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) इस अवधि में १३,३१७ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गए थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस अवधि में १४९ प्रार्थना-पत्र रद्द किये गए थे ।

(घ) ३१ जनवरी, १९६३ को १७५० प्रार्थना-पत्र निर्णय के लिये पड़े थे ।

श्रीषधि प्रविधिक मंत्रणा बोर्ड

†७६४. श्री रा० शि० पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैमिस्टों और ड्रिगिस्टों के संघ ने मांग की है कि संघ के प्रतिनिधि श्रीषधि प्रविधिक मन्त्रणा बोर्ड में लिये जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना पर विचार किया है और उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). ५ नवम्बर, १९५९ को लखनऊ में हुए पांचवें श्रीषधि सम्मेलन में ऐसा अभ्यावेदन किया गया था; तब कहा गया था कि श्रीषधि प्रविधिक मन्त्रणा बोर्ड एक ऐसा निकाय है जो कि श्रीषधि अधिनियम के अधीन प्रविधिक मामलों से सम्बन्धित है, व्यापारिक पहलुओं से नहीं ।

रेंड बांध

†७६५. { श्री बसु मतारी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या सिचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच रेंड बांध बनाने से बेघरबार हुए परिवारों की संख्या क्या है ; और

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जानकारी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकारों से एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मलेरिया संस्था, नई दिल्ली

†७६६. श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटकाल की घोषणा के बाद मलेरिया संस्था, नई देहली के प्रशासी कर्मचारियों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या संस्था के प्रविधिक कर्मचारियों में तदनरूप या कोई और वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). संकटकाल की घोषणा के बाद छुआछूत रोगों की केन्द्रीय संस्था में (जिसे पहले भारत की मलेरिया संस्था कहा जाता था) कोई

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासी कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। तथापि, घोषणा से पहले सात उच्च श्रेणी नलक नियुक्त किये गये थे। ये पद कुछ तो वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये और कुछ संस्था को छुग्राछूत रोगों की केन्द्रीय संस्था में परिवर्तित करके उसकी गतिविधियों का विस्तार करने के सरकारी निर्णय से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त काम को पूरा करने के लिये भरे गये थे।

संस्था में नये टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रस्तावित अधिष्ठापन के सम्बन्ध में निम्न चुनाव श्रेणी मानीटर का भी एक पद भरा गया था।

(ग) और (घ). वर्तमान राष्ट्रीय संकटकाल में मितव्ययता के एक उपाय के रूप में यह निर्णय किया गया था कि भारत की मलेरिया संस्था को छुग्राछूत रोगों की केन्द्रीय संस्था में बदलने की योजना के सम्बन्ध में मंजूर किये गये सभी पद न भरे जायें। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में वर्तमान अधिकारियों को छुग्राछूत रोगों की केन्द्रीय संस्था में स्थापित किये जाने वाले विभिन्न विभागों में पदेन रूप में प्रयुक्त किये जाने के प्रश्न पर ध्यान दिया जा रहा है। आवश्यकता होने पर केवल न्यूनतम पद जो अत्यावश्यक होंगे, भर जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और आयव्ययक प्राक्कलन

†सिन्हाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, वर्ष १९६३-६४ के लिये दामोदर घाटी निगम के आयव्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

†सिन्हाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१-६२ के लिये दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—६४४/६३ और एल० टी०—६५६/६३]

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं अपने सहयोगी की ओर से भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत, दिनांक ८ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७४ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (बीथा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—६६०/६३]

राज्य सभा से सन्देश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी ८ मार्च, १९६३ की बैठक में श्री एम० पी० भार्गव के समुद्री बीमा विवेक, १९६३ को पारित कर दिया है।

†मूल अंग्रेजी में

[सचिव]

२. श्रीमान् मैं श्री एम० पी० भागवत के समुद्री बीमा विधेयक, १९६१ को, राष्ट्र सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूँ।

सामान्य आयव्ययक- सामान्य चर्चा—जारी

†अध्यक्ष महोदय : श्री दे० जी० नायक अपना भाषण जारी रखें।

†श्री दे० जी० नायक (पंचमहल) : १९५५-५६ के बाद, जिसके विषय में श्री याज्ञिक ने आंकड़े प्रस्तुत किये थे, अवस्था में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय आय जो १९५०-५१ में ६,६७० करोड़ रुपये थी, १९६१-६२ में १४,१६० करोड़ रुपये हो गयी और गत दो वर्षों में उसमें ५७० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। औसत आय भी ६६ रुपये अधिक हो गई है। और कृषि मजदूरों की आय में भी, न्यूनतम मजुरी अधिनियम आदि के कारण, वृद्धि हुई है।

ग्रामीण जनता की अवस्था में सुधार हुआ है। कपड़े की खपत ६.२ गज प्रति व्यक्ति बढ़ी है और खाद्य उपभोग में भी वृद्धि हुई है। इसलिये यह कहना उचित नहीं कि गरीब लोग और अधिक गरीब हो गये हैं। यह बात अवश्य है कि जितना हमें करना है, उतना हम नहीं कर पाये हैं। इसके लिये प्रयास करना है। और मुझे आशा है कि आगामी दो यात्राओं में हम अपना ध्येय प्राप्त कर लेंगे।

ग्रामीण समाज भी प्रगतिशील हो रहा है। यह समाज अधिकतर कृषि पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है किन्तु यह सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। पिछले दस वर्षों में कृषि उत्पादन में १५ प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि जनसंख्या २५ प्रतिशत बढ़ी है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न किये जायें। गत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक भाग में लिखा था कि हम ८ करोड़ टन का उत्पादन कर सकेंगे। तृतीय पंच वर्षीय योजना में १० करोड़ टन का लक्ष्य है। मैं निवेदन करता हूँ कि शेष २ करोड़ टन का उत्पादन तृतीय पंच वर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण करने की व्यवस्था की जाये।

मिट्टी के तेल पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से निर्धन वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

†श्री दे० जी० नायक : दो मिनट, श्रीमान्। इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर पुनर्विचार किया जाये। इसे कुछ कम कर दिया जाये ताकि गरीब लोगों को राहत पहुंचे।

अनिवार्य बचत योजना के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि किसानों को यह रुपया देना चाहिए; किन्तु शहरों में रहने वाले लोगों में से जिनकी आय १२५ रु० है उन्हें यह देने में कठिनाई होगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह सीमा १५०० रुपये से बढ़ा कर २००० रुपये अथवा २४०० रुपये कर दी जाये।

†बूल अंग्रेजी में

श्री हनुमन्तया (बंगलौर नगर): श्रीमान्। धाय-व्ययक पर लोभ प्रकट करना सामान्य घटना हो गयी है क्योंकि स्वभावतः लोगों को अधिक धन व्यय करना पडता है।

इस वर्ष के धाय-व्ययक में एक विशेष बात है। हमें चीन से अपना खोया प्रदेश वापिस लेना है। किन्तु इस प्रयोजन के लिये ८०० करोड़ रुपये की राशि बहुत कष्ट है। मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि रूस ने चीन को १००० प्रक्षेपणास्त्र दिये हैं। मुझे हर्ष है कि श्री कृष्णमाचारी जैसे योग्य व्यक्ति प्रतिरक्षा उपकरणों के सम्बन्ध में अमरीका जा रहे हैं।

श्रीमान्, प्रायः हम कांग्रेसी कहा करते हैं कि हम अन्त तक लड़ेंगे। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक धारणा ही पराजयवादी है। हमें आशा और विश्वास के साथ कार्य करना है। इस प्रकार कहने से तो कोई बाहरी व्यक्ति यही समझेगा कि हमने मारी आशयें छोड़ दी हैं और हतोत्साह हो गये हैं। भारत विजयी होने की क्षमता रखता है। भारत के चीन से अधिक मित्र हैं। हमारी विदेशी नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि हम उन सब राष्ट्रों का, जो इस बात से सहमत हों कि हमें अपना खोया हुआ प्रदेश और सम्भाव प्राप्त करना चाहिये, सहयोग प्राप्त कर सकें।

वित्त मंत्री ने कहा है कि यदि राजस्व के लिये कोई अन्य साधन सुझाये जायें तो वह उन पर विचार करने के लिये तैयार हैं। मेरा सुझाव है कि रक्षा के अतिरिक्त कई मदों में सरकार द्वारा व्यय घटाया जा सकता है। चीन की जनसंख्या इस समय ७००० लाख है और बड़े बड़े विचारकों और इतिहासकारों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि इतनी बड़ी जनसंख्या ही चीन का सर्वोत्तम युद्ध करने का हथियार है। चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये हमें भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहिये और उसका प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसे पग उठाने चाहिये जिनसे हमारी जनसंख्या बढ़े। संसार भी भारत के प्रयासों से इसी प्रकार प्रभावित होगा। परिवार नियोजन पर हम २५ करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं और २५ करोड़ अतिरिक्त धन तृतीय योजना काल में व्यय करने का उपबन्ध है। यदि हम जनसंख्या को बढ़ाने की नीति पर चलें तो इन राशियों को रक्षा के कार्यों में जुटाया जा सकता है। चीन का मुकाबला हम जनसंख्या में वृद्धि करके ही कर सकते हैं।

सामुदायिक परियोजनाओं पर व्यय किये जाने वाले बहुत से धन को हम रक्षा कार्यों के लिये उपलब्ध कर सकते हैं। जैसे प्रचार कार्यों पर किया जाने वाला धन सुविधा से बच सकता है। इससे १० से २० करोड़ रुपया प्राप्त हो सकेगा।

रूस ने हमें ४ मिंग वायुयान दिये हैं। परन्तु चीन को वह १००० प्रक्षेपणास्त्र सम्भरित कर रहा है। श्री ख्रुश्चोव ने कई बार कहा है कि चीन उन का भाई है और भारत केवल एक मित्र। हमारे लिये भी अब यही उचित है कि हम घोषणा कर दें कि पश्चिमी लोकतंत्र हमारे भाई है और रूस केवल एक मित्र। पश्चिमी देश ही आक्रमण के समय हमारी सहायता के लिये आगे धाये थे। अतः हमें स्पष्ट रूप से उनका पक्ष लेना चाहिए।

एक अन्य सुझाव मैं बंगलौर की जल सम्भरण व्यवस्था के संबंध में देना चाहता हूँ। बंगलौर की जनसंख्या पहले केवल ३ लाख थी, अब यह बढ़ कर १५ लाख हो गई है। वही जल सम्भरण व्यवस्था जो ३ लाख व्यक्तियों के लिये थी अब उसी का प्रयोग १५

[श्री. हनुमन्तया]

लाख व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है। हमने सम्बद्ध मंत्रालय और वित्त मंत्री के पास कई बार प्रतिनिधित्व किया है कि बंगलौर की जल सम्भरण व्यवस्था में सुधार लाया जाये। हमने इस संबंध में एक कावेरी योजना भी बनाई है जिसके अनुसार कावेरी नदी के पानी का प्रयोग हम करेंगे। बंगलौर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और वह एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र हो रहा है। सरकारी क्षेत्र के बहुत से उद्योग वहां स्थापित हो चुके हैं। अतः वित्त मंत्री को बंगलौर की जल सम्भरण व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।

†श्री भागवत झा आजाद : (भागलपुर) : वित्त मंत्री ने बताया कि आयव्ययक तैयार करते समय उनके समक्ष राष्ट्र की रक्षा के लिये साधन जुटाने संबंधी उद्देश्य था। मैं उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता हूँ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन कर प्रस्तावों पर हमें रक्षा और विकास को दृष्टि में रखकर टिप्पणियां देनी हैं। रक्षा और विकास के साथ साथ बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को भी समक्ष रखना है। रक्षा संबंधी कार्यों की मांगें ८६७ करोड़ रुपये की हैं जो कि निर्विवाद हैं। रक्षा की मांगों के अलावा रक्षा के अतिरिक्त व्यय रह जाते हैं। परन्तु यदि हम देश की रक्षा तथा विकास दोनों के लिए साधन जुटाना चाहते हैं तो हमें इस आयव्ययक का समर्थन करना ही होगा।

विकास तथा रक्षा के लिये साधन जुटाने के लिए वित्त मंत्री ने जिस सिद्धान्त की शरण ली है वह समर्थनयोग्य है जो व्यक्ति जितना अधिक धन कमाता है उसे उसके अनुसार ही कर देने होंगे। १५०० रुपये की आय वाले व्यक्ति को भी ३ प्रतिशत अनिवार्य बचत के रूप में देने होंगे। यह बहुधा शिकायत की गई है कि करों आदि का बोझा निम्न श्रेणी के लोगों पर भी पड़ेगा। परन्तु यह बोझा सहना ही पड़ेगा। देश की रक्षा के उत्तरदायित्व की दृष्टि से सभी देशवासियों को बलिदान देने होंगे। इस आयव्ययक में ७०० करोड़ रूपयों की उपलब्धि की गई है जिनमें से ५०० करोड़ रुपये रक्षा कार्यों पर व्यय किये जायेंगे। इस समय जब कि हमारी स्वतंत्रता खतरे में है हर व्यक्ति को योगदान देना है। अतः मैं इस आयव्ययक के कर प्रस्तावों को उचित समझता हूँ।

पिछले १०, १५ वर्षों में उत्पादन शुल्क बढ़ता रहा। प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में देश ने आर्थिक दृष्टि से विकास किया। औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा। अतः निजी उद्योगों और साधनों को विकास की दृष्टि से कई रियायतें दी गईं। परन्तु उन रियायतों को समाप्त करने और देश की रक्षा तथा विकास में अधिक योगदान लेने का समय आ गया है।

अधिलाभ कर की आलोचना करने वाले लोग वही हैं जिन्हें कि यह कर अदा करना होगा। वह बड़े बड़े धनी लोग हैं। ऐसे लोगों द्वारा वित्त मंत्री को कई प्रकार से आरोपित किया गया है, और इस आयव्ययक की विभिन्न प्रकार से आलोचना की गई है। परन्तु यह लोग भूल गये हैं कि गत १५ वर्षों से इस सरकार और इस समाज द्वारा उन के उद्योगों को कई प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिलाभ कर से अर्थ-व्यवस्था में गतिबद्धता नहीं आयेगी, और विनियोग के लिए भी किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी।

†शुल धंधेजी में

रक्षा तथा विकास के लिये इस प्रकार साधन उपलब्ध करके वित्त मंत्री ने जिस कठिन कार्य को सम्पन्न किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। साधन जुटाने के उपायों पर मत-भेद हो सकते हैं। परन्तु वित्त मंत्री को स्थिति को समक्ष रखते हुए ऐसे पग उठाने ही थे।

कुछ धनी लोगों के विचारानुसार नमक पर कर लगाना चाहिये और योजनाओं में भी कांट छांट की जानी चाहिये। ऐसे धनी लोग देश में अल्प संख्या में हैं। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूँ कि देश की अधिकतर जनता, हालांकि वह इन करों के बोझों को सहन नहीं कर सकती, सरकार के साथ है और हर बलिदान के लिये तत्पर है। अतः मेरा सुझाव है कि किसी तरह के प्रभाव में आ कर अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है।

यदि कोई रियायतें दी जानी हैं तो अधि लाभ कर में नहीं बल्कि ऐसे करों में जिन का बोझ गरीबों के लिये उठाना कठिन हो रहा है।

मिट्टी के तेल पर कुछ रियायत दी जानी चाहिए। इस कर से गरीब बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे।

अनिवार्य बज्जत योजना से भी गरीब अथवा कम आय वाले लोग प्रभावित होंगे। इस पर भी वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि या तो इसे बिलकुल समाप्त कर दिया जाय, या इसे उसी रूप में रहने दिया जाय। कारण, कि इस में छूट देने से सरकार का उपलब्ध होने वाली राशि बहुत कम रह जायेगी। बेहतर यह होगा कि इतने धन के लिये कोई अन्य साधन ढूंढा जाय।

प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रशासनिक व्यय कम किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस बारे में और गम्भीरता से जांच होनी चाहिए और उस व्यय में अग्रेत्तर कमी होनी चाहिये। मेरा सुझाव यह भी है कि प्रशमसन से पारकिन्सन विधि को पूर्णतः हटा देना चाहिए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से और विदेशी व्यापार को अपने हाथों में ले लेने से भी अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

बसाबन्दी को समाप्त करने के मैं हक में नहीं हूँ। मैं तो सद्गुणों का समर्थक हूँ।

मूल्यों के स्तर रखने के बारे में भारतीय रक्षा नियमों का प्रयोग करना चाहिये। कीमतें बढ़ रही हैं, जिस के फलस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति घटेगी। दूसरी ओर कर लगाने से भी लोगों की क्रय शक्ति घटेगी। इसलिये मूल्यों को स्थिर रखने के संबंध में शीघ्र पग उठाये जाने चाहिये।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि सीमाओं पर वर्तमान शांति के कारण हमें शांति से बैठना नहीं चाहिये बल्कि तैयार रहना चाहिए। वित्त मंत्री पर यह आरोप लगाया गया है कि वह राजस्व का अनुमान कम लगाते हैं और व्यय का अनुमान अधिक। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि करों से प्राप्त राशियां अनुमानों के अनुसार ही हों।

श्री दाजी (इन्दौर) : जिस प्रकार देश की अर्थ-व्यवस्था का रंगीन चित्र वित्त मंत्री द्वारा खींचा गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तथ्य यह है कि तृतीय योजना में पूर्वधारणा के अनुसार राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी है। खाद्य उत्पादन भी १९६२ में गत वर्ष की अपेक्षा कम हुआ है। औद्योगिक उत्पादन हमारी आशाओं के अनुसार नहीं बढ़ा। निर्यात भी लक्ष्यों के अनुसार नहीं हो सकेगा। इन बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

[श्री दाजी]

वित्त मंत्रो की विकास और रक्षा संबंधी नीति से मैं सहमत हूँ। कई एक वस्तुओं के बायद बाजार पर जो प्रतिबंध लगाये गये हैं उन की भी मैं सराहना करता हूँ। प्रत्यक्ष कर जो बढ़ाये गये हैं उनका भी मैं समर्थन करता हूँ।

जैसा कि वित्त मंत्री ने स्वयं कहा कि हमारी कर प्रणाली में कर की दर का लाभ की प्रतिशतता से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी प्रणाली की त्रुटि है, अतः इसमें नियमितता लाने के लिए जो भी पग उठाये जायें वह समर्थनीय हैं। इतना अधिलाभ कर अदा करने पर भी मैं संचुरी टैक्सटाइल मिल्स के पास ६० लाख, अम्बिका मिल्स के पास ४० लाख, हिन्दुस्तान मोटर्स के पास १४० लाख, इंडियन ट्यूब के पास १०० लाख, जैसप के पास ६० लाख, रुपये, लाभ के रूप में बच जाते हैं। इतना लाभ बचाने के बावजूद भी अधिलाभ कर के विरुद्ध शोर मचाना अनुचित है।

परिलब्धियों को कम करने की पद्धति तो ठीक है परन्तु देखना यह है कि क्या यह काफी होगा। सार्थों और समवायों की आय की गणना एक ही प्रकार से नहीं होती। समवायों की आय की गणना में व्यक्तिगत व्यय को भी समवाय का व्यय दिखा दिया जाता है। सार्थों के संबंध में ऐसा नहीं होता। समवायों की आय की गणना में इस त्रुटि को ठीक करना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार समवायों द्वारा बहुत सा धन व्यय के रूप में दिखा दिया जाता है जब कि वास्तव में वह व्यक्तिगत प्रयोजनों पर व्यय किया जाता है।

हमारे देश में आय में असमानता उन देशों से भी अधिक है जो समाजवादी नहीं हैं। निम्नतम १० प्रतिशत लोगों की आय २२ नया पैसा प्रतिदिन की है। और उच्चतम १० प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय का ३६ प्रतिशत भाग ले जाते हैं, जब कि अमरीका में ३१ प्रतिशत और ब्रिटेन में ३० प्रतिशत के ही आंकड़े हैं। हमारे देश के ६० प्रतिशत लोग २५ रुपया प्रति मास ही कमाते हैं। इस पृष्ठभूमि को समझ रख कर ही हमें अपनी कर नीति, विकास कार्यों और बजट संबंधी नीति को निर्धारण करना है। परन्तु हमारी अर्थ और वित्तीय नीतियों में त्रुटि यही है कि इस पृष्ठभूमि को समझ रख कर समस्या का समाधान नहीं किया गया।

हमारी सरकार की अर्थ नीति में असफलता का कारण यही है कि प्रत्यक्ष करारोपण का उचित प्रकार प्रयोग नहीं किया गया। हमारे देश में निजी क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, परन्तु असमानता वैसे की वैसे बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप धन धनी लोगों के पास केन्द्रित हो रहा है। यदि समवायों के शेयरों को देखें तो विदित होगा कि अधिकतर शेयर कुछ एक धनी लोगों के पास ही हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि धन एक वर्ग विशेष के पास केन्द्रित हो रहा है। इसी कारण वित्त मंत्री को स्वीकार करना पड़ा कि कर व्यवस्था का लाभ की प्रतिशतता से कोई संबंध नहीं है। परन्तु मेरा सुझाव है कि इन में संबंध होना ही चाहिये। यदि आय के वितरण में असमानता बनी रहेगी तो साधारण व्यक्ति भूखमरी के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकेगा। इस आय व्ययक पर इसी प्रसंग में हमें विचार करना है।

यदि इस प्रसंग में हम मिट्टी के तेल, तम्बाकू, साबुन, घागा, आदि वस्तुओं पर परोक्ष करों को देखें तो विदित होगा कि इस का सारा बोझ अधिकतर उन लोगों पर पड़ेगा जो २५ रुपये से भी कम आय वाले हैं। इससे गरीब लोग और दब जायेंगे। यह बजट चीनियों के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि पहले ही भूखे और नंगे लोगों से लड़ने के लिये तैयार किया गया है। धनी लोग जो धन जमा कर रहे हैं उन पर अधिक बोझ नहीं डाला गया। देश की अर्थ-व्यवस्था और सामान्य राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय को देखते हुए यह कर प्रस्ताव सर्वथा अनुचित हैं। भारतीय नागरिक कार्मिक संघ संस्था द्वारा भी इसी तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान कर व्यवस्था में गरीबों पर अधिक बोझ डाला गया

है। इस आधार पर मैं इस बजट का विरोध करना चाहता हूँ। आप रक्षा और विकास के लिए साधन जुटाने जा रहे हैं परन्तु यह रक्षा और विकास किन लोगों का होगा। निश्चय ही गरीबों पर अधिक और असह्य बोझ डाल कर आप उन का विकास और रक्षा करना चाहते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा है कि वह किसी भी प्रभाव में आ कर, कर सम्बन्धी प्रस्तावों में परिवर्तन नहीं करेंगे। परन्तु मैं ६० तिशत लोगों के नाम पर, जो २५ रुपये से भी कम आय वाले हैं, यह निवेदन करूंगा कि अप्रत्यक्ष करों में रियायत दी जाय। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए आप कर अपवंचकों को पकड़िये। इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में कर अपवंचन होता है। परन्तु सरकार का इन लोगों से बर्ताव बहुत नम्रतापूर्ण है। उदाहरणार्थ आप श्री डालमिया के साथ किये जा रहे बर्ताव को देख सकते हैं। उन को अब अस्पताल में धाराम से एक कमरे में रखा गया है। मेरा निवेदन है कि कर अपवंचकों के साथ आप कड़ा व्यवहार करें। और कर अपवंचन को एक दण्डनीय अपराध घोषित कर ।

हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा देने को तैयार हैं। केवल बड़े बड़े धनी लोग हमारा खून निचोड़ रहे हैं। रबी-एशियाटिक संस्थाओं द्वारा बीमा अधिनियम, समवाय अधिनियम, आदि, का उल्लंघन किया गया है। इस के बावजूद भी उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि आप आयकर अधिनियम में संशोधन करके कर अपवंचन के लिए कड़ी सजायें न रखेंगे, स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमारी राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है परन्तु वह सारा धन धनी लोग ले गये हैं, जबकि साधारण व्यक्ति खून और पसीना बहा रहा है।

शासनिक व्यय में कमी कर के बहुत साधन बचाया जा सकता है। श्री बी० के० आर० बी० राव, विश्वदात अर्थ-शास्त्री, ने कहा है कि प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययिता से तृतीय योजना में ७५० करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। प्राक्कलन समिति ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। परन्तु सरकार की ओर से प्रशासनिक व्यय में कमी करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी एक अनियमितता है।

प्रशासनिक व्यय में कमी कर के मिट्टी के तेल और मोटर स्पिरिट पर कर को हटाया जा सकता है।

विदेशी सहायता का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

फिजूल खर्ची की शिकायत भी उचित है। वित्त मंत्री ने कहा था कि हम उन के सामने उदाहरण दें। मैं उदाहरण देने को तैयार हूँ। आप रेडियो स्टेशन में जा कर देखिये, कि आवश्यकता न होने पर भी दीवारों पर घड़ियां लगी हुई हैं जोकि मार्च मास में खरीदी गईं। योजना आयोग में मार्च मास में नया फर्नीचर खरीदा गया। इन मदों में यदि हम मितव्ययिता करें तो अधिक धन बच सकता है।

अन्त में बचत और निम्न आय वर्ग पर प्रत्यक्ष कर का प्रश्न आता है। कहा गया है कि यह मुद्रा स्फीति को कम करने का उपाय है। मैं कहता हूँ यह भूखों मारने का उपाय है। भला १२५ रुपया वेतन पाने वाला व्यक्ति कैसे बचत कर सकता है? गांव में तो ५० रुपये पाने वाला कैसे बचत करेगा। हमें देश भक्ति पर कर का इतना बोझ नहीं डालना चाहिए।

क्या इस प्रकार की धित नीति के साथ राष्ट्र उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है जबकि नरभक्षी सिंह पूंजीपति आजाद है। इस से समाजवाद की व्यवस्था नहीं लायी जा सकती। आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते। इस से पूंजीपति का नियंत्रण किया जा सकता है।

[श्री दाजी]

आप दोनों घोड़ों पर जन साधारण पर भी और धनी लोगों पर भी सवार रहना चाहते हैं। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। आप को एक का सहारा लेना होगा अन्यथा विफलता अवश्यम्भावी है। हमें आय पर ३००० रुपये की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये।

†श्री खाडिलकर (खेड) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने चीनी आक्रमण की चुनौती का साहस से मुकाबला करते हुए राष्ट्रीय साधनों को संगठित करने का प्रयत्न किया है। अतः वर्गवाद के भाव से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आधार पर यह विचार करना है कि यह चुनौती कैसी है।

चीन ने हमारी राष्ट्रीय एकता को ही नहीं प्रत्युत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दी है कि हमारी व्यवस्था उन की तानाशाही व्यवस्था का कैसे मुकाबला कर सकती है।

अतः यह विचार करना है कि चीन ने कितनी उन्नति की है। उन्होंने कुछ बातों में निस्सन्देह उन्नति की है जैसे उन का इस्पात का उत्पादन हमारे उत्पादन से तीन गुना है। इस का सैनिक दृष्टि से महत्व है। उन की राष्ट्रीय आय ३ १/२ गुना बढ़ी है जबकि हम दुगुनी भी नहीं कर सके।

हमें यह लड़ाई अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लड़नी है। उन की राष्ट्रीय आय का ४ गुना ब जाना निस्सन्देह हमारे लिए चुनौती है।

इस बजट में प्रतिरक्षा का खर्च दुगुना हो गया है। पर इस में दो बातों में प्रगति हुई है एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में ४० और ६० का अनुपात रह गया है। दूसरे कम्पनियों में वेतन की सीमा ५००० रुपये निर्धारित कर दी गई है।

अब देखना है क्या इस बजट से अर्थ-व्यवस्था को गति मिली है। क्या कम्पनियों पर कर लगाने से उत्पादन बढ़ेगा। सैनिक उपकरणों का उत्पादन राष्ट्र की आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है। अतः यह देखना है कि अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के बिन्धे क्या किया गया है।

महालनोबिस प्रतिवेदन से पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। विकास-शील अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाता है। मुझे विश्वास है कि वित्त-मंत्री ने जिन उपायों को अपनाया लोग उसे अपनायेंगे। लोगों को यह बोझ उतारना होगा।

मिट्टी का तेल जन साधारण द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है अतः इस पर कर नहीं लगना चाहिये। सरकार को कर के लिए कोई अन्य विकल्प देखना चाहिये।

समवाय विधि प्रशासन के विवेदन से पता लगता है कि मध्यम वर्ग की कम्पनियों की क्षति ठीक नहीं। पूंजी कुछ एक हाथों में है जिन की सहायता के बिना नया उद्योग अंधा आरम्भ ही नहीं हो सकता। इसे दृष्टिगत रखते हुए समवायों पर कर लगाना चाहिये। निगम का कर ५० से ५५ प्रतिशत कर लीजिये। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग परस्पर मिल कर काम कर सकते हैं।

माननीय मंत्री को मन्वनिषेध की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये । इस से राजस्व की उपलब्धि हो सकती है । पुराने नैतिक ष्टिकोष को छोड़ देना चाहिये ।

वे जो बड़े आत्मसंयमी हैं । उन्हें यह आत्म संयम सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे कर प्रदर्शित करना चाहिए ।

†श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : मैं इस साहसपूर्ण बजट का समर्थन करती हूँ । मैं एक सदस्य के इस कथन से स्तम्भित रह गई कि अतिलाभ कर से मुनाफे की भावना समाप्त हो जायगी । यदि ऐसा है तो मैं कहूँगी कि यह कर और अधिक होना चाहिये ताकि इस आपतकाल में मुनाफे की बजाय सेवा की भावना का उदय हो ।

किन्तु मेरी शिकायत यह है कि यह कर व्यवस्था बड़ी बटिल है । यदि श्रामीनों के लिए बचत की योजना राजस्व में ही मिला दी जाय तो उन्हें आसानी से समझ आ सकती है ।

विभागों से कहना चाहिये कि वे कम से कम १५ प्रतिशत बचत करें । कर्मचारियों की संख्या में कमी करनी चाहिये ।

अनेक योजनाओं के लिए बजट व्यवस्था की जाती है किन्तु उसे उपयोग में नहीं लाया जाता । उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्रालय की योजनाएँ हैं । अपंग लोगों की शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था न करने से वे समाज के लिए दायित्व बने हुए हैं । अतः शिक्षा मंत्रालय को तेजी से प्रगति करनी चाहिये ।

विभागों के कार्य-में समन्वय का अभाव एक बड़ी बीमारी है । विभिन्न मंत्रालय, मन्व निषेध, परिवार नियोजन आदि के शिक्षण के लिए शिविर लगाते हैं । यदि इन में समन्वय हो तो कई विभागों का विलय किया जा सकता है ।

व्यवहारी कर अपवंचन के लिए अनेक उपाय करते हैं । यदि व्यक्तियों पर कर लगाने की बजाय परिवार की आय पर कर लगाया जाये तो कर-अपवंचन को रोका जा सकता है ।

प्रशासनिक कार्यों में विलम्ब को समाप्त करना चाहिये । भारत सबक समाज को हाल में जो पैसा दिया गया है क्या वह उस सारे साल की व्यवस्था को डेढ़ मास में खर्च कर सकता है ।

मैं समझती हूँ कि पूर्ण मन्वनिषेध आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ठीक नीति है । माना कि मन्व से १०, १५ करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है किन्तु दरिद्र लोगों की जेब से ६० करोड़ रुपया चला जाता है । अतः मन्व निषेध के लिए लोगों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था लेनी चाहिये ।

सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य श्रेयस्पद है । उस पर व्यय किया गया रुपया व्यर्थ नष्ट नहीं हो रहा ।

हमारे देश के विरुद्ध जो झूठा प्रचार हो रहा है उस का मुकाबला करने के लिए हमारा विदेशी प्रचार बहुत असफल है । विदेशी प्रचार विभाग को आन्तरिक प्रचार विभाग में मिला देना चाहिये ।

[श्री मती सावित्री निगम]

समाचार प्रसारकों की नियुक्ति के ढंग में गड़बड़ है। उस के लिए किसी उच्च अधिकारी का सम्बन्धी होना आवश्यक है।

मिट्टी के तेल पर कर उचित नहीं है। इस का अपव्यय रोकने के लिये गैस के बूल्हे तैयार करने चाहिये।

श्री ज० ब० सि० बिष्ट (अन्मोड़ा) : पिछले पंद्रह वर्षों से हमारा जीवन धाराम से बीत रहा था अतः उदासीनता का भाव पैदा हो गया था। किन्तु चीन के आक्रमण ने हमारी आँखें खोल दी हैं। अतः हमें बलिदानों के लिए तैयार होना चाहिए।

इस बार लगाये गये करों का अत्यधिक प्रभाव निश्चित आय वाले लोगों पर पड़ेगा क्योंकि उन का कर वेतन से काट लिया जाता है जब कि व्यापारी कर अपवंचन के ढंग जानते हैं।

कर का प्रभाव दरिद्र लोगों पर अधिक पड़ेगा। लेकिन लोग इस शर्त पर इस लिये तैयार हैं कि उनके धन का सदुपयोग हो।

इसके साथ ही सरकारी खर्च में कमी की जाती तो किसी को गिला न होता लोगों को बचत का उपदेश देने का काम तभी हो सकता है यदि सरकार भी बचत कर के दिखाये। लोग अदमता आलस्य और फजूल खर्ची को सहन नहीं कर सकेंगे।

लोक निर्माण विभाग के व्यय में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

कोलम्बों योजना के प्रति चीन के रवैये और पाकिस्तान के साथ उसके समझौते से यह स्पष्ट है कि चीन कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता। आज कल की शान्ति अस्थायी है। अतः हमें उदासीन नहीं होना चाहिये। हमें देश की रक्षा के लिये सचेत रहना चाहिये।

तिब्बत के साथ व्यापार करने वाले लोगों का जीविका का क्योंकि साथ नहीं रहा। उन के लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, जब २८ फरवरी को श्री मोररजी देसाई ने यहां बजट पेश किया तो यह जाहिर किया था कि उन्होंने उस में २७५.५० करोड़ ६० का कर भार डालने का निश्चय किया है। उन्होंने खुद कहा है कि यह एक अभूतपूर्व कर भार है। यह तो कर बाढ़ थी। जिस तरह से बाढ़ आती है, नर्मदा में बाढ़ आती है, दूसरी नदियों में बाढ़ आती है उसी तरह से करों की बाढ़ आ गई है सामान्य जनता के लिये अगर वास्तव में देखा जाये तो हमारे वित्त मंत्री जी क्या करें? इस वक्त डिफेंस का सवाल हमारे सामने है। चाइना का आक्रमण हो गया है। यह भी जाहिर है कि उस वक्त हमारी तैयारी नहीं (अनप्रिपेअर्डनेस) थी। ऐसे वक्त में जितने भी कर लगें, जितने भी पैसों की जरूरत हो, उतने कर लगने ही चाहिये। मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने डिफेंस के लिये जो ८०० करोड़ से ऊपर मांगें हैं उन को देने के लिये जनता सहर्ष तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ यह देखने की बात है कि डिफेंस के साथ साथ डिवेलपमेंट को भी जोड़ा गया है। इसको डिफेंस डिवेलपमेंट बजट कहा जाता है। लेकिन डिवेलपमेंट और डिफेंस के साथ साथ दूसरे मंत्री भी कुछ योजना करते हैं और कहते हैं कि हम को पैसा चाहिये। डिफेंस के मिनिस्टर भी कहते हैं कि पैसा चाहिये। ऐसी हालत में वित्त मंत्री का यह कतव्य हो जाता है कि वे कहीं से पैसा लायें। इस लिये वित्त मंत्री जो ने दोनों तरफ देखा। डाइरेक्ट और इन डाइरेक्ट दोनों टेक्सेज लगा कर उन्होंने

[मूल अंग्रेजी में]

हमें यह बतनाया कहां से पैसा आयगा। उसी के अनुसार उन्होंने अपना बजट बनाया है। इस बजट के लिये किसी ने कहा है कि यह डिफेंस बजट है, किसी ने कहा यह किर्लिंग बजट है, किसी ने कहा यह स्टीम रोलर बजट है, राजा जी ने कहा कि यह मैडमेन्स बजट है। लेकिन मैं कहता हूं कि पागलपन का एक ढंग है। पागलपन सुयोजित होने के कारण यह बुद्धिमत्ता का बजट है। मेरा तो ख्याल है कि यह विक्टरी बजट है और चाइना के ऊपर विक्टरी पाने के लिये ही हमारे वित्तमंत्री ने कहा कि इस वक्त डिफेंस को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। ऐसा उन्होंने हिन्दी के अपने भाषण में कहा हुआ है। जब चाइना का आक्रमण हुआ तब हमने १४ नवम्बर को प्लेज लिया और हमारा यह कतव्य हो जाता है कि चाहे कुछ हो हमें देश के वास्ते सक्किफाइस करनी चाहिये। उस के वास्ते हम तैयार हैं अनता भी तैयार है।

लेकिन साथ ही साथ हम को देखना चाहिये कि जो करों का भार आ पड़ा है उसका कारण यह है कि पहले इमर्जेंसी रिस्क इश्योरस का रेट कम किया गया, उस के बाद आप सेल्स टैक्स १ से २ करने वाले हैं। इस के लिये आप अभी बिल लाने वाले हैं। रेलवे मंत्री जी ने कर बढ़ा कर १६ करोड़ ६० कर दिया, और स्टेट्स में भी कर बढ़े हैं। इसके लिये मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार का कोआर्डिनेशन होना चाहिये कि कितना कर जनता पर पड़ जाता है जहां पर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने यह नहीं किया है वहां पर गड़बड़ी होती है।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आप के सामने एक ही खतरा है। आप को देखना चाहिये कि कम्युनिस्ट लोग क्या कहते हैं। वे यहां पर क्या कहते हैं और बाहर क्या कहते हैं। यहां पर कम्युनिस्ट लोग गरीबों के लिये आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि गरीब मारे जाते हैं, बाहर कहते हैं कि कैपिटलिस्टों से और ले लिया जाये। आप को यह समझना चाहिये कि इस वक्त आपने जो गरीबों पर टैक्स लगाया है उसका वे कैपिटल बनाना चाहते हैं और शासन को बदनाम करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट चाइना का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिये लोग इस बात का फायदा उठाएंगे। इस लिये इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि आज दरअसल गरीब लोगों पर कौन से ऐसे टैक्स लग रहे हैं जिन से गरीब जनता शासन को कोसेगी। वित्त मंत्री जी को टैक्स लगाते वक्त अपने डिस्क्रिशन से काम लेना चाहिये।

हमने देखा है कि पहले तो प्राइस लाइन बढ़ी और माननीय डेबर जी ने भी कहा कि प्राइस लाइन कम करनी चाहिये। यदि प्राइस लाइन ऊंची हो जाती है तो गरीबों की पर्चेजिंग पावर कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की ताकत कम हो जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी। वस्तुओं की कीमत बढ़ने के साथ साथ मैंने देखा है कि जब उस का प्रभाव शहरों में पड़ता है तो गांवों में जो प्रोड्यूसर लोग हैं, जोकि उत्पादन करते हैं, उन के ऊपर भी उस का प्रभाव पड़ता है। उत्पादन तो होता है लेकिन प्राइस लाइन बढ़ जाती है। उस के लिये आवाज उठाई जाती है कि काश्तकारों को कम कीमत मिलती है। इस लिये आप को देखना चाहिये कि ऐसे कौन से टैक्सेज हैं जिन से प्राइस लाइन बढ़ेगी, जो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। जब हाउस में आपके सामने आवाज उठती है कि इस से प्राइस लाइन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गरीब जनता पर बजन बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग कम हो जायेगी। इस की तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण से आप अपने बजट प्रपोजल्स को रिवाइज करें। आप को ऐसा करना ही चाहिये। यहां पर कोई प्रेशर का सवाल नहीं है। आप और हम दोनों इस देश को डिफेंड करने के लिये निकले हैं, हम डिफेंस के लिये तैयार हैं। आज जितने भी टैक्सेज चाहिये, जनता देने के लिये तैयार है, लेकिन साधन को हमें देखना चाहिये। कौन सा पैसा ऐसा है जिस को हम कम कर सकते हैं। जहां पर कमी हो सके वहां कमी करनी चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

[श्री बड़े]

और जो दो टेक्सेज हैं उन के ऊपर भी यहां काफी चर्चा हुई है। एक तो कम्पलसरी सेविंग स्कीम और दूसरे सुपर प्राफिट टेक्स। इन पर विचार करना बहुत जरूरी है कम्पलसरी डिपाजिट्स स्कीम के बारे में मेरा यह कहना है कि आप ने काश्तकारों के ऊपर जो टेक्स लगाया है उस के अनुसार उनकी जो लैंड रेवेन्यू होगी उस का ५० प्रतिशत उसे बचाना चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो आप ने उस के बारे में रखा है कि : इसे भूराजस्व की तरह वसूल किया जायेगा।" यानी उस के बेल, उस के हल, उस की जमीन को नीलाम कर के उसे रियलाइज किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर आप सोचिये कि यदि अनइकनामिक होल्डिंग है, जिस से इतना उत्पादन नहीं आता है कि किसान का पोषण हो सके, तो उस पर कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम न लागू हो। अगर यह कर दिया जाय तो वह प्राविजन काफी सफलीभूत हो सकेगा। हमारे यहां अनएकनामिक होल्डिंग वह समझी जाती है जो बीस एकड़ से कम की है। इस लिये उन पर कम्पलसरी डिपाजिट्स स्कीम नहीं लागू होनी चाहिये। दूसरे कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम में जो आदमी पैसा जमा करता है उस के लिये उस कैश करने का प्राविजन भी होना चाहिये। यह बिल आफ एक्सचेंज की तरह पर ट्रांसफरेबल होना चाहिये। मान लीजिये किसी के पास डिपाजिट है और दूसरा भी आदमी को वह ट्रांसफर करना चाहता है तो कंरसी नोट की तरह से यह भी ट्रांसफरेबल एक्सचेंजबल होना चाहिये। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप की यह कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम कामयाब होगी, नहीं तो जैसा कहा जाता है कि काश्तकार के बारे में : "वे जीवन पर्यंत कर्जदार रहते हैं" वह इन्हरिटेंस में ही डेट्स लेता है। मैंने देखा है कि अगर कोई किसान १०० रु० कर्ज लेता है तो उस को आखीर में डढ़ या दो सौ रुपया साहूकार को देना होता है, काश्तकार का पूरा परिवार धीरे धीरे कर्ज से दब जाता है। ऐसी सूरत में वह कम्पलसरी सेविंग स्कीम के लिये पैसा कहां से देंगे। आप को इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरी मेरी मांग यह है कि जो लो इनक ग्रुप वाले लोग हैं, जैसे कि ३,००० रु० से ५,००० रु० तक के लोग हैं। उन पर आप ने जो सरचार्ज लगाया है उस पर आपको विचार करना चाहिये। कम्पलसरी डिपाजिट्स स्कीम उन लोगों के लिये नहीं हीनी चाहिये क्योंकि इस से जनता में काफी असन्तोष है।

दूसरी बात आप को यह सोचना चाहिये कि आप जो सुपर प्राफिट्स टेक्स लगाने जा रहे हैं उस के बारे में आप को सोचना चाहिये कि इस से इन्वैस्टमेंट आयेगा या नहीं। अगर आप सुपर प्राफिट्स टेक्स लगाते हैं तो लोग डिविडेंड्स में कम मिलेंगे ज्यादा शेयर वे नहीं लेंगे और जब ज्यादा लोग शेयर नहीं लेंगे तो कैपिटल नहीं आयेगा। कैपिटल ज्यादा न आने से इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप इस के खिलाफ लोगों ने काफी आवाज उठाई है। किसी ने कहा है "उद्योग में पैसा लगाना मृत्यु के समान है।" यहां से वहां तक देश की जनता इस के वास्ते आवाज उठा रही है। इस के लिये आप को डिस्क्रिशन इस्तेमाल करना चाहिये। यह जो करों की बात आई है, फल्ट्स जैसा आया हुआ है, उस में जो बड़े बड़े उत्तुंग लोग हैं, इंडस्ट्रियलस्ट्स जो पुराने हैं, आप उन के ऊपर टैक्स लगाइये। लेकिन जो छोटे लोग हैं, पांच पांच या सात सात साल से कम पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, जो नई इंडस्ट्रीज हैं, उन पर यह सुपर प्राफिट्स टेक्स नहीं लगना चाहिये। जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उन पर लगाइये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैन्युफेक्चर कम होगा। मैन्युफेक्चर नहीं होगा तो कैपिटल नहीं बढ़ सकेगा। छोटे लोग मैन्युफेक्चर नहीं बढ़ा सकेंगे। मैन्युफेक्चर वही लोग कर सकेंगे जिन के हाथों में कैपिटल है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि मंहगाई न बढ़ और साथ साथ कैपिटल आवें और इंडस्ट्रीज बढ़ें यह आपको देखना चाहिये। तो इन्वैस्टमेंट और कास्ट प्राइस इन दोनों को ध्यान में रख कर आपको अपना बजट प्रस्तुत करना चाहिये।

फिर आप कहेंगे हम पैसा कहां से लायेंगे। मैं कहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी सदस्य बजट पर बोले हैं उन्होंने आपके बजट को बहुत अच्छा कहा है, लेकिन बाद में उन्होंने "बट" और "इफ" लगाया है। जो उन्होंने कहा है वही हम भी कहना चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा है कि इनकम टैक्स ठीक तरह वसूल कीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफी पैसा मिल जायेगा।

उदाहरण स्वरूप, ५८७.८१ लाख की राशि को अन्य व्यय के रूप में दिखाया हुआ है। इसमें यदि दस परसेंट कट हो जाये तो मैं कहता हूँ कि सात करोड़ रुपये आपको बच सकता है। अगर आप खादी और अम्बर चरखे के फंड को खत्म करदे तो आपको सात करोड़ बच सकता है। यह विभाग तो अपने एक अनायालय की तरह खोल रखा है। जिनको काम हीं मिलता उन अपने लोगों को आप इस में लगा देते हैं। ये जो फंड कांग्रेस के साथ चले आ रहे हैं इन को बदलते हुये समय के साथ आपने नहीं बदला है। अगर आप इन चीजों को खत्म कर दें तो आपको बहुत बचत हो सकती है।

दूसरे आपने कैरोसीन पर टैक्स लगाया है। इस पर देश में काफी चर्चा है। आज देश में गांव गांव में, पहाड़ी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में इसकी चर्चा है। अगर आप इस की एक बोतल पर दस नवा पैसा बढ़ा देंगे तो लोग शासन को कोसेंगे।

इसी तरह से आपने जो कर सोप पर लगाया उस का भी देश में असंतोष है। आपने जो स्ट्रॉ बोर्ड पर कर लगाया है इससे जो चीजें पैक की जाती हैं उनका दाम बढ़ जायेगा।

आप ने तम्बाकू पर भी कर लगाया है। तो आप को देखना चाहिए कि जो जनता की रोज की आवश्यकता की चीजें हैं उन पर कर न लगाया जाय, अगर आप इन चीजों पर कर लगायेंगे तो जनता कहेगी कि हम तो जगें हुए हैं चीन का मुकाबला करने के लिए लेकिन दिल्ली सो रही है। छुट्टियां कम करनी चाहिये। पिछली २६ जनवरी को शनिवार था और उस दिन छुट्टी थी। अगले दिन इतवार पड़ता था। तो महाराष्ट्र सरकार ने इतवार को वर्किंग डे कर दिया क्योंकि शनिवार को छुट्टी थी इसलिए कि इस मरजसी में हम को ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में तो शनि, रवि, सोमवार को छुट्टियां थीं। अगर आप भी इन बातों का खयाल रखेंगे और जनता के सामने ऐसे उदाहरण रखेंगे तो जनता को विश्वास हो जायेगा कि सरकार जाग्रत है और जनता से जितनी बचत हो सकेगी जनता करेगी।

आप ने यह तो कह दिया कि हम ने बचत करनी है लेकिन मैं ने आज सुना है कि ६ हजार लोग ने दिल्ली में प्लेटफार्म पर सोते हैं। २८ फवरी को काफी सरकारी कर्मचारियों को नोटिस दे दिया गया है, यह भी पता चला कि रेलवे में ८०० जगहों के लिए, जिनके लिए केवल मेट्रिक पास लड़कों की आवश्यकता थी, १७ हजार लोगों ने दरखास्त भेजीं, और इन में अठ्ठाईस बी० ए० पास थे। तो यह अनएम्पलायमेंट की हालत है। इस और आप ध्यान नहीं देते हैं अगर आप इन समस्याओं को टैकिल करेंगे तो जनता में विश्वास पैदा हो जायेगा। और यह जो आप की कम्पलसरी सेविंग को स्कॉम है। और जो आप ने कैरोसिन और सोप पर कर कलगाया है इस में संशोधन कर देंगे तो जनता आप का यह बजट विकटरी बजट में बदल देगी। हम चाहते हैं कि हमारा यह बजट विकटरी बजट में बदल जाये। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ही आवश्यकता के शस्त्र निर्माण हों और हम को बाहर से जहां तक हो कम शस्त्र मंगाने पड़ें और हम अपने ही प्रयत्नों से चाइना को खदेड़ें। सलिए मेरा निवेदन है कि जो आपकी कम्पलसरी डिपोजिट की योजना है कि इस को अनइकानमिक होल्डिंग्स पर लागू न किया जाये। और अगर आप मेरा कहना नहीं

[श्री बड़े]

मानेंगे तो ये कम्युनिस्ट गांव गांव में जा कर कहेंगे कि देखो कांग्रेस सरकार ने तुम्हारे कैरोसीन पर कर लगाया है, तुम्हारे तम्बाक पर कर लगाया है और तुम्हारे ऊपर कम्पलसरी डिपाजिट की योजना लागू की है। इसका ग प्रभाव पड़ेगा।

आप ने कहा है कि जिस की लैंड रेवेन्यू एक रुपया होगी उस पर आप को यह स्कीम लागू नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी कम पूँजी किसी की नहीं होगी क्योंकि जिसकी इतनी छोटी होल्डिंग होगी वह फ्रेगमेंटेशन आप होल्डिंग्स कानून के अन्तर्गत आ जायेगी। जिसके पास आठ बस एकड़ भूमि है उस पर भी यह स्कीम लागू नहीं होनी चाहिए।

इसी के साथ मेरा निवेदन है कि जो आपने तीन हजार से पांच हजार वालों पर १२५ रुपया इनकम टैक्स में बढ़ाया है वह भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है कि जिन उद्योगों को लगे अभी पांच सात साल हुए है उन पर सुपर प्राफिट्स टैक्स न लगाया जाये।

आप ने जो कों की घोषणा की है उसके कारण शेयर बाजार में बड़ी मंदी आगयी है और शेयरों के दाम गिर रहे हैं। इस तरह कैपीटल फारमेशन नहीं हो सकेगा। इस तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिए।

मैं आशा करता हूँ कि जिन विषयों की ओर मैं ने सरकार का ध्यान खींचा है उन पर विचार किया जायेगा और डिफेंस बजट विकटरी बजट हो जायगा।

श्री उडके (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का हृदय से समर्थन करता हूँ। आज हमारे देश के सामने चीन के हमले की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इस हमले के कारण हम को अपनी आजादी और अपनी इज्जत की रक्षा करना अनिवार्य है। इस काम को करने के लिए हमको अपने देश में कुशल सैन्य बल, उत्पादन और नैतिकता की बड़ी आवश्यकता है। जनता आज इस काम के लिए पूरी तरह तैयार है।

जितने टैक्स लगाये गये हैं उन में से दो टैक्सों के बारे में, मिट्टी के तेल पर टैक्स के बारे में और सुपर प्राफिट्स टैक्स के बारे में आलोचना की गयी है। मुझे टैक्सों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं जानता था कि हमको अपनी आजादी और इज्जत की रक्षा करने के लिए अधिक टैक्स देने पड़ेंगे और हम पर काफी टैक्स लगेंगे। सेंटर टैक्स लगा रहा है और राज्य सरकारें भी काफी टैक्स लगा रही हैं। और इनके कारण जनता में बड़ा तहलका मच गया है। लेकिन अगर हम अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जा कर जनता को सारी परिस्थिति समझायें तो यह विरोध समाप्त हो जायेगा। मैं अपने क्षेत्र की पचास साठ हजार जनता से सम्पर्क कर आया हूँ और उनको मैंने लड़ाई के सम्बन्ध में और उसके कारण लगाये गये टैक्सों के बारे में बताया। तो मैं ने देखा कि हमारे पहाड़ी इलाके की आदिवासी जनता ने इस बात को समझ लिया। मैं सारे देश की जनता के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने सब कुछ जान लेने के बाद कहा कि जो भी टैक्स लगाया जाये हम उस को शक्ति भर अवश्य देंगे। मैं चाहता हूँ कि अन्य माननीय सदस्य भी इसी प्रकार अपने क्षेत्रों की जनता को बतलायें।

मैं टैक्सों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु मेरे विचार में तीन चार बात अर्थ मंत्री ने जो बहुत अच्छी की हैं जिनका यहां विरोध होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की जनता और गरीब जनता की ओर से मैं उन तीन चार बातों के सम्बन्ध में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

खेतीबाड़ी का आधार मजबूत करना यह राष्ट्रपति के भाषण में भी है। अगर खेतीबाड़ी के आधार को मजबूत करना है तो शराबबंदी को उठाना नहीं होगा। इसे कायम रखना होगा बल्कि मैं तो कहूंगा कि शराबबंदी की नीति को और अधिक सख्ती से लागू करना होगा। इस के बारे में विस्तार से मैं बाद में कहूंगा।

जहां तक कम्पलसरी सेविंग्स की बात है मैं नहीं कह सकता कि यहां इस कम्पलसरी सेविंग्स का विरोध क्यों हो रहा है। अगर हमें सोशलिस्टिक टर्न अफ सोसाइटी का ढांचा इस देश में कायम करना है, अगर हमें खेतीबाड़ी के आधार को मजबूत करना है और अगर हमें काश्तकारों को स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार करना है तो यह कम्पलसरी सेविंग्स की स्कीम बहुत अच्छी रक्खी गई है। देश की सबसे गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले की हैसियत से मैं बिलकुल शुद्ध अन्तःकरण से यह चीज कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अनिवार्य बचत योजना रख कर उचित और अच्छी स्कीम की है।

अब सोने की चर्चा तो यहां नहीं होती है लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सोने के ऊपर जो एक कौल डाल दिया है उससे हमारे काश्तकारों को बड़ा लाभ होगा। सोना और शराब यह दोनों चीजें काश्तकारों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई है।

कम्पलसरी सेविंग्स की बात में बतलाना चाहता हूं। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के जिले से ७ लाख रुपया रेवेन्यू और १६ लाख का शराब से रेवेन्यू आता है। अगर शराब में प्रचार से आधी बचत कर सकें तो कम्पलसरी सेविंग्स का ७ लाख का आधा साढ़े ३ लाख होता है और शराब से ८ लाख की बचत होती है। ऐसी हालत में कम्पलसरी सेविंग्स साढ़े ३ लाख की होना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह से साढ़े ३ लाख रुपये की कम्पलसरी सेविंग्स आसानी से हो सकेगी। वह उनकी पूंजी हो जायेगी। आज ५-५ और १०-१० रुपये की तकावी लेने के लिए जो काश्तकारों को हमतों ढीड़ धूप करनी पड़ती है वह उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। वे खुद अपने पांवों पर खड़े होने में समर्थ हो जायेंगे। सोने की खरीद करने में जो उनका पैसा खर्च होता था वह बन्द हो जायेगा और इस तरह पैसा उनके पास बचेगा। कागज के नोट तो किसान अपने पास रखना नहीं चाहेंगे और इस अनिवार्य बचत स्कीम में अनायास ही उनकी रकम जमा होती चली जायेगी। यह कोई टैक्स तो है नहीं। इस तरह से पांच साल के बाद अगर कोई किसान १० रुपये की जमा देने वाला है तो उसके पास में २५ रुपये खुद के हो जायेंगे और आज २५ रुपये बतौर तकावी मांगने के लिए जो उसे दिक्कत पेश आती है और ढीड़ धूप करनी पड़ती है वह उसको नहीं उठानी पड़ेगी। इस तरह से अनिवार्य बचत के द्वारा किसानों के खेतीबाड़ी के आधार मजबूत हो जायेंगे और उसकी पूंजी धीरे धीरे बढ़ती चली जायेगी। आखिर बूंद-बूंद करके ही तालाब भरता है। निश्चित रूप से इसके द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हमारे देश में काफी संख्या में गरीब काश्तकार बसते हैं परन्तु जिस आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह खासतौर पर बहुत गरीब और पस्त इलाका है। इस अनिवार्य बचत योजना के कारण बूंद, बूंद करके उनके पास जो पूंजी जमा होगी वह उनके बड़े काम में आने वाली है।

शराबबंदी को जहां तक लागू करने का सवाल है मैं उसका पूर्ण समर्थक हूं और मैं तो चाहूंगा कि उसे और भी विस्तृत रूप से और सख्ती के साथ लागू किया जाये। वैसे मैं इस सदन को बतलाना चाहूंगा कि जिस जाति में मैं जन्मा हूं वह गौड़ जाति है। हम गौड़ ४० लाख लोग मध्य प्रदेश में हैं। जन्म से लेकर मरण तक हमारे यहां शराब कैसे उपयोग में आती है वह मैं बतलाना चाहता हूं। हम पैदा होंगे तो शराब से पूजा होगी। हमारी शांति होगी तो शराब से होगी। हमारे देव की पूजा होगी तो शराब का प्रसाद चढ़ेगा और शराब से पूजा होगी। हमारा मरण होगा तो शराब से

[श्री उइके]

अन्तिम कार्य होगा। मतलब यह हुआ कि जन्म से लेकर मरने तक, भगवान की पूजा आदि सब चीजों में शराब इस्तेमाल की जाती है। यह शराब का अभिशाप हमारी जाति में रहा है। पिछले ४० साल से जिस गौड़ आदिवासी कुल में मैंने जन्म लिया है, उसमें स शराब के विरुद्ध अपने भाइयों में प्रचार करता रहा हूँ, शराब से होने वाली हानियों और दुष्प्रभावों के बारे में विगत ४० साल से अपने समाज के लोगों को समझा रहा हूँ और मुझे यह कहते हुए ही होता है कि अगर सब ने नहीं तो कम से कम १० लाख आदिवासी लोगों ने शराब का पीना बन्द कर दिया है। जो भाई यह जानना चाहें कि शराब छोड़ने से क्या फर्क आता है और क्या लाभ होता है वह मेरे साथ आयें। मैं उन को गंगा और यमुना का पानी का एक दृश्य दिखा दूंगा। सभाओं में जिस गांव के लोगों ने शराब पीना अभी छोड़ा नहीं है उनको देखें और इसके विपरीत जिन गांव वालों ने शराब पीना छोड़ दिया है, उनको देखें ता उन्हें दोनों में साफ अन्तर मालूम पड़ेगा। एक तरफ तो उन्हें गंगा के सफेद पानी के समान दिखाई देगा, चमकदार चेहरे, साफ कपड़े वाले लोग मिलेंगे जबकि दूसरी तरफ उन्हें यमुना के नीले पानी के समान फटे मैले कपड़े, निस्तेज चेहरे वाले लोग मिलेंगे। एक दरिद्रता का वातावरण उधर देखने को मिलेगा। यमुना के जल का नीला रूप आप को उधर देखने को मिलेगा

एक माननीय सदस्य : क्या यमुना पवित्र नहीं है ?

श्री उइके : यहां पवित्रता का सवाल नहीं है। वह तो मैंने उन शराब पीते वालों लोगों की उपमा यमुना के नीले पानी से दी है जोकि गंगा की तरह निर्मल और सफेद नहीं है। गंगा और यमुना के पानी में फर्क होता है। ठीक वही फर्क आप को शराब पीने वालों और शराब न पीने वालों में देखने को मिलेगी। आजकी बदली हुई परिस्थिति में तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे देशवासी शराब का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। जो लोग सरकार की नीति का विरोध करते हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे तो तरस आता है। चीनी एक अफीमर्ची कोम थी। उन्होंने अफीम खाना छोड़ा और उन में इतनी ताकत आ गई कि वह हिमालय पहाड़ को लांघ कर भारतवर्ष की सीमाओं में घुस आये और जब हम भारतवासी उन आक्रमणकारियों को अपने देश से बाहर धकेलने के लिए दृढ़ संकल्प लें तब भाई हमारे कुछ शराबबंदी की नीति का विरोध करते हैं और अपने यहां की जनता को शराब में डुबोना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह शराब पीती रहे। अगर इस देशमें सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसाइटी का ढांचा कायम करना है, काश्तकारों को आर्थिक दृष्टि से बेहतर और स्वावलम्बी बनाना है तो शराब की आदत उनसे छुड़ानी ही पड़ेगी क्योंकि इस बुरी आदत के कारण हमारे देश के किसान अपनी खेतीबाड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देने पाते हैं। केवल कम्युनिटी डेवलपमेंट या कृषि डिपार्टमेंट ही काश्तकारों की स्थिति को नहीं सुधार सकते हैं। पिछड़ी हुई समाज के आदिवासी इलाके के, हैरिजन समाज के जो काश्तकार हैं उन से यह शराब की बुरी लत छुड़ानी होगी। आज होता यह यह है कि शराब पीने वाले काश्तकार अपनी खेतीबाड़ी को भूल जाते हैं और खेती का नुषान होता है। शराब पीने वालों को जाहिर है कि जब काम बाम की तरफ ध्यान नहीं लगता है तो उनको कितनी हानि होती है। अगर हमारे देशवासियों से यह शराब की लत नहीं छुड़ाई गई तो देश इसी तरह दरिद्र होता रहेगा और उस हालत में हम किस तरह से अपने देश और समाज को उन्नत कर सकते हैं? शराब की आदत अगर हमारे देशवासियों में बनी रही तो हम इस देश की गरीब जनता का जीवन स्तर कैसे ऊंचा कर सकते हैं और कैसे दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं?

एक तरफ तो कुछ लोग शराबबंदी आदि चीजों को ले कर सरकार का विरोध करते हैं वही लोग दूसरी तरफ सरकार को स के लिए क्लिटसाइब करते हैं कि देहातों की हालत सुधर नहीं रही

है। उन की यह बात किसी हद तक तो ठीक हो सकती है कि देहातों की हालत जितनी सुधरनी चाहिए थी उतनी नहीं सुधरी है। लेकिन यह कहना कि सुधार नहीं हुआ है यह भी सही नहीं होगा। मैं अपने पहाड़ों के अन्दर के देहातों की हालत के बारे में जानता हूँ कि उन की हालत में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। मैं जगह जगह उन में जाता हूँ। आज से नौ बल्कि पिछले चालीस साल से मैं उनमें जाता रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि आज उन की हालत पहले के मुकाम से बेहतर है। जो लोग पहले जमोनों के ऊपर बैठते थे आज इस विकास के कारण हर एक गांव में आप को दरी पर बैठे हुए मिलते हैं। उनसे पूछो कि भाई यह दरी तुम्हारे यहां कहां से आई तो वह कहते हैं कि हमारी गांव पंचायत ने बरीदी है। इसी तरह शांन को गांव में पैदल जलाये हुए बैठे मिलते हैं और पूछने पर वह बतलाते हैं कि यह हमारी ग्राम पंचायत के हैं। इसलिये आज हमारे तमाम गांवों में धीरे धीरे ही बरों न सही लेकिन सुधार अवश्य हो रहा है। आज अगर इस कम्युनिटी डेवलपमेंट का किसी कारण से विरोध है तो एक ही बात से है कि हमारा जो गरीब और पिछड़ा हुआ देहाती समाज है, वह इन महाजनों, सहकारियों और जूने वाले लोगों के चंगुल से छूटा चला जा रहा है। आज हमारे किसान अपेक्षाकृत अधिक होशियार हो गये हैं। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट के कारण उन में प्रचार होता जा रहा है। वह अपना भला, बुरा समझने लग गये हैं। भले ही कम्युनिटी डेवलपमेंट विभाग द्वारा जितना सुधार कार्य होना चाहिये वह न हो रहा हो और उसमें तेजी लाने की आवश्यकता हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही कुछ न कुछ सुधार हो ही रहा है और हमारे गांवों और देहातों का नक्शा बदलता जा रहा है। जहां तक कम्युनिटी डेवलपमेंट के कामों का सवाल है और उसमें क्या सुधार करना चाहिए उन के बारे में अगर मुझे अवसर मिला तो जब उनकी डिमांड्स सदन के सामने पेश होंगी तब मैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देहाती क्षेत्रों का अगर कुछ नक्शा बदल रहा है तो वह कम्युनिटी डेवलपमेंट के कारण बदल रहा है।

कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में किसी एक राजा ने कहा है कि उस पर खर्च किया जाने वाला पैसा गटर में जाता है। तब वह देहात को गटर समझते हैं बरों के वह महल में रहने वाले हैं। लेकिन मैं उन से कहना चाहूंगा कि जिस चुनाव क्षेत्र से वे संसद में आये हैं, तो उनको यहां पर गांव के गटर वालों ने ही वोट दे कर भेजा होगा। श्रीमन, अगर मुझे अवसर मिलेगा और मैं जिन्दा रहा तो अगले चुनाव में उनके ही एजेक्शन में जा कर उनको गेट देने वाले लोगों को बतलाऊंगा कि उन्होंने उनको गटर कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि यह कम्पलसरी सेविंग्स और स्पर्ण कंट्रोल तथा शराबबन्दों के ऊपर हमारे वित्त मंत्री महोदय को भीष्म के समान दृढ़ तिज्ञ बने रहना चाहिये। उनको नमक के ऊपर टैकस नहीं लगाना चाहिए। हमारे देश में करोड़ों गरीब लोग जोकि जंगलों में रहते हैं उन के लिए नमक ही मत्तारा, भिर्च और सब्जी है। जंगल से पत्ता, फल तोड़ते हैं उनमें नमक मिला कर और ऊपर से पानी पी कर अपने पेट को ज्वाला को शांत करते हैं। नमक एक ऐसा पदार्थ है जो कि पानी की तरह से गरीबों के लिए अनिवार्य चांज है और यही कारण है कि गांधी जी ने नमक पर कर लगाने के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। इसलिए नमक पर कर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। नमक गरीबों के लिए कितना आवश्यक है उसके बारे में मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश में कौशिकी बस्तर में जा कर देख कि वहां के लोग जब नमक नहीं ले सकते हैं तो वे बारी मिट्टी ही खा लेते हैं। जनवर लोग भी जित्त मिट्टी को नहीं खाते होंगे उसी खारी मिट्टी को नमक के बदले गरीब किसान खोद कर खाते हैं। इतनी गरीबी आज हमारे देश के अंदर फैला हुई है। नमक पर टैकस न लगाते, शराबबंदी को पूर्ण रूप से चालू करने, कम्पलसरी सेविंग्स स्वीकार कर लेने और यह सौने का जो कंट्रोल है, इन चारों बातों के सम्बन्ध में अगर वित्त मंत्री महोदय अपनी भीष्म प्रतिज्ञा कायम रखें तो देश का कल्याण होगा।

[श्री उडके]

यह मंत्रियों के बंगलों पर जो पानी के होने वाले भारी खर्चों को ले कर एक आवाज उठी, उसके कारण शायद जनता के पास टैक्सों के लिए जाने को हमारा चेहरा नहीं रहेगा। उसके कारण हमारा नाक में एक केस्म से चूना लग गया है। लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करूंगा कि इस का भारी जो से छानवीन करने की जरूरत है। इसके लिए मैं योश सा हाउसिंग मंत्रालय को दो दूंगा। अगर उन्होंने वाजिव तरीके से इस मामले को अपने हाथ में लिया होता तो पब्लिक के सामने यह तस्वीर शायद पेश न होती जो कि आज पेश हुई है। अतः मंत्रिमंडल में सब से सीधे सादे रहने वाले हमारे गृह मंत्री जाते हैं। रुबड़ से ले कर रात के १२ बजे तक उन के निवास स्थान पर विजिटर्स मिलते रहते हैं। उनके यहां तीन तम्बू लगे हुए हैं। इन तीनों तम्बूओं में जाड़ों में मैं जब गया हूं तो मैंने देखा है कि इनमें होटर्स जलते रहते हैं, सर्किटों में बिजली के पंखे चलते रहते हैं और बत्तियां जलती रहती हैं। लान में सर्च लाइट जलती रहती है और कुछ बतियां उन के प्रोटैक्शन के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। स के अलावा तीनों के क्वाटर्स भी हैं जिन में कि बिजली खर्च होती है। अब न सब का सारा खर्च गृह मंत्री के खर्च में मिला दिया गया और उन का इस तरह से कुछ बिजली का टाटल ५८० रुपये कर दिया गया है। अब चूँके अलग अलग मीटर प्रोवाइड कर दिये गये और पूछत ख करने से ज च करने से मालम हुआ कि पिछनी फरवरी के महीने; उन का केवल १६३ रुपये का बिल बना। अगर इस तरीके से हर एक मंत्री और उपमंत्रियों आदि को हाउसिंग मिनिस्ट्री द्वारा यह बतला दिया जाता और अलग अलग खर्च दिखलाया जाता तो मंत्रियों के नाम जो इतनी बड़ी बड़ी रकम दिखलाई गई हैं न बनती। अब आम जनता तो इन बारीकियों को समझती नहीं है और वह तो ऐसे समाचार को ले कर उमड पड़ती है। सलिए मैं आप के द्वारा आम जनता को यह चीज बतलाना चाहता हूं कि असल में वास्तविकता क्या है। हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से जांच करवानी चाहिए और जो वाजिव खर्च होता हो उस का फैसला कर के जनता के सामने पेश जाय। ऐसा होने से जनता में कौड़ी हुई गलतफहमी दूर होगी और उस हालत में जनता को आगे के टैक्सों का भार वहन करते के लिए हम समझाते में आसानी होगी बरना हम प्रतिनिधियों के लिए मुश्किल बात होगी। इस सब के बाबजूद हमारी सरकार और वित्त मंत्री की सत्व परीक्षा का समय है। वूखोरी, भ्रष्टाचार, कामतों का बढ़ना, ये सारी बातें होने वाली हैं। जिन लोग ने रक्षा क्षेत्र में ज्यादा पैसा दिया है, सम्भव है कि सरकारी अफसर, और मंत्री लोग भी उन पर रहम करेंगे और उस रहम करने में वो लोग वूखोरी करेंगे, भ्रष्टाचार होंगे और कीमत बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार से हमारे देश में न मालम कौता तहलका होने वाला है। इस लिए यह हमारी सरकार और वित्त मंत्री की सत्व परीक्षा का समय है। मैं आशा कहता हूं कि जिस प्रकार हरिश्चन्द्र अपनी परीक्षा में अच्छा निकला, उसी प्रकार सरकार और वित्त मंत्री महोदय भी हरिश्चन्द्र के समान ही बिहुल साफ निकलेंगे और स से देश का कल्याण होगा।

तना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल वहीद (वेल्लोर): यह बजट देश की आशाओं का ही क्रियात्मक रूप है। राष्ट्र इस बोझ को उठाने के लिए तैयार है।

जब लोग स्वेच्छा से ६५ या ७० करोड़ रुपये का अंशदान दे सकते हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वे २३५ करोड़ रुपये का कर देने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं तो आशा करता था कि सदस्य लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे इसे स्वीकार करे क्योंकि यह देश की ही आवश्यकता है।

मूल अंग्रेजी में

क्या विरोधी दल के लोग यह चाहते हैं कि हम दूसरे देशों, अपने मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेक दें और उनसे सहायता मांगें ?

द्वितीय युद्ध में इंग्लैंड ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी सुखों को तिलांजली दे दी थी। आपातकाल के दिनों में जापान और अमरीका गया हुआ था। वहां के पत्र भारत के लोगों के सहयोग को अत्यधिक प्रशंसा कर रहे थे। रूसी देश ऐसे लोगों की प्रशंसा करेंगे जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहते हैं। अतः हमारे लिए यह कहना अनुचित है कि हम अपने ऊपर कर का बोझ सहन करने के लिए तैयार नहीं।

लोग कहते हैं कि हम तटस्थता की नीति को छोड़ दें। इस नीति के कारण हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आयी। बल्कि इसके कारण सारा संसार हमारी प्रशंसा कर रहा है। वे चाहते हैं कि हम इस नीति को बनाये रखें।

बजट का समर्थन करते हुए मैं अनुभव करता हूँ कि इससे मूल्य बढ़ेंगे। देश भर में सहकारी दुकानें रख कर हमें मूल्यों के नियंत्रित करना चाहिये। एक हजार लोगों के लिए एक सहकारी दुकान की व्यवस्था होनी चाहिये।

कुछ लोगों का मत है कि कृषि वस्तुओं का मूल्य व्यय नहीं होने देना चाहिये। मैं इस से सहमत नहीं। सब आवश्यक कृषि वस्तुओं के मूल्य भी व्यय होने चाहिये किन्तु सहकारी खेती द्वारा कृषकों की आय की सुरक्षित करना चाहिये। जहां तक अनिवार्य बचत का संबंध है, मैं श्री उ० ना० डेबर के इस प्रस्ताव से सहमत हूँ कि इसके लिये न्यूनतम राशि ३००० रु० कर दिया।

मिट्टी तेल की खपत प्रकाश के लिये नहीं बढ़ी है वास्तविकता यह है कि मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग हमारा उपयोग खाना बनाने में करते हैं कीमतें बढ़ने से उन पर प्रभाव पड़ेगा।

अधिलाभ कर से विदेशी विनियोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है, तथापि हम आशा करते हैं कि विदेशी विनियोजन के लिये कुछ रियायतें दी जायेंगी।

सरकारी कर्मचारियों के संबंध में कुछ ऐसी बातें कहीं गयी हैं जो अवांछनीय हैं। ये ही कर्मचारी बहुत योग्य और देशभक्त हैं। वे बड़ी लागत और परिश्रम से काम करते हैं यदि वे लोग गैर सरकारी क्षेत्र में जाते तो वे लाखों रुपये कमा सकते थे तथापि वे वहां पेट पालने के लिये देश की सेवा करने के उद्देश्य से बठे हुए हैं। यदि हम इस प्रकार के आक्षेप करेंगे तो इससे सुयोग्य व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में बने रहने में कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और वे गैर सरकारी उद्योग और व्यापार में चले जायेंगे।

मंत्रियों के संबंध में भी अवांछनीय बातें कही गयीं हैं मेरे विचार से यह उचित नहीं है। उनकी सेवा और त्याग को देखते हुए हमें इन तुच्छ बातों की आलोचना करना शोभा नहीं देता।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने समाजवादी बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन यह कैसा समाजवाद है, इसको ज़रा आप देखें। इस बजट का बोझ गरीबों पर अधिक और अमीरों पर कम से कम पड़ता है। यहां पर मद्यनिषेध की बात भी चल रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के साथ सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि मद्यनिषेध पूरे तौर पर सारे देश में लागू हो। लेकिन दुःख की बात तो यह है कि मद्यनिषेध और समाजवाद दोनों का ही बुरा हाल है। जिस तरह से मद्यनिषेध के नाम पर

शराबखोरी बढ़ रही है, उसी तरह से समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद बड़ी मौज मस्ती से लहरे मार रहा है। जो करों की प्रस्तावना वित्त मंत्री जी ने की है, उस में ३६ प्रतिशत तो सीधे करों से और ६४ प्रतिशत अपरोक्ष करों से आएगा। अपरोक्ष करों का बोझ अधिकतर उपभोक्ताओं और साधारण लोगों पर ही पड़ेगा और इस में भी कोई सन्देह नहीं है कि ३६ परसेंट जो सीधे कर लगाये जा रहे हैं, उनका भार भी जैसे एक्साइज ड्यूटीज हैं या अनिवार्य बचत योजना है, जन साधारण पर ही पड़ने वाला है। वित्त मंत्री जी की कुशलता, निपुणता, योग्यता और बुद्धिमत्ता तो इसमें होती कि वह मौजूदा खर्च को किसी न किसी तरह से कम करते, फिजलखर्चों को रोकते तथा शान बान ठाठ आदि में कमी करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उधर जो हमारे साथी बैठते हैं, वे स्वतंत्र दल वालों पर प्रिवी पर्सिस को ले करके बड़े कटाक्ष करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रिवी पर्स देने वाले भी तो आप लोग हैं। आप को कौन रोकता है, इन प्रिवी पर्सिस को बन्द करने से बड़े बड़े पूंजीपतियों से अधिक से अधिक सोना लेने से और उन पर अधिकरों से अधिक टैक्स लगाने से।

हमारे वित्त मंत्री जी ने सुपर-प्राफिट टैक्स लगाया है। उसका मैं स्वागत करता हूँ। इसी तरह से उनको चाहिये था कि वह कर बड़े लोगों पर लगाते और गरीब लोगों पर उनका बोझ न डालते। लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि उनके जो कर प्रोपोजल्ज हैं वे बहुत न्यायसंगत हैं, उनके सामने सामाजिक न्याय की बात भी थी। अगर उनके सामने सामाजिक न्याय की बात होती तो वित्त मंत्री जी ने अपने करों की जो रूपरेखा हमारे सामने रखी है, स्थिति दूसरी होती, यानी बड़े लोगों पर करों का बोझ अधिक बढ़ा होता और छोटे लोगों पर कम से कम पड़ा होता। अगर ऐसा किया गया होता तो यह समाजवाद का सही रास्ता होता। जब सरकार समाजवादो समाज की रचना करने की घोषणा करती है तो उसको खास तौर से चाहिये था कि करों का इस ढंग से वितरण करती कि छोटी और बड़ी आमदनी के बीच का जो अन्तर है, वह मिलता। लेकिन हम पंद्रह वर्षों से लगातार यह देख रहे हैं कि छोटी आमदनियों और बड़ी आमदनियों में फर्क बराबर बढ़ता चला जा रहा है, जमीन आसमान का फर्क आज मौजूद है। जहां एक तरफ चार आने, छः आने, आठ आने या बारह आने कमाने वाला मजदूर है, वहां दूसरी तरफ दो हज़ार, चार हज़ार, पांच हज़ार महीना कमाने वाला और यहां तक कि बिड़ला जैसा आदमी भी मौजूद है जो एक लाख, दो लाख रुपया रोज़ कमाता है, एक लाख दो लाख रुपये की रोज़ आमदनी करता है। यह किस तरह का समाजवाद है, मेरी समझ में तो आता नहीं है। जिस तरह से मद्यनिषेध में सूखा और गोला दोनों चल रहे हैं, कहीं पर ड्राई है और कहीं पर वैट है, उसी तरह से यह पूंजीवाद और समाजवाद भी चल रहा है। जब ड्राई और वैट दोनों चलते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि वैट ही वैट रहेगा, गीला ही गीला रहेगा, उसी की चकाचक रहेगी और मद्यनिषेध सफल नहीं हो सकता है। यही आज हो रहा है। इसी तरह से अगर समाजवाद और पूंजीवाद साथ साथ चलेंगे तो फिर समाजवाद को वे हरी को पूंजीवाद का शेर हड़पता ही चला जाएगा और यही आज हम देख भी रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय कभी थोड़ी देर के लिए समाजवाद की बैलगाड़ी पर चढ़ लेते हैं दो चार फर्मांग के लिए, लेकिन बाद में फिर उनको पूंजीवाद की मोटर की याद आती है और फिर जब वह उस में बैठते हैं, तो बड़ी छत्रांग मार करके तेज़ी से चले जाते हैं। इसका नतीजा यह है कि गरीबी और अमोरो का फर्क बजाय मिटने के बराबर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा यह समाजवाद है। मैं समझता था कि इस बार संकटकालीन स्थिति में वित्त मंत्री

जी जो प्रशासन पर होने वाला खर्च है, जो कि बराबर पिछले पन्द्रह सालों से बढ़ रहा है, उस में कमी करेगे। लेकिन जब हम बजट को देखते हैं तो पाते हैं कि इस साल भी प्रशासन व्यय ७३ करोड़ ६० बढ़ गया है। उस में कोई कमी करने की बात नहीं की गई। अगर हमारे वित्त मंत्री जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तो शायद इस देश की गरीब जनता उन को घन्यवाद देती।

आज जो इनडाइरेक्ट टैक्सेज लगे हैं उन से चीजों के दाम बढ़ गये हैं, खास तौर से जिन्दगी की जरूरी चीजों के दाम। दाम तो पहले से बढ़े हुए हैं लेकिन इन करों की घोषणा के बाद उन चीजों के दाम तो बढ़ ही गये जिन पर यह कर लगेंगे, बल्कि उन चीजों के दाम भी बढ़ गये जिन पर यह कर नहीं लगेंगे। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूँ कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये वित्त मंत्री जी भारत रक्षा कानून का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम पिछले पन्द्रह सालों से बराबर देख रहे हैं खास तौर से सन् १९५५ के बाद से कि सरकार बराबर घोषणा करती आई है कि वे मूल्यों को बढ़ने नहीं देगी, वह उन के वरुद्ध कार्रवाई करेगी, लेकिन उन घोषणाओं का परिणाम हम क्या पाते हैं? अगर सरकारी आंकड़े देखें जायें, इंडेक्स नम्बर देखा जाय तो इन सात सालों में ३५ प्वाइंट्स की मंहगाई बढ़ गई है, यानी हर साल पांच प्वाइंट्स बढ़ गई। यहां पर मुझे कंप्यूशियस की बात याद आती है। वह कहा करते थे कि मैं आदमियों के शब्दों पर यकीन नहीं करता, मैं उन के काम पर यकीन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन कहता क्या है और करता क्या है। आज दोनों में बड़ा फर्क पड़ गया है। इस लिये अगर वास्तव में वित्त मंत्री भारत रक्षा कानून का इस बारे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या किया हो, तो हम जानना चाहते हैं कि इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज कितने लोगों के विरुद्ध इस कानून का इस्तेमाल किया गया। इस के आंकड़े सदन के सामने रखे जायें कि किस के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और वे किस तरह के लोग थे, किस हैसियत के लोग थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन लोग थे। मेरे मित्र बता रहे हैं कि केवल तीन मिट्टी के तेल वाले थे। यानी खोदो पहाड़ और निकली चूहिया यही कहावत चरितार्थ हो रही है। आज यहां पर मूल्य वृद्धि हो रही है लेकिन भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल बड़े बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध क्यों हो? भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल होगा समाजवादियों के खिलाफ, सोशलिस्टों के खिलाफ, जो कि ५ ६०, २ ६०, १ ६० लगान देने वाले किसान हैं, जिन के यहां सूखा आ गया है, फसल सूख गई है, पूरा कर नहीं दे सकते हैं, टैक्स नहीं दे सकते हैं। आज विजयानन्द पटनायक की सरकार ने हमारे साथी श्री किशन पटनायक को, जो कि इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, क्यों गिरफ्तार कर लिया? इस लिये कि वे भारत सरकार के रक्षा के काम में बाधा डाल रहे थे, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के हैं जो कि कहती है कि अगर चीन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो जो कुछ भी सरकार करेगी हम उस के साथ साथ एक एक इंच पर समर्थन देना चाहते हैं। हम तो तिब्बत को भी आजाद कराने की बात कहते हैं, सन् १९४७ को लाइन तक जाना चाहते हैं। उन्हें भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है, और साथियों को गिरफ्तार किया गया है, बिहार में गिरफ्तार किया गया है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : आज श्री किशन पटनायक छोड़ दिये गये हैं।

श्री रामसेवक यादव : बड़ी खुशी की बात है कि मेरे मित्र बतलाते हैं कि वे छोड़ दिये गये। मैं सरकार की इस सद्वृद्धि की सराहना करता हूँ। "देर आयद दुरुस्त आयद"। कभी सद्वृद्धि लगी तो।

एक माननीय सदस्य : बेल पर छूटे हैं।

श्री राम सेवक यादव : बेल पर छूटे हैं। अच्छा, यह बात है। अभी हमारे मित्र बतला रहे हैं कि वे जमानत पर छूटे हैं। आज उन के खिलाफ भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल हो रहा है, और चीन के साथ लड़ाई लड़ने की क्या बात है? मुझे शेर याद आती है :

“न खंजर उठेगा न तलवार इन से,
यह बाजू मेरे आजमाये हुए हैं।”

यह लड़ेंगे हम से, यह लड़ेंगे किशन पटनायक से, हम लोगों से लड़ेंगे जो इन का साथ देना चाहते हैं।

मैं अनिवार्य बचत योजना के संन्ध में कहना चाहता हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और आप के द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे किसानों पर ध्यान दें, खास तौर से उन इलाकों की तरफ जैसे कि बलिया, आजमगढ़ आदि पूर्वी जिले हैं, जहाँ के गरीब लोग जानवर के पखाने से अनाज बीन कर अपनी रोटी चलाते हैं, शीरा चाटते हैं और जिन की स्थिति को आंकने के लिये इस सदन से एक समिति नियुक्त की थी। वहाँ पर योजना आयोग की कमेटी गई हुई थी। आज वहाँ के किसानों पर अनिवार्य बचत योजना कितनी लागू की जा रही है? ५० प्रतिशत, जब कि आपात्कालीन स्थिति को सामने रख कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन पर २५ प्रतिशत टैक्स पहले से ही लगा दिया था। कहां से वे देंगे? मैं इस कांग्रेस सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि गांधी जी कहा करते थे कि जिस खेत से लाभ नहीं होता, उस अलाभकर जोत से हम लगान मिटा देंगे। लेकिन लगान कम करने की कौन कहे, उस पर लगान दिया गया, उस गरीब किसान से आज ५० प्रतिशत अल्प बचत योजना में लेने का सरकार इरादा रखती है। शहर में बसने वाले सरकारी नौकरों के लिये १५०० रु० की हदबन्दी की गई, लेकिन किसान चाहे वह एक रुपये का किसान हो चाहे दो रुपये का हो, पांच रुपये का हो या दस या बीस रुपये का हो, उस पर कोई हदबन्दी नहीं की गई। कहां से देगा? जिस तरह से वह अपने कपड़े के लिये, जिस तरह से वह अपनी रोटी के लिये, कर्ज लेता है उसी तरह से आप उस को मजबूर करेंगे कि वह अल्प बचत योजना का रुपया देने के लिये कर्ज ले। अल्प बचत योजना का फायदा उस को पांच साल बाद मिलेगा ८ आ०, १ रु०, २ रु०। और उस को फायदा होगा भी नहीं क्योंकि जो कुछ उस को मिलेगा वह ज्यादा से ज्यादा उस के कर्ज को चुकाने के लिये होगा। इस तरह से मैं वित्त मंत्री का ध्यान उन किरायेदारों के बारे में खींचूंगा जिन के पास एक मकान है निजी। उस की पन्द्रह रुपया या तीस रुपया माहवार की आमदनी है, उस की रोजी का और कोई जरिया नहीं है, किसी तरह से वह उस से काम चलाता है। उस से भी आप ३ प्रतिशत लेंगे। इस तरह का समाजवाद आप ने जरूर कर दिया कि गरीब के लिये भी वही हाल और पूंजीपति के लिये भी वही हाल। इस माने में तो हम आप को समाजवादी कहेंगे कि वित्त मंत्री जी कि आप टैक्स के मामले में दोनों को समान स्तर पर रखना चाहते हैं, एक गरीब को भी और एक पूंजीपति को भी। इस माने में आप समाजवादी हैं दूसरे माने में नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अल्प बचत योजना के सवाल पर आप पुनर्विचार काजिये। यदि आप को इस प्रकार का टैक्स लगाना ही है, इस में कोई जिद है कि आप को गरीब लोगों का खून निकालना ही है, तो इस तरह से निकालिये कि कुछ दिन तो वह खून दे। एक साथ मुर्गी के सारे सोने के अंडे निकालने की कोशिश मत काजिये। इस के लिये आप ५० रु०, १०० रु०, २०० रु० लगान की हदबन्दी काजिये नहीं तो आप इस देश के गरीब किसान को पीस देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मुर्गी को कुड़क हो गई।

श्री राम सेवक यादव : अब प्रतिरक्षा का सवाल है। जहां तक इस देश की रक्षा का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस सदन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वित्त मंत्री के इस खर्च के साथ न हो, और मैं भी चाहूंगा कि जो ८६७ करोड़ रुपया रक्षा के लिये वे चाहते हैं चीन का मुकाबला

करने के लिये, उस को लोग खुशी से देने के लिये तैयार रहें, ज़रूरत पड़े तो और भी । लेकिन एक निवेदन है । केवल रुपया खर्च करने से ही देश की रक्षा नहीं होती । रुपया खर्च करने से ही देश की तरक्की नहीं होती । अगर हम रुपये का तरफ से देखें तो पन्द्रह सालों से यह सरकार चली आ रही है, दो पंचसाला योजनायें बीत गईं, तीसरी योजना के भी दो वर्ष बीत गये । आप ने इस देश पर अरबों के कर लगाये, विदेशों से अरबों रुपयों के कर्ज लिये, लेकिन जब हम नतीजा देखते हैं तो कहीं कुछ नहीं है । आप ने इस लड़ाई से पहले भी रक्षा पर काफी धन खर्च किया, लेकिन अगर नतीजा हम देखते हैं तो कुछ नहीं । अगर हमें इन ८६७ करोड़ रुपयों से कुछ नतीजा निकालना है तो हमें यह भी देखना होगा कि यह धन कैसे खर्च होता है, किस तरह से खर्च होता है । अगर इसी तरह से खर्च करना है जैसे कि कलिंग एअरलाइन्स को सामान डालने के ठेके दे दें और वह सामान बजाय ठीक ठिकाने पहुंचने के कलकत्ते के बाजारों में बिके, तो ८६७ करोड़ रुपयों से देश की रक्षा नहीं होगी । अगर उस पैसे से जिस तरह से जीप का गोलमाल हुआ उसी तरह का गोलमाल होना है

एक माननीय सदस्य : वह कौन सा स्कन्दल है ?

श्री राम सेवक यादव : जीप स्कन्दल हुआ, जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं ।

एक माननीय सदस्य : वह पुरानी बात है ।

श्री राम सेवक यादव : अगर इसी तरह से पैसा खर्च होना है जैसा कि खबर मिली कि जो उत्तर प्रदेश का कमान का इलाका है, बरेली में जो मिलिटरी यूनिट है, वहां पर सरकार की खरीद का ठेका दिया गया था या खुद संघे खरीदा गया, तो बाजार भाव जो था उस से अधिक भाव पर खरीदा गया । अगर उसी तरह से पैसा खर्च होता है तो आप चाहे इस से दूनी रकम भी खर्च कर दें तब भी इस देश की रक्षा नहीं हो सकती । इसलिये कम से कम जो फौज में होने वाला भ्रष्टाचार है, जिस तरह से उस में पैसा बनाया जाता है, उस में मुझे शक है कि कुछ भी काम हो सकेगा । जब इस तरह के लोगों के हाथों में खर्च होगा, जैसे कि मैंने सुना है कि अमरीका गये हैं खुद खरीद करने के लिये, तो उस से अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा । उस के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिये ।

जब चीन ने हम पर हमला किया है तो उस के साथ फौज का ही सवाल नहीं है, उस के साथ सवाल है विचार धारा का भी । वह विचार धारा है गरब और अमान की । इस गरब और अमान की विचाराधारा का जवाब पलटनें नहीं हो सकतीं, तोप गोला नहीं होता, हावाई जहाज नहीं हो सकता । उसका जवाब यह हो सकता है कि इस देश की ४४ करोड़ जनता में जो सामाजिक और आर्थिक जबरदस्त विषमता फैली हुई है उसको दूर किया जाये । हमारी सरकार और खास तौर से प्रधान मंत्री ऐतान करते हैं कि हम को लम्बी लड़ाई लड़ना पड़ेगा । चीन के मुकाबले में हम को लम्बा अरसा लगेगा । तो इस लम्बी लड़ाई में यदि हम को देश की ४४ करोड़ जनता का सहयोग लेना है तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी सामाजिक और आर्थिक अवस्था को दुरुस्त करें । इस दिशा में इन १५ सालों में कुछ नहीं किया गया है । देश में ५० लाख अंग्रेजी अभिमुख बड़े लोग हैं बड़े लोग जो हजार या इस से ज्यादा मासिक खर्चते हैं वातानुहूलित मकानों में रहते हैं और एक तिहाई दौलत के मालिक हैं । और बाकी देश की जनता गरबों के दल दल में फंती हुई है । सरकार का काम यह है कि वह इस देश में कमल की खेती करता है । उसका यह खयाल है कि दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई को बड़ी बड़ी इमारतों से सजाओं और गांवों की ओर ध्यान न दिया जाये । तो इस से काम नहीं होगा ।

अब मैं इस समाजवादी सरकार के कुछ आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूँ। पहले मैं इस सदन के समाजवाद से ही शुरू करूँगा। इंग्लैंड में, जो कि एक पूंजीवादी देश है, एक मिनिस्टर ५ हजार पाउंड सालाना पाता है और उसके साथ मुफ्त बंगले आदि की कोई सुविधा नहीं है और वहाँ की पार्लियामेंट का एक मेम्बर १७५० पाउंड सालाना पाता है। तो आप देखें कि उस पूंजीवादी देश में मिनिस्टर और मेम्बर की आय का अनुपात एक और तीन का बैठता है। और हम जो यहाँ १५ सालों से समाजवाद की रचना कर रहे हैं और गांधीवाद और सादगी का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मिनिस्टर को २२५० रुपया वेतन, ५०० रुपया सम्पत्तेशुल्की एलाउंस, १३ हजार बिजली पानी के लिए और १३ लाख फरनीचर दिया गया। इसके अतिरिक्त भत्ते भी हैं। केवल वित्त मंत्री जी का साल में ३० हजार का भत्ता है।

इन के मकानों की तरफ आप जायें तो आप देखेंगे कि डिप्टी मिनिस्टर्स के पास जो मकान हैं उन में इतनी जमीन है कि आप कबड्डी खेल सकते हैं। मंत्रियों के पास जो मकान हैं उन में हाकी और फुटबाल के फील्ड बन सकते हैं और प्रधान मंत्री के मकान में तो इतनी जमीन है कि रेसकोर्स बन सकता है। और इसी प्रकार अगर अन्य सुविधाओं को देखें तो आप को पता चलेगा कि एक मंत्री पर दस दस और पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपया मासिक खर्च होता है। सदन के सदस्य का वेतन चार सौ रुपया है और अगर अन्य सुविधाओं और भत्ते का हिसाब लगाया जाय तो उस पर करीब एक हजार महीना खर्च होता है। उसके मुकाबले में आप देखें कि मंत्री पर कितना खर्च होता है। मंत्री और सदस्य के खर्च में १५ या बीस गुने का अन्तर है।

इसी तरह से अगर आप जिला स्तर तक जायें तो बड़े अफसरों और छोटे कर्मचारियों के वेतन में आप को जमीन आसमान का अन्तर मिलेगा। यह समाजवाद का नमूना है।

इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है।

अगर हम फिजूल खर्ची को देखें तो उस में हमारे प्रधान मंत्री सब से आगे हैं। क्योंकि उन के ऊपर तो सब मिला कर एक दिन में करीब २५ हजार रुपया खर्च होता है, उनका भत्ता है, घर में सिनेमा बनने की बात चलती है, और सीक्योरिटी अरेंजमेंट है। मैं तो चाहूँगा कि इस पर एक दिन कस कर बहस हो जाये तो पता चले कि कितनी फिजूलखर्ची होती है। हमारे प्रधान मंत्री तो फिजूलखर्ची के प्रतीक हैं, और उनकी नकल से सारे देश में फिजूलखर्ची चलती है। उदाहरण के लिए जैसे प्रधान मंत्री गुलाब का फूल लगाते हैं तो उनको देख कर हमारे श्री सत्य नारायण साहब को भी गुलाब का फूल लगाने का शौक पैदा हो गया। तो प्रधान मंत्री तो प्रतीक हैं फिजूल खर्ची के और उन को देख कर और लोग भी यही करते हैं। अगर इस फिजूलखर्ची को बचाया जाये तो इस से कई सरकारों का काम चल सकता है कई साल तक।

अन्त में मैं निवेदन करूँगा कि जब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोका जाएगा तब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती। चाहे आप कितना भी पैसा लगाएं जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकता प्रगति नहीं हो सकती। और यह भ्रष्टाचार तीन प्रकार चलता है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग मंत्रियों के लड़कों, दामादों, रिश्तेदारों को अपनी फ़र्मों में तीन तीन हजार रुपये मासिक पर रख लेते हैं जब कि उनका बाजार का मूल्य दो सौ और तीन सौ से अधिक नहीं होता।

दूसरे प्रकार का करप्शन विविध प्रकार के ट्रस्ट बना कर किया जाता है। मिसाल के लिये चेचम्मा ट्रस्ट है एम० ओ० मथाई के नाम पर। उनका नाम कोई नहीं जानता। यह ट्रस्ट

तीन लाख से शुरू हुआ था, अब इसमें २४ लाख रुपया है। यह रुपया बिड़ला आदि बड़े लोम देते हैं, क्यों देते हैं यह सदन अनुमान लगा सकता है।

इसी तरह से एक जनहित ट्रस्ट है जिसको प्रधान मंत्री के घर के सदस्य चलाते हैं। पता नहीं इसका क्या मकसद है, कहां से पैसा आता है और इसमें क्या काम होता है।

इसी तरह से एक जनशक्ति निधि नाम से ट्रस्ट बना है। इन चीजों में पूंजीपति पैसा देते हैं और उससे फायदा उठाते हैं और सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं।

इसी तरह से मंत्री लोगों के रिश्तेदार कल कारखानों में घुस गए हैं। कार्लिंगा ट्यूब्स लिमिटेड में इस तरह का करप्शन है। उसको बाहर से माल मंगाने के इम्पोर्ट लाइसेंस दिए जाते हैं और माल कलकत्ता से बन्दरगाह में आते ही बिक जाता है। और इस तरह से हिस्सेदारों को नुकसान होता है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। मूंदड़ा कांड हुआ, बोस एनक्वायरी कमेटी बैठी, और इसी तरह से रुबी और स्टीयाटिक बीमे की गड़बड़ चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी बिड़ला टाटा आदि के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उनकी जांच कराई जाय। ऐसा होने पर आप को पता चलेगा कि कौन चीज हो रही है और कहां क्या गोलमाल है, किस तरह से पैसा जाता है। जब हम यह करेंगे तभी हमको जाकर स्वस्थ सरकार मिल सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि जब वे इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे तभी देश का भला कर सकेंगे।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर जब मैं बात करने को खड़ा हुआ हूं तो मेरे सामने अपने गांव के, अपने क्षेत्र के और अपने देश के गरीब आदमियों की तस्वीर है। इस सदन में गरीबों की तरफ से बहुत बात कही जाती है। बार बार इस बात को कहा जाता है कि गरीबों का पैसा जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। मैं उन गरीबों की तरफ से वित्त मंत्री जी को आप के द्वारा यह अश्वासन दे देना चाहता हूं कि समस्त गरीब जनता इस बजट के साथ है।

यह बजट चीन के युद्ध की छाया में बना है, इस बात की इस देश की जनता अच्छी तरह हृदयंगम कर चुकी है। इस देश का बच्चा बच्चा इस बात को समझता है कि चीनी आक्रमण का हमको मुस्तैदी से मुकाबला करना है, और ऐसा करने के लिये यह जरूर है कि वह अपने समस्त वित्तीय साधनों को अधिक से अधिक त्याग और बलिदान करके एकत्र करें ताकि एक मजबूत सेना खड़ी की जा सके और हमारी सेना को ताकत पहुंचाई जासके और साथ ही साथ इस देश में सुरक्षा के अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।

यह ठीक है कि बजट बोझिल है और इसका बोझ गरीब पर भी पड़ने वाला है, लेकिन गरीब महसूस करता है कि भारत माता उसकी भी माता है और उसकी माता की छाती पर जो आक्रमण किया गया है उसका मुकाबला करने के लिये गरीब बहुत ज्यादा व्यग्र है और कहता है कि गरीबों की संख्या अधिक है इसलिये हमारे लिये अधिक त्याग और बलिदान करना और भी ज्यादा स्वाभाविक है और वह इसके लिये तैयार है।

[डा० सरोजनी महिषी पीठासीन हुईं]

सभानेत्री जी, १५ अरब ८६ करोड़, ७३ लाख की आय और १८ अरब, ५२ करोड़ ४० लाख के व्यय के इस बजट में जो कर वृद्धि की गई है पिछले जमाने में किन्हीं पांच वर्षों में इतनी कर वृद्धि वहीं की गई। इस दृष्टि से निश्चित रूप से यह बजट बोझिल है। लेकिन जब भी इस

तरह की बात हो तो हमें यह विचार करना होगा कि आखिर कौन सी परिस्थितियाँ और कौनसा घातावरण है जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ रहा है।

वित्त मंत्री जीको इस देश के गरीब की हालत मालूम है। वे गरीबों के बीच में रहे हैं और उनकी स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् भी उन्होंने यह जरूरी समझा कि यह बोझ इस देश के गरीब उठा सकते हैं और उनको उठाना चाहिये। ऐसी स्थिति में सदन के सामने उनको अपने इलाके की जनता की तरफ से यह आश्वासन देता हूँ कि गरीब जनता निश्चित रूप से पूरे तौर पर बजट से सहमत है और उसका स्वागत करती है। यह जरूर है कि हमको विचार करना होगा कि कहां पर और किस हद तक गरीब कौनसा बोझ संभाल सकते हैं और कहां पर कौनसा बोझ हम को कम करना है। अगर हम समझते हैं कि मिट्टी के तेल की गांवों के लिये ही विशेष आवश्यकता है और उस पर जो टैक्स है उसका बोझ गांव वालों पर पड़ने वाला है तो हमको विचार करना होगा कि हम उस दिशा में क्या कमी करें। मिट्टी का तेल बाहर से आयात किया जाता है और आज की स्थिति में इस पर बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना गलत है। वित्त मंत्री मिट्टी के तेल को कम करना चाहते हैं। उनकी यह भावना स्तुत्य है। इस भावना की हम बहुत कदर करते हैं लेकिन क्या यह अच्छा नहीं कि तेल के मूल्य वहीं रखे जायें, आयात को नियंत्रित कर दिया जाय, एक मिक्रदार निर्धारित कर दी जाय कि इतना ही तेल इस देश में आयेगा और जितना आयेगा उतने में ही इस देश को अपनी तेल की आवश्यकता पूरी करनी होगी। मैं समझता हूँ कि कम से कम मिट्टी के तेल के संबंध में निश्चित रूप से कुछ विचार किया जाना चाहिये क्योंकि उसके बड़े हुए दाम का बोझ केवल गरीबों पर पड़ने वाला है। देश आज संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है। सुरक्षा कानून हमारे साथ है इसलिये जनहित में अगर हमें कंट्रोलों को लागू करने को जरूरत पड़े तो मैं समझता हूँ कि हमें उनका लाभ लेना चाहिए और उन्हें लागू करने से हिचकिचाना नहीं होगा

एक माननीय सदस्य : कंट्रोल से ब्लैक मार्केट होता है।

श्री उवा० प्र० उरोतिषी : अब आजकल सुरक्षा की स्थिति है, सुरक्षा कानून हमारे पास है और शासन कंट्रोलों को यदि वह आवश्यक समझे तो उन्हें लागू करके मजबूती से उनपर अमल करवा सकता है और ब्लैक मार्केट करने वाले लोगों के साथ सख्त से भी पेश आ सकता है। मैं कंट्रोलों से डरता नहीं हूँ कि शासन को भी कंट्रोलों का डर नहीं होना चाहिये। अगर जरूरत महसूस की जाए तो इस तरह के नियंत्रण लाना चाहिये लेकिन गरीबों को निश्चित रूप से करों के अनावश्यक बोझ से जितना भी बचाया जा सकता है उतना उनको बचाने की चेष्टा करनी चाहिए।

सुपर प्रॉफिट टैक्स के संबंध में इस सदन में बड़ी चर्चा हुई। मैं कोई बड़ा अर्थ-शास्त्री नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि इसके कारण उद्योगों पर कोई खास रफावट नहीं आने वाली है। इस देश में से व्यक्तिवाद की भावना को हटाना है। जो लोग व्यक्तिवाद की भावना से विचार करते हैं और समझते हैं कि व्यक्ति को अधिक से अधिक अपनी सम्पत्ति का विकास करने को खुश छूट है, मैं समझता हूँ कि इस के विपरीत लोग अब सोचना प्रारम्भ करें हम इस देश में पैदा हुए हैं। इस देश के निर्माण में हम सब लोगों ने अपना अपना योग दिया है। हम सभी लोग चाहे हम विद्यार्थी रहे हों, चाहे कालिज में काम करने वाले प्रोफेसर रहे हों, चाहे खेत में काम करने वाले मजदूर हों और चाहे उद्योगपति हों, हम सब के व्यक्तित्व के निर्माण में इस देश के समाज ने अपना योगदान दिया है। हमारा अपना वैयक्तिक अस्तित्व इस देश के हित के लिए है। अगर कोई कम्पनी पूँजीपतियों के द्वारा ही कायम हुई तो वह

उस उद्योग के द्वारा वर्षों तक अधिक लाभ उठाती रहती है। इस लिये मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है कि अब यह हवा बदले। वह यह सोचें और वे इस बात के लिए मजबूर हों कि उस कम्पनी को जो अधिक लाभ होता है उस लाभ का कार्फां अंश इस देश को मिलना चाहिए क्योंकि उन का सम्पूर्ण अस्तित्व इस देश के द्वारा बना है। उनके उत्पादन के खरोदार, कारखानों में काम करने वाले आदमी, उनके कारखानों के लिए चंजें जुटाने वाले इसी देश के निवासी हैं, इस देश की भूमि ही पर उनका कारखाना स्थापित होता है, इस देश की ही वह भी रियाया हैं, देश पर जब संकट आया हुआ है तब इस देश को यह हक है कि उनको जो अधिक मुनाफा हुआ है उस मुनाफे का ५० प्रतिशत ले ले। इसलिए ऐसे राष्ट्रीय संकट के अवसर पर यदि उस भारी मुनाफे में से ५० प्रतिशत से लेने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है तो वह कोई अनुचित बात नहीं है।

चाहे कोई भी बजट हो, उस को बनाते समय और उस पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना चाहिये कि बजट में जो राशि लेने का कोशिश की जा रही है वह किन तबकों से और कहां से लेने के वास्ते का जा रही है? उसका विनियम, उसका विनियोग किस तरिके से होने वाला है? किन मदों में उनको खर्च किया जाना है और जिन मदों के लिये वह निर्धारित की गई है उन मदों पर ठांक तरिके से, मुस्तैदा के साथ और ईमानदारी के साथ व्यय हो रहा है या नहीं?

समाजवाद की चर्चा हम लोग करते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह बजट पूरी तरह से समाजवादी बजट नहीं है। इस का बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ने वाला है लेकिन मैं तो ऐसा महसूस नहीं करता कि इस बजट का बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ने वाला है। निश्चित रूप से इस बजट का बोझ उन लोगों पर अधिकाधिक पड़ने वाला है जिनके पास अधिक धन है। जो अधिक पैदा करते हैं उनपर हा निश्चित रूप से इसका बोझ पड़ेगा। पहले दो बजटों के बारे में भी मैं कह सकता हूँ कि उनका भी बोझ उन्हीं लोगों पर ज्यादा पड़ा है जिनके पास उत्पादन के अधिक साधन हैं। लेकिन एक छोटी सी चंज की तरफ मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि जो साधन सम्पन्न लोग हैं, जो उद्योगपति हैं वे अपनी आय छिपाते हैं यह निश्चित बात है। इस देश में धनी वर्ग द्वारा अपनी आय को छिपाया जाता है चाहे वह बड़े बड़े कारखानों के मालिक हों, चाहे वह बड़ों के व्यापारी हों और चाहे वह मिल के मालिक हों। मैं एक ब्रुश लेकर सारे उद्योगपतियों को कालाल नहीं करना चाहता लेकिन यह बात निश्चित है कि अधिकांशतः इस देश में करों की चंरो होती आई है और अभी भी हो रही है। शासन यद्यपि उन बड़े मुनाफा कमाने वालों से इस सुपर प्राफिट टैक्स आदि के द्वारा उस मुनाफे का बड़ा भारी हिस्सा ले लेना चाहता है लेकिन यह उद्योगपति कानूनी सलाहकारों द्वारा और अर्थ शास्त्रियों द्वारा समर्थन और सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। अगर तीन रुपये उनका आय हो तो दो रुपये तो वह पहले ही छिपा लेते हैं और शासन उनसे जो करों द्वारा वसूल करना चाहता है उससे वंचित रह जाता है। श्री काउडर की रिपोर्ट में मुझे यह ध्यान आता है कि उसमें बतलाया गया है कि एक टेक्स विशेषज्ञ से हमको २० करोड़ रुपये प्राप्त हो सकेंगे लेकिन दरअसल कितना रुपये हमको प्राप्त होता है? मैंने देखा कि बहुत कम राशि, ढाई करोड़ रुपये के करीब ही उस वक्त हमको प्राप्त होती है। अब पता नहीं कि आखिर बात क्या है या फिर यह ऐस्टिमेट्स पूरे सही नहीं होते हैं। यह तो हो सकता है कि हमें २० करोड़ के बजाय १६ करोड़ मिलते, १७ करोड़ मिलते, लेकिन वह १५, १६ करोड़ रुपये जो कि वाजिव आता था वह क्लेम के माहिर, अर्थशास्त्रियों और औद्योगिक संस्थाओं के मैनेजर्स की साजिश और साठगांठ के कारण दब कर रह गया। जहां अमोरों से सरकार को पूरा टैक्स मिल नहीं पा रहा है और गलत अफसरों और उद्योगपतियों की साठगांठ के कारण सरकारी टैक्सों का पैसा पूरा वसूल नहीं होता है वहां

[श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

गरीब पर जो भी टैक्स वाजिव आता है वह पूरी तरह वसूल हो जाता है क्योंकि उसकी झोंपड़ी में वह तिजोरी नहीं जिसमें कि वह अपनी दौलत को छिपा सके। लेकिन इसके विपरीत पूंजोपति जिनके कि पास महलों के अंदर तिजोरी के अंदर तिजोरी हैं, उन तक पहुंचना सरकारी कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। सरकारी कर्मचारी जोकि टैक्स की वसूली के लिए जाते हैं वे उन बड़े-बड़े उद्योगपतियों के महलों के खूबसूरत वातावरण में भटक और बहक जाते हैं और उन्हें उस समय देश का खयाल नहीं रहता है और वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं।

मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हू कि हमारी सरकार निश्चित रूप से समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। हमारा जो बजट है वह उस कसौटी पर पूरा उतरता है लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से मुनाफाखोरों से डील किया जाना चाहिए उस तरीके से पूरी तरह से डील नहीं किया जाता। गरीब लोगों से तो टैक्स का पैसा वसूल कर लिया जाता है लेकिन बड़े लोगों से टैक्स का वाजिव पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इसलिए गरीब तो और गरीब रह जाता है जबकि अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। मैं विन मंत्री महोदय का इस ओर विशेष रूप से ध्यान खींचूंगा कि वह यह देखें कि जिस तरह से डालमिया कम्पनी के बारे में जांच पड़ताल हो सकी और एक बड़ी साजिश का पता लगा और वह सारा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आया उसी तरह की गड़बड़ियां और टैक्स की चोरियां आदि निश्चित रूप से दूसरे बड़े बड़े प्राइवेट औद्योगिक संस्थानों में भी चल रही हैं।

मेरे पास इस बात की शिकायतें आई हैं कि छोटे-छोटे संस्थानों के उद्योगपतियों द्वारा सुरक्षा कोष में दिया गया पैसा गरीबों से वसूल करके दिया हुआ पैसा है। बड़ी-बड़ी कम्पनियां गरीबों से वसूल करके दे देती हैं, बोनस का रुपया सुरक्षा कोष में देती हैं और उस पर सरकार से टैक्स में छूट की मांग करते हैं। इन सब चीजों की तरफ शासन का ध्यान अधिक जाना चाहिए।

सभानेत्री महोदया, यह बात ठीक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है लेकिन मेरे मन को इससे संतोष नहीं है। जिस रफ्तार के साथ हम अपेक्षा करते हैं कि इस देश की प्रगति हो, उस रफ्तार में कमी है और उस कमी के लिए बड़ी सीमा तक एक जिम्मेदारी है हम सब की जिन्होंने इसमें तेजी लाने की दिशा में जो गरमी पैदा करनी थी और उस गरमी को पैदा नहीं किया। यह जरूरी है कि हमारे औद्योगिक संस्थानों पर हमारा कठोर नियंत्रण, कठोर अंकुश हो। हमने कई सरकारी संस्थायें स्थापित कीं और बड़े स्तर पर कारखाने खोले। कुछ कारखानों में बड़ा शानदार काम हुआ और टारगेट्स बहुत मजबूती से एचीव हुए। लेकिन यह बात भी सही है कि कुछ संस्थानों में खामियां हैं और उन खामियों की तरफ देश का ध्यान जाना चाहिए।

बहुत समय से इस सदन में इस बात की चर्चा हो रही है कि औद्योगिक संस्थानों के निरीक्षण और परीक्षण के लिए एक समिति का निर्माण किया जाये, जो कि उन संस्थानों का लेखा-जोखा लेती रहे और यह देखती रहे कि कहीं उनमें कोई गलती तो नहीं हो रही है। मैं समझता हू कि इसमें बहुत समय गुजर गया है। इसलिए जल्द से जल्द इस तरह की समिति का निर्माण अवश्य होना चाहिए। मैं समझता हू कि सरकारी और गैर-सरकारी इस तरह का मिला-जुला एक नियंत्रण हर संस्थान पर होना चाहिए।

जहां तक भोपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल्ज का सम्बन्ध है, मेरी समझ में नहीं आता कि वह उन टारगेट्स को एचाव करने में अभी तक सफल क्यों नहीं हो सका, जो कि उसके समक्ष प्रस्तुत किये गए थे। आखिर उसमें कौन सी खामियां हैं? उन खामियों को दूर करने में हमें अधिक से अधिक सजग होना चाहिए।

सुरक्षा की दृष्टि से इस देश में औद्योगिक वातवारण बनाना बहुत जरूरी है। कृषि का विकास उस दृष्टि से बहुत आवश्यक है। आज भी देश की सब से ज्यादा आय कृषि के द्वारा ही होती है। हम कृषि से ४६.८ प्रतिशत, उद्योगों से १६.१ प्रतिशत और यातायात से १६.६ प्रतिशत आय प्राप्त कर रहे हैं। जिस उद्योग से इतना अधिक लाभ हो रहा है और जो उद्योग आज भी देश की रीढ़ बना हुआ है, उस उद्योग की वृद्धि और विकास की तरफ और उस उद्योग को चलाने वाले लोगों की अवस्था को सुधारने की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। विदेशों से गल्ला मंगाने के लिए जो करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, अगर हम उनको किसानों को सबसिडी के रूप में दें, तो किसान अधिक अन्न पैदा करने के लिए प्रेरित होंगे।

गो-रक्षण की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वह भी कृषि से सम्बन्धित विषय है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

†श्री हिम्मतासहका (गोड्डा): आज के बजट प्रस्तावों को हमें देश की वर्तमान पृष्ठभूमि में देखना है। हम पर एक ऐसे देश ने आक्रमण कर दिया है जिसको हमने मित्र समझा था और इस प्रकार प्रतिरक्षा के संबंध में हमारी उम्मेदा का लाभ उठाया गया। अतः यह उचित है कि वित्तमंत्री हमसे प्रतिरक्षा और आर्थिक विकास के लिये कुछ त्याग करने को कहें।

प्रतिरक्षा से संबंधित उद्योगों के लिये हमें अधिक धन राशि की आवश्यकता होगी। इस कारण वित्त मंत्री ने यह प्रयत्न किया है कि करों को अधिकाधिक व्यापक बनायें।

एक दो वस्तुओं को छोड़ कर, जिन पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है, वे अधिकांश विलासिता की वस्तुयें हैं।

इनमें से अधिकांश मदों के अन्तर्गत वस्तुओं को जिनपर उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है देश के जन साधारण द्वारा उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तथापि सरकार जनसाधारण के उपयोग की वस्तुओं, जैसे मिट्टी के तेल और अन्य वस्तुएं; पर शुल्क बढ़ाने के बारे में पुनर्विचार करे।

सरकार इस बात पर विचार करे कि मौजूदा प्रशासनिक हालत में अनिवार्य बचत योजना व्यवहार्य है।

सरकार इस पर विचार करे कि क्या अधिताभ कर लागू करने से कम्पनियां भविष्य में विनियोजन कम नहीं करेंगी और क्या यह देश के पूंजी निर्माण में बाधक नहीं होगा। अधिलाभ कर के स्थान में अतिरिक्त कर लाभ जैसा कोई कर लगाया जाये। कराधान के मामले में बैंकों के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाये।

[श्री हिम्मतसिंहका]

सरकारों क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंध अच्छा किया जाये ताकि उनमें पूंजी लगाने से अधिक लाभ मिले।

असैनिक व्यय के मितव्ययिता करने की बहुत गुंजायश है, इस क्षेत्र में और अधिक मितव्ययिता की जानी चाहिये।

†डा० मा० श्री० अणु : मेरे विचार से हमें वह शपथ पुनः लेनी चाहिये जो पह हमने पिछले वर्ष १४ नवम्बर को ली थी।

यद्यपि शत्रु ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि वे काफी पीछे हट गये हैं तथापि वे अभी भी हमारी भूमि में हैं अतः हमें उनको अपनी जन्मभूमि से बाहर खदेड़ने की भरसक कोशिश करना चाहिये।

चीन ने पाकिस्तान से समझौता करके १३००० मील का क्षेत्र हड़प लिया है। यह क्षेत्र भारत का है तथा पाकिस्तान उस पर वलात् कब्जा किये हुए है। अतः हमें ऐसा संकल्प पारित करना चाहिये जिससे इन क्षेत्रों का भी उल्लेख हो।

सरकार प्रतिरक्षा और विकास को एक ही स्तर में रख कर गलती कर रही है। हमें विकास की अपेक्षा प्रतिरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये नये कर लगा कर मुद्रास्फोति करना भी उचित नहीं है। प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण आदि जैसे सामाजिक विकास कार्यक्रमों को प्रतिरक्षा के बराबर अनिवार्य नहीं समझा जा सकता है। सरकार ने तथाकथित विकास के पक्ष में पिछले १५ वर्षों से प्रतिरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया है।

देशभक्त न होने के बारे में विरोधी पक्षों को बदनाम करना शासक दल के नेताओं के लिये गलत बात है।

अधिलाभ कर से नयी कम्पनियों पर बड़ा भार पड़ेगा। इससे उद्योगों के विकास में बाधा पड़ेगी।

सरकार को अनिवार्य बचत योजना पर पुनर्विचार करना चाहिये। ५००० ह० प्रति वर्ष की आय तक वाले लोगों को बचत करने के लिये मजबूर न किया जाये क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि इस वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह भी कठिन हो जायेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मैं सोने की नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। स्वर्ण नीति का प्रतिपादन करते समय श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि इसका उद्देश्य सोने के तस्कर व्यापार को रोकना और सोने की तृष्णा समाप्त करना है। उन्होंने कहा है कि इस देश में प्रतिवर्ष २४ से ६० करोड़ रुपये प्रति वर्ष सोने का आयात होता है। सरकार को यह याद रखना चाहिये कि इसी सोने के कारण विदेशों से हमें ऋण मिलता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इतने विशाल देश में जिसकी तट रेखा इतनी बड़ी है वहां तस्कर व्यापार रोकना संभव नहीं है। मेरे विचार से इस प्रकार का वक्तव्य देना अपने को प्रशासन के अयोग्य घोषित करना है।

स्वर्ण बॉण्डों की अपील का जनता पर कोई उत्साहवर्द्धक प्रभाव नहीं हुआ है। इस से स्पष्ट है कि जनता की सरकार में विश्वास की कमी है। मेरा सुझाव है कि स्वर्ण बॉण्डों के स्थान में कुछ निश्चित काल के पश्चात् कुछ सूद सहित सोना ही लौटाया जाये। ऐसा करने से जनता स्वर्ण बॉण्ड अधिक उत्साह से खरीदेगी।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : बजट राष्ट्र के विकास, उसकी सुख समृद्धि का प्रतिबिम्ब है इस दृष्टि से यह एक प्रशंसनीय बजट है।

विदेशी समाचार पत्रों में वर्तमान बजट की जो आलोचना की गयी है उसमें कहा जाता है कि इसके द्वारा विपरीत वित्तीय समास्याओं पर रुढ़िवादी और परम्परागत दृष्टिकोण से विचार किया गया है।

जो लोग कहते हैं कि अधिलाभकर से हानि होगी या आर्थिक विकास रुक जाएगा वे गलत कहते हैं। कम्पनियों की काफी आय है और वे आराम से अधिलाभ कर दे सकेंगी।

चीन सबसे बड़ा खतरा है। वित्त मन्त्री ने उसका मुकाबला करने के लिये ही कदम उठाए हैं। हमें उन लोगों से होशियार रहना चाहिए जो कि बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। आशा है कि वित्त मन्त्री उनका ध्यान रखेंगे।

देश में करों का अपवंचन बहुत होता है। सरकार को कर वसूल करने की व्यवस्था कड़ी कर देनी चाहिए और कोई अपवंचन न होने दिया जाए। कर अपवंचकों के साथ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मूल्य स्थिर करने के लिये कदम उठाए जाने चाहियें। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भारत मुफाखोरों का स्वर्ग न बने। वस्तुओं के मूल्य टांगे जाने चाहियें ताकि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य न देना पड़े।

सरकारी दफ्तरों तथा अन्य स्थानों पर काफी काम चोर मौजूद हैं। उन्हें दण्ड मिलना चाहिए और काम चोरी की रोकथाम की जानी चाहिए, अन्यथा वित्त मन्त्री जी के अच्छे विचार स्वप्नमात्र ही रहेंगे।

सरकार को मितव्ययता बरतनी चाहिये। जो अनुपूरक मांगें हमारे सामने हैं उसमें कई नए अधिकारियों की जरूरत के बारे में लिखा है। इस तरह से व्यय में काफी वृद्धि होती है।

किताबों के एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर अधिक खर्च आएगा। इससे ज्ञान वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वित्त मन्त्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जबकि हम शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो किताबों पर डाकखर्च में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसमें करों की बहुलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि इमजेंसी के कारण उनका औचित्य भी है, परन्तु जीवन की बुनियादी चीजें तो हर एक व्यक्ति को सुलभ होनी चाहिए। हर एक मनुष्य के लिए खाना, कपड़ा, रहने की जगह, रक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए यह सबसे जरूरी था कि प्लानिंग कमीशन को भारत के हर एक नागरिक के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए था और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद ही उन पर टैक्स लगाना चाहिए था। हम खाना खाना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। इसी प्रकार हम कपड़े पहनना चाहते हैं सर्दी-गर्मी से बचने के लिए, शरीर की शोभा के लिए नहीं। हम चाहते हैं

[श्री ब० प्र० सिंह]

कि देश के सभी चौदह वर्ष से कम बच्चों के लिए कम्पलसरी शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि वे देश के अच्छे और सुयोग्य नागरिक बन सकें। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हर एक आदमी के लिए रहने का आवास हो और उसके स्वास्थ्य के लिए पूरा प्रबन्ध हो। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। इमर्जेंसी के नाम पर आज जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, हिन्दुस्तान का प्रत्येक आदमी उन का समर्थन कर रहा है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि लोगों की बुनियादी जरूरियात को पूरा किया जाये।

हम देखते हैं कि इस सत्र में ही सरकार अंग्रेजी को सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी की सह-भाषा बनाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि देश के हर एक नागरिक को और लोक सभा के सदस्य को संविधान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हम १९४६ में यह कबूल कर चुके हैं कि हमारी राजभाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन जब कभी इस बारे में चर्चा जाती है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हिन्दी थोपी नहीं जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दी की प्रतिष्ठा केवल हिन्दी की प्रतिष्ठा ही नहीं है, बल्कि वह तो संविधान की प्रतिष्ठा है। यदि आप संविधान की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो आपको कुबूल करना चाहिए कि पन्द्रह वर्षों के बाद हिन्दी को अनिर्णय रूप से जारी किया जायेगा। लेकिन आज यह कहा जाता है कि हमारे बहुत महान् नेता इस बारे में वादा कर चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान का दर्जा किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। जिस संविधान को हम सत्र मंजूर कर चुके हैं, उसमें किसी की सहूलियत या किसी के विरोध के कारण परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संविधान की प्रतिष्ठा कायम नहीं रहती है।

और एक बात में भी संविधान की अवहेलना की गई है और वह है शराबखोरी के सम्बन्ध में। जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, कोई यह नहीं कह सकता कि शराब से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि यदि मुझे एक घंटे के लिए भी डिस्टेंटर बना दिया जाये, तो मैं सबसे पहले यह काम करूंगा कि मैं शराबखोरी और नशाखोरी को बन्द कर दूंगा। हम बापू का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी देश में शराबखोरी और नशाखोरी को जारी रहने देते हैं। हिन्दुस्तान के हर एक नागरिक को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि पन्द्रह वर्ष के बाद भी हम शराबखोरी को दूर नहीं कर सके हैं।

बहुत से लोग कहते हैं कि शराबखोरी को खत्म करने की जवाबदेही राज्य सरकारों पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, लेकिन उन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वही उनको अच्छी तरह से कर सकती है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कृषि को उन्नति चाहती है और संविधान में हमने यह प्रतिज्ञा की है कि हम दुधारू गायों और बछड़ों का वध नहीं करेंगे। कुछ राज्य सरकारों ने इस तरफ कदम उठाए हैं, लेकिन यूनियन सरकार की तरफ से पशु-पालन की उन्नति के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है।

शिक्षा भी हमारे लिए एक महत्व का विषय है। आज हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा भी हमारे यहां तीन प्रकार की चल रही है, एक है ट्रेडिशनल, दूसरी है रूरल और तीसरी है वेसिक। हम यह निश्चय ही नहीं कर पाये हैं कि इनमें से कौन सी बेहतर है, किस को अपनाया जाए, किस का प्रतिपादन किया जाए। यह जो तरीका है यह ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ आप पब्लिक स्कूलों की खोजें जा रहे हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि आप कृष्ण सुशमा पैदा कर सकते हैं। सारी पद्धतियों का सर्वेक्षण करके, सारी पद्धतियों का अध्ययन करके, जो भी पद्धति लाभप्रद हो, उसको आपको सारे देश में लागू करना चाहिये।

अनएम्प्लायमेंट भी हमारे देश में बहुत बढ़ रही है। यह शिक्षित वर्ग में ही नहीं बल्कि जो शिक्षित नहीं हैं, उनमें भी बढ़ रही है। इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। पिछले दस बरसों से मैं निवेदन करता आ रहा हूँ कि आप निम्नतम जो जीवन मान है, उसको स्थिर कर दें और ऊंचे से ऊंचा जो हो सकता है, उसको भी स्थिर कर दें। लेकिन आप इसके बारे में भी कोई फैसला नहीं कर सके हैं कि निम्न से निम्न कौनसा जीवन मान होना चाहिये। अगर आपने ऐसा कर दिया होता तो नीचे वालों को ऊपर लाने की और ऊपर वालों को नीचे लाने की आप कुछ कोशिश तो कर ही सकते थे। हमारे योजना मंत्री जी ने कहा था कि यह मामला विचाराधीन है। अभी तक भी ऐसा मालूम पड़ता है कि यह विचाराधीन ही है और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसके बारे में जब पार्लियामेंट में प्रश्न किए जाते हैं तो उनका भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। शायद इसको महत्वहीन बात समझा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह मामला बहुत जरूरी है और इस पर आपको तुरन्त ध्यान देना चाहिये और किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिये।

यह कहा जाता है कि हमारे देश की पैदावार बढ़े। पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर आप पूरे तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। आप एक कमीशन बिठाने का विचार कर रहे हैं जो कि इस पर विचार करेगा। मैं समझता हूँ कि आज जो पैदावार नहीं बढ़ रही है, उसके जहां दूसरे कई कारण हैं, वहां एक कारण यह भी है कि योजना कमीशन इस मामले से अनभिज्ञ है। आप देखें कि आज किसान की अवस्था क्या है, उत्पादन का खर्चा क्या है और आप उसको क्या देते हैं। अगर आप इन सब बातों पर विचार करें तो पैदावार बढ़ना मुश्किल नहीं होना चाहिये। खुशी की बात है कि योजना कमीशन ने निश्चय किया है कि बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं पर जोर न देकर मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया जाए, छोटी सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया जाए। आज आप देखें तो पता चलेगा कि ६.४ करोड़ रुपए हाउस होल्ड देहातों में हैं उनमें से २३ प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। २४ प्रतिशत ऐसे हैं जिन के पास एक एकड़ से कम जमीन है। तीन चौथाई परिवार ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है और १।८ ऐसे हैं जिनके पास दस एकड़ से अधिक जमीन है। एक परसेंट ही ऐसे हैं जिनके पास पचास एकड़ से ज्यादा जमीन है। कुछ हजार ही ऐसे परिवार हैं, जिनके पास २५० एकड़ या इससे अधिक जमीन है। और एक लाख के करीब ऐसे हैं जिनके पास सौ एकड़ से ज्यादा जमीन है। अगर लैंडलेस लोगों को निकाल दिया जाए तो करीब छः एकड़ प्रति परिवार ही जमीन पड़ती है। आप इसको भी देखें कि एक एकड़ पर जो नैट प्राफिट होता है वह केवल चालीस रुपये होता है। ऐसी हालत में आप देखें कि जब आप लैंड सीलिंग की बात करते हैं, तो जो सीलिंग लगाते हैं, उसमें उनको कितनी आमदनी होती है। आप की यह खाहिश प्रतीत होती है कि खेती का काम अनपढ़ लोगों के जिम्मे ही रहे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि देश के पढ़े लिखे लोग भी खेती के काम में दिलचस्पी लें, खेती के काम को करें, पढ़े लिखे नौजवान भी इसमें लगे तो आपको जो ऊंची से ऊंची सीमा है उसको भी तय कर देना होगा। सैक्रेटेरियेट में तो आप लोगों को तीन तीन हजार रुपया माहवार देते हैं, लेकिन जो खेती करता है, उसके लिए आप बीस या पच्चीस एकड़ की सीलिंग लगा देते हैं इरिगेटिड होल्डिंग की। ६.७ एकड़ वे रखते हैं। इससे क्या हो सकता है।

आप इस के लिए भी चिंतित हैं कि प्राइस को रोका जाए। अब प्राइसिस को कैसे रोका जा सकता है। प्राइसिस तभी रुक सकती है यदि आप जो प्राइवशन कास्ट है, उस को आधार मान कर चले, और उस को देख कर कीमत नियत करें। यदि आप ने ऐसा किया तभी किसानों को प्रोत्साहन मिल सकता है, तभी वे अधिक पैदावार करने के लिए उत्साहित किये जा सकते हैं, तभी उन में उत्साह का संचार हो सकता है। आप यह सवाल कर सकते हैं कि प्राइवशन कास्ट को कैसे मालूम किया जाए। इस का भी जबाब मेरे पास है। हर एक ब्लाक में आप ने फार्म कायम किए हैं। उन फार्मों

[श्री ब० प्र० सिंह]

में जो कुछ पैदा होता है, उस को पैदा करने की जो कास्ट होती है, उस के आधार पर ही आप प्राइसिस नियत कर सकते हैं। यदि आप ने ऐसा किया तो किसान को इंसेंटिव होगा और वह अधिक पैदा करेगा।

आप यह भी देखें कि क्या आप ने उस के खेत को फ्लड से और सूखे से बचाने के लिए भी कोई प्रबन्ध किया है। यदि किसी वर्ष में बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो किसान की जो सारी पूंजी होती है, वह तो तबाह होती ही है, वह तो बरबाद होती है, उस के बाद भी जो मजदूरी उस को देनी पड़ती है, वह अलग होती है। ऐसी हालत में जो लगान होता है वह भी माफ नहीं किया जाता है।

अब आप कम्पलसरी सेविंग करने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि लगान का जो पचास प्रतिशत होगा, वह इस में जमा होगा। आप ने जो अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं, उन का भी ख्याल नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने फैजपुर कांग्रेस में, हरीपुरा कांग्रेस में किसानों को विश्वास दिलाया था कि उन की मालगुजारी काफी कम कर दी जाएगी। ऐसा न कर के आज किया यह गया है कि बिहार में साढ़े बारह परसेंट उन पर सैस बढ़ चुका है, इस बजट के फलस्वरूप २५ परसेंट उन पर भार पड़ने वाला है और कम्पलसरी सेविंग में उन को पचास परसेंट देना पड़ेगा। जो यह हुआ सो तो हुआ लेकिन आप सब से पहले जीवन मान तो स्थिर कीजिये, जो लोगों की बुनियादी जरूरियात हैं, उन की पूर्ति तो कीजिये। हमारे धान मंत्री जी कहते हैं कि यह लड़ाई बरसों तक चल सकती है और कभी कभी यह भी कहते हैं कि जैनरेशंस तक चल सकती है। ऐसी हालत में आप को सोचना पड़ेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक की बुनियादी चीजों की जरूरियात पूरी हों। हर किसी को पहनने के लिए कपड़ा मिलना चाहिये, शरीर को शोभा को लिए नहीं बल्कि गर्मी सर्दी से उस की रक्षा हो सके, इसलिए, सुबह शाम का सब को भोजन मिलना चाहिये, स्वाद के लिए नहीं बल्कि, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, रहने का हर किसी को घर मिलना चाहिए ताकि वह सर्दी गर्मी से अपनी रक्षा कर सके। यह आप तभी कर सकते हैं जब आप जीवन मान स्थिर कर दें और जो निम्न स्तर पर हैं, उनको किसी तरह से ऊपर लायें, उन पर किसी तरह का कर न लगायें और किसानों को भी उसी स्तर पर लायें जिस स्तर पर आप अन्य नागरिकों को लाते हैं, शहर वालों को लाते हैं।

हमारे पास जो जमीन है, उस को आप देखें। यह भी आप देखें कि उस जमीन से जो पैदावार होती है, वह कैसे बढ़ सकती है। बहुत से प्लानिंग कमिशन के सदस्यों ने कहा कि खेतों की मेढ़ों को तोड़ दो, सड़कों की खनता जोड़ कर के खेती करो। मैं समझता हूँ कि इस तरह से पैदावार नहीं बढ़ सकती है। आप देखें कि देश में आज कितनी जमीन है और इस का सुधार किस तरह से हो सकता है। यदि आप ने ऐसा किया तो हमारी पैदावार बढ़ सकती है। आप के पास जो टोटल ज्योप्रेफिकल एरिया है वह ८०.६३ करोड़ एकड़ है। इसमें जो रिपोर्टिंग एरिया है वह ७२.४१ करोड़ एकड़ है। बैरन लैंड ८,२१ करोड़ एकड़ है। कल्टीवेबल बेस्ट ५.८ करोड़ एकड़ है। जो करेंट फैंडो है वह ५,९४ करोड़ एकड़ है। इस तरह से १९, २३ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिस का सुधार कर के आप उस में पैदावार बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा न कर के आप देहाती लोगों के जीवन को हीच पीच कर रहे हैं। आज कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या किया जा रहा है। बिहार के सम्बन्ध में जब प्लानिंग कमिशन से पूछा जाता है कि सुधार क्या आप ने सुझाये हैं तो जवाब मिलता है कि हम ने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया है और जब बिहार सरकार से पूछा जाता है तो वहां से पता चलता है कि योजना कमिशन के सुझाव पर ही ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो भी सुझाव दिया जाए, उस का कुछ न कुछ आधार तो होना चाहिये। आप कहते हैं कि भूमि सुधार इसलिए किए गए हैं कि सब-लैटिंग से एक्सप्लायटेशन होता है। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि सब-लैटिंग को प्रोप्रेशन

भी है। चीन की मिसाल मैं आप को देना चाहता हूँ। वहाँ पर जितने लोग आबाद किए जाते हैं, उन में से पचास परसेंट सब-लैटिंग कर सकते हैं। धान की खेती का जिन को तजुर्बा है, वे जानते हैं कि एक एकड़ भी जिस के पास ज़मीन होती है, उस को उस के लिए दस बीस मजदूरों की जरूरत होती है। इस तरह से वहाँ पर सहयोग की भावना से आगे काम चलता है। इस तरह की बातों की जब जानकारी नहीं होती है तो किस तरह से हमारे देश की पैदावार बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ कि जानकारी के अभाव में योजना कमिशन इस तरह के सुझाव दे देता है जिन से गलतफहमी पैदा हो जाती है। आप कहते हैं कि अभी केवल १६ परसेंट इरिगेटिड लैंड है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप इरिगेशन की पूरी व्यवस्था कर सकें तो काफ़ी हमारी पैदावार बढ़ सकती है। ८.२१ करोड़ एकड़ जमीन आपके पास बैरन पड़ी हुई है और उसकी तरफ आप देखें। इसको पानी आप दें। जहाँ पर पानी दिया जाता है वहाँ पर सब कुछ पैदा हो सकता है, यहाँ तक की ज़मीन की मिट्टी भी बदली जा सकती है, ऐसी विशेषज्ञों की राय है। लेकिन जिनको खेती का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, उनके सुझावों के ऊपर हम चलते हैं। इस का परिणाम यह होता है कि खेती की पैदावार नहीं बढ़ती है।

मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्राडक्शन कास्ट का ख्याल करे। प्राडक्शन कास्ट आप के जो हर एक ब्लाक में फार्म हैं, उन पर जो कास्ट आती है, उस से मालूम की जा सकती है। यदि ऐसा किया गया और किसानों को ठीक दाम उनकी उपज का दिया गया तो उस में इंसेंटिव आएगा और देश की पैदावार काफ़ी बढ़ जाएगी।

†श्री राजा राम (कृष्णगिरि) : इस वर्ष का बजट आपातकालीन बजट है। देश की स्वाधीनता की रक्षा करने और अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिये कई नए कर लगाए गए हैं। जहाँ तक लोगों की कर क्षमता का सम्बन्ध है, अधिकतम सीमा आ पहुँची है।

जहाँ तक सरकार के व्यय का सम्बन्ध है, लोगों को उसके बारे में भी सन्देह है कि सरकार अधिक खर्च करती है। स्टाफ कारें खरीदी जा रही हैं। नए अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। हमारे दूतावासों के लोग विलास वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाई करनी चाहिए। कीमतें बढ़ रही हैं। मध्यम और निचले वर्ग के लोग मंहगाई से पिसे जा रहे हैं। बढ़िया और घटिया किस्म के तेल पर 'लैवी' से निर्धन लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। गरीब लोग घर में रोशनी करने के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। उन के बच्चे इस की रोशनी में पढ़ते हैं। तेल पर 'लैवी' में वृद्धि को वापस ले लेना चाहिए।

पोस्ट कार्ड निर्धन व्यक्ति अधिकतर प्रयोग करते हैं। उस की कीमत में वृद्धि से उन पर इस का प्रभाव पड़ेगा। जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर जो कर में वृद्धि की गई है उस में थोड़े वेतनों वाले और उन में भी विशेषकर निश्चित वेतन वाले लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।

अनिवार्य बचत योजना के बारे में कहा गया है कि यह गरीब लोगों के जीवन स्तर को और कम करेगा। वेतन वाले व्यक्ति पहले ही किसी न किसी रूप में भविष्य निधि, जीवन बीमा आदि में धन देते हैं। अनिवार्य बचत से तो उन पर अधिक बोझ हो जाएगा।

लोगों पर करों का भार कम करने के लिए हम सुझाव देते हैं कि चलचित्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। कर वसूल करने की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए ताकि कर अपवंचन न हो सके। सरकारी क्षेत्र के उपकरणों को अधिक कुशल बनाया जाए ताकि उन में लगाई गई पूंजी पर अधिक लाभ हो सके। प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर किया जाए और प्रशासनिक व्यय में कमी की जाए।

[श्री राजाराम]

केन्द्रीय सरकार के चारों विश्वविद्यालय उत्तर में हैं। श्री के० एम० पाणिकर ने सुझाव दिया है कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय मद्रास में खोला जाए। अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। सैलम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि सैलम शिक्षा के दृष्टिकोण से मद्रास का बहुत पिछड़ा हुआ भाग है।

श्री गोपाल दत्त मैंगी (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय इमर्जेन्सी के साथे तले जो बजट पेश किया गया है, उस के लिए जिम्मेदार १९६२ में हुए वे वाक्यात हैं, जिन्होंने देश को एक ऐसा धक्का दिया कि हम एक भूला हुआ सबक दोबारा याद करने पर मजबूर हो गए।

१६.५०

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

वह सबक यह है कि शान्ति और सच्चाई के पीछे जब तक शक्ति न हो, तब तक संसार में न तो शान्ति की इज्जत होती है और न सच्चाई का सम्मान होता है। यह सबक एक मौलिक सिद्धान्त और एक बुनियादी उसूल पर मबनी है, लेकिन बदकिस्मती से इसे हम भूल गए थे और इसी वजह से, हालांकि भारत संसार में सब से ज्यादा शान्तिप्रिय है और वार्डर इस्यु पर उस का पक्ष बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है, उस को ह्युमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ी और जिन देशों को हम मित्र समझते थे, वे भी हम से किसी कद्र किनराकशी कर गए।

लेकिन इस परेशानी के बावजूद एक बात बहुत उत्साहवर्द्धक और हौसला-अफ़जा है और वह यह है कि जिन लोगों के हाथ में इस देश का नेतृत्व है, वे कभी भी जोश के वक्त होश को हाथ से नहीं जाने देते। जिस वक्त नेफ़ा में परपाइयां हो रही थीं, जिस वक्त हम पीछे हट रहे थे, उस वक्त पंडित नेहरू ने, देश के उस अग्रणी नेता ने, हमें यह चेतावनी दी कि मजबूत डिफेंस के लिए मजबूत इंडस्ट्रियल बेस और देश की माली हालत का बेहतर होना भी बहुत ज़हूरी है, इस लिए जहां हम अपने देश को मजबूत करने के लिए कदम उठाये, वहां हम अपने देश की इंडस्ट्रियल प्राडक्शन और माली हालत को बेहतर बनाने की तरफ़ भी पूरी तवज्जह दें। चुनांचे यह बजट उन्हीं उसूलों की बिना पर तैयार किया गया है।

इस तरह इस संकट के समय देश के सब तबके और ग्रुप्स के लोग एकत्र हो कर, एकजान और एकमत हो कर, दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, हमें खुशी है कि किसी तरह ही माननीय वित्त मंत्री ने इस संकट का बोझ भी सब संकटर्ज और सब ग्रुप्स और समाज के सब मुख्तापलफ़ हिस्सों पर डाला है। अगर्चे यह हकीकत है कि पिछले पंद्रह वर्षों से लगातार इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से छोटे तबकों, मिडल क्लासिज़ और लोअर क्लासिज़ पर ज्यादा बोझा पड़ता रहा है और आज भी उन पर काफ़ी बोझ डाला गया है, लेकिन उन की तरफ़ से तो नाराज़गी या प्रोटेस्ट की उतनी आवाज़ नहीं आती है, जितनी कि हमारे उन दोस्तों की तरफ़ से आती है, जिन्होंने पिछले पंद्रह वर्षों में बहुत कमया है और छोटे तबकों की कास्ट पर कमया है। मैं समझता हूं कि अगर वे उतने ही देशभक्त हैं, जितने कि वे क्लेम करते हैं, तो इस वक्त उन्हें आगे आ कर ज्यादा टैक्सेशन के लिए सुझाव देना चाहिए था, न कि सुपर प्राफ़िट्स टैक्स की मुख्तापलफ़त करनी थी, जो कि रिज़र्व्स निकाल कर के, डेप्रिसियेशन को निकाल कर के फिर लगाया जाना है। और वह मुख्तापलफ़त इतनी सस्टेन्ड और लगातार है कि अख़बारों में यह भी आ रहा है कि उस का असर भी हमारी सरकार पर हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह बात बहुत अफ़सोसनाक होगी कि बिज़िनेस क्लास के इस प्रचार

का इतना असर पड़े कि सुपर प्राफिट्स टेक्स में, जिस को कांग्रेस बैंचेंज से बहुत रिपोर्ट मिली है, किसी तरह का संशोधन किया जाय, क्योंकि आज तक तो गरीब और दरमियाना तबका ही सब बोझ बर्दाश्त करता रहा है और अगर आज थोड़ा सा बोझ अप्पर क्लासिज को भी बर्दाश्त करना पड़े, तो इस में कोई एतराज नहीं होना चाहिए ।

जब मैं टैक्सेशन की जैनरल पालिसी का अनुमोदन करता हूं, तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ वित्त मंत्री की सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह मेरे इस सुझाव पर जरा विचार करे कि कम्पलसरी सेविंग स्कीम में इतनी सी अमेंडमेंट कर दी जाये कि जो प्यारली सैलेरीड ग्रुप्स के लोग हैं, जिन की आमदनी सिर्फ तन्खाह पर निर्भर है, अगर उन में से किसी ने इन्शोरेंस कराया हुआ हो, तो वह इन्शोरेंस पर जितना प्रीमियम देता हो, उस ने जो कम्पलसरी सेविंग करनी है, उस में से वह रकम एकाउंट फ़ार हो जाये । इस से लोअर सैलेरीड ग्रुप्स की एक बहुत बड़ी शिकायत दूर हो जायगी ।

बुक पोस्ट के बारे में अभी माननीय सदस्य, श्री शर्मा, ने कहा है कि लोग अपने विचार पेश करने के लिए आम तौर पर बुक-पोस्ट का सहारा लेते हैं । नये पोस्टल रेट्स से आमदनी तो बहुत थोड़ी होगी, लेकिन उन से प्रचार के कार्य में बाधा और रुकावट पड़जायगी । इस लिए अगर माननीय मंत्री इस पर विचार करें, तो मैं कृतज्ञ हूंगा ।

जब हम ने गोल्ड कंट्रोल आर्डर के जरिये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया है, तो आज हो या कल, उस का असर यह होगा कि गांवों के लोग, जो पहले अपनी बचत में से कुछ न कुछ रकम मुसीबत के दिनों के लिए सोने की शकल में रखते थे, रुपये की शकल में बचत करने लग जायेंगे । चूंकि देहात के लोग रुपया अपने पास नहीं रखना चाहते, इस लिए उन को रुपया जमा करने के लिए बैंकिंग की जरूरत होगी, ऐसी गांव गांव में ऐसी आरगानाइजेशन की जरूरत होगी, जहां वे अपना रुपया जमा करा सकें । इस के लिए हमें देहात में बैंकिंग की सुविधा देनी होगी ।

पूरे देश के घेरे में हर जगह बैंकिंग युनिट्स होने चाहिए । लेकिन हम को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि हजारों या लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बचत उन के खन-पसीने की कमाई बैंकों में जायगी । विवियन बोस की रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है । यह सदन इस बात से भी वाकिफ़ है कि जो लोग प्राईवेट बैंक्स में मैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं, वे लोगों के रुपये से किस तरह ग़ैर जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं और किस तरह वह रुपया बाज्र दफ़ा जाया किया जाता है । इस लिए मेरा सुझाव है कि चूंकि देश में आज संकट की स्थिति है, जिस का सामना करने के लिए रुपये और रीसोर्सिज की जरूरत है, और उस के साथ ही चूंकि लोगों में बैंकिंग के लिए कान्फ़िडेंस पैदा करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस लिए बैंक्स को भी नैशनलाइज कर दिया जाये । जब लाइफ़ इन्शोरेंस को नैशनलाइज किया गया था, तो इन्शोरेंस का काम बढ़ा था, कम नहीं हुआ था और हालत बेहतर हुई थी । इसी तरह बैंक्स का नैशनलाइजेशन करने से लोगों में बैंकिंग में एक ख़ास किस्म का विश्वास बढ़ेगा और ज्यादातर लोग अपना रुपया बैंकों में जमा करायेंगे ।

जहां तक टैक्स एरियार्ज और टैक्स इवज़न का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब ढीलापन नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब डिसिप्लिन और मज़बूती है, अगर्चे उस का मतलब रेजिमेन्टेशन नहीं है । इस लिए मेरी प्रार्थना है कि डेमोक्रेसी को एफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव साबित करने के लिए यह जरूरी है कि टैक्स इवज़न को रोका जाए ।

[श्री गोपाल दत्त मॅगी]

हमने गोल्ड कंट्रोल आडर निकाला था। वित्त मंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि जो लोग गोल्ड बांड खरीदेंगे उनसे इस बात का हिसाब नहीं लिया जाएगा कि उनके पास वह रुपया कहां से आया, वह सोना कहां से आया। यह चीज यह साबित करती है कि सरकार जानती यह है कि यहां टैक्स इवेज्जन होता है, यहां पर नाजायज प्राफिटीयरिंग होता है जिस का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। इसको जो हम रोक नहीं सके हैं, इसको मैं बाइसेइज्जत नहीं समझता हूं, बाइसेफ़्थ नहीं समझता हूं। हम को इस इवेज्जन को रोकना चाहिये। मैं चाहता हूं इस ओर पूरा ध्यान दिया जाए। इस में पूरी फर्मनैस पूरी मजबूती बरती जानी चाहिये। टैक्स इवेज्जन को रोका जाना चाहिये और टैक्स एरियार्ज को वसूल किया जाना चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान देश के मुख्तलिफ हिस्सों के इम्बैलेंस की ओर मुख्तलिफ हिस्सों की नाबराबरी की ओर दिलाना चाहता हूं। उनकी हालत एक जैसी नहीं है। खास तौर पर जब हम पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों को देखते हैं, शहरी आबादी और देहाती आबादी को देखते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा फर्क मालूम पड़ता है। जो मैदानी इलाके हैं वे पहाड़ी इलाकों की निस्वत बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। जहां तक शहरी आबादी और देहाती आबादी का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूंगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए तो यह जरूरी हो सकता है कि वे शहरों में लगे या कहीं और भी जहां लगेगी वहां बड़े बड़े शहर आबाद हो जायेंगे और इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, उनको हम गांवों में क्यों नहीं बखेर देते हैं, क्यों न उनको चलाये जाने का वहां इंसेंटिव दें। अगर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज गांव गांव में बिखर जायेंगी तो हमारी जो इकोनोमी है, वह भी बिखर जायेगी और इसका नतीजा यह होगा कि तमाम देश खुशहाल हो जाएगा। देहातों में जो बुरी हालत है, उसका सीधा सा प्रमाण वे झुग्गियां हैं, जो दिल्ली के आस पास नित्य बनती रहती है और जो सरकार के लिए भी परेशानी का बायस होती है। अगर आदमी के पास गांव में काम हो या उसके पास ज़मीन हो तो उसको छोड़ करके वह झुग्गियों में क्यों रहेगा, जहां पर उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि किसी वक्त भी उसकी झुग्गी को हटाया जा सकता है और किसी वक्त भी उसको खानाबदोश बन कर इधर उधर मारे मारे फिरना पड़ सकता है। वह इसी वास्ते शहर की तरफ आता है कि गांवों में करने के लिए उसके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। वहां पर रोजगार की सूतें पैदा करने के दो ही तरीके हैं, एक तो यह कि हम काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा तवज्जह दें और दूसरा यह कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को गांवों की तरफ ले जायें। हमारे सामने एक बड़ा सवाल फ़ारेन एक्सचेंज का भी है। हमारे सामने एक बड़ा सवाल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का भी है। इस के लिए जो हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे पास विंग इंडस्ट्रीज हैं वे बेशक हम रिजर्व कर दें ताकि बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट किया जा सके। लेकिन स्माल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज को उसके साथ साथ हम इस लेवल पर ले आयें कि वे देश के अन्दर की जो जरूरतें हैं, जो कंज्यूमर गुड्स की जरूरियात हैं, उनका बेस्तर हिस्सा, पूरा करें। यह मुश्किल नहीं होना चाहिये। कोशिश की जाए तो ऐसा हो सकता है। इससे जहां हैवी इंडस्ट्रीज पर, विंग इंडस्ट्रीज पर प्रेशर कम होगा वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को कारोबार भी मिल सकेगा।

मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों की मालों हालत में भी फर्क है और बहुत ज्यादा फर्क है। मैं पहाड़ी इलाके से आता हूं और उसी का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मेरे सामने मेरी अपनी रिश्तत जम्मू और काश्मीर हैं। उसके मुताल्लिक मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूं और आज फिर करना

चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पर कोई रेल लिफ्ट नहीं है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिये कोई खास साधन नहीं है। यहाँ पर एक मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लायमेंट की बनी हुई है। मैं जब कभी उसकी कंसलटेटिव कमेटी में जाता हूँ तो वहाँ पर जब लेबर का सवाल आता है तो मुझे खामोश रहना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर ही नहीं है, कोई फॅक्ट्रीज ही नहीं है, न स्माल स्केल और और न ही बिग स्केल। इस वास्ते उधर आपका ध्यान भी जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह भी है कि डिफेंस के सिलसिले में बहुत सी ऐसी चीज तैयार होनी हैं जो कि बड़ी आसानी से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में तैयार की जा सकती है। हमारी रियासत में भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम की जा रही हैं। वे बहुत बुरी हालत में हैं। वहाँ पर कोई कारोबार नहीं है। ऐसी सूरत में क्या यह मुमकिन नहीं है कि डिफेंस की आइटम्ज जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में बन सकती हैं, वे जम्मू काश्मीर की इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बनवाई जाय ताकि वहाँ पर भी लोगों को कारोबार मिले।

जब मैं काश्मीर का जिक्र करता हूँ तो मेरे सामने वे हालात आ जाते हैं जोकि १९४७ से ले कर आज तक पैदा होते रहे हैं। १९४७ में जो कुछ हुआ उसको कौन नहीं जानता है। काश्मीर पर जब हमला हुआ, उस वक्त लोगों ने क्या क्या मुसीबत उठाई, इससे सभी वाफिक हैं। उसके बाद १९५३ में शेख अबदुल्ला अन्तर् राष्ट्रीय साजिश के कारण देश विरोधी बने। और उससे लोगों में बहुत परेशानी आई। १९५४ या १९५५ में स्वर्गीय पंडित पन्त जी बड़ी कृपा करके काश्मीर गए थे, उन्होंने वहाँ एक हिस्टोरिक बयान दिया जिस से काश्मीर की गैरयकीनी पोजिशन खत्म हो गई और इससे लोगों में सकून आया। उन्होंने कहा कि काश्मीर का फैसला वहाँ की कंसिट्टुएंट असैम्बली कर चुकी है और वह फैसला अटल है, उसको बदला नहीं जा सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको बदल नहीं सकेगी। उनके इस बयान से वहाँ एक तबदीली आई, लोगों में सकून आया, लोगों में स्टैबिलिटी आई और आहिस्ता आहिस्ता काश्मीर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ने लगे। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं भाया कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अंग रहे, वहाँ पर अमन अमान हो, वहाँ पर लोगों को सकून हासिल हो। हिस्ट्री गवाह है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जितनी बार भी नैगोशिएशंस हुई हैं वे इसलिए टूटी हैं, इसलिए नाकाययाब रही हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि सुलह हो। यह खेल कई बार दोहराया गया है, कई बार यह हिस्ट्री दोहराई गई है। इस बार भी जब हमारे मित्र देशों ने हमें मजबूर किया और हमें सलाह दी कि हम पाकिस्तान के साथ सुलह न करें तो बजाय इसके कि हम पहले उन मित्र देशों के जरि से यह आश्वासन हासिल करते, यह एश्योरेंस लेते कि पाकिस्तान वाकई सुलह करना चाहता है, हम ने उससे गुफ्तोशनीद शुरू कर दी। इसके बाद क्या होता है? डान में एक खबर छपती है कि काश्मीर का वह इलाका जिसे पूंछ, राजौरी, नौशहरा कहा जाता है और कुछ दूसरे इलाके भी हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को देने की आफर दी है। यह खबर जब डान में छपती है तो बदकिस्मती से हमारे अखबार भी उसे कोट करने लग जाते हैं और इसका कोई कंट्रॉलेशन नहीं किया जाता है। इसका नतीजा होता है, कि जनता में परेशानी फैलती है और कारोबार ठप्प हो जाता है। इसका मैं जरा बाद में जिक्र करूंगा पाकिस्तान से जब रिफ्यूजीज आए तो उन्हें कम्पेंसेट किया गया, उनको रिहेबिलिटेड किया गया, इसको सारा सदन जानता है। लेकिन १९४७ और १९४८ के हमले के बाद जम्मू और काश्मीर के जो लोग रिफ्यूजी बने उन्हें कम्पेंसेट नहीं किया गया, उन्हें रिहेबिलिटेड नहीं किया गया। उन्हें रिफ्यूजीज तक तसव्वुर नहीं किया गया हालांकि उनकी परेशानियों की, उनकी मुसीबतों की भी लम्बी दास्तां हैं, लम्बी हिस्ट्री है। वह चीज भी एक लम्बी हिस्ट्री बन कर रह गई है। कोई भी आदमी समझ सकता है कि क्या वह जिन्दगी में दो बार रिफ्यूजी बन कर जिन्दा रह सकता है और अपने आप को दो बार रिहेबिलिटेड कर सकता है। एक बार काश्मीर के काफी लोग १९४७ में उजड़े। उन्होंने अपनी हिम्मत से काम किया और बख्शी गुलाम मुहम्मद की वजह से आबाद हुए, कारोबार शुरू किया। अब जब यह

[श्री गोपाल दत्त मेंगी]

पैनिक फैला तो इसकी वजह से उनका उन इलाकों में कारोबार ठप्प हो गया है। वे लोग इस पोजिशन में नहीं हैं कि दुबारा उजड़ने का खतरा मोल ले सकें। अजोब परेशानी की हालत में हैं, पैनिक उनमें फैला हुआ है, घबराये हुए वे हैं। मैं अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान के साथ अगर आप टाक्स जारी रखना चाहते हैं तो शौक से जारी रखिए, लोग परेशानी भी बरदाश्त कर लेंगे, लेकिन यह आश्वासन तो ले लीजिए कि पाकिस्तान सुलह चाहता है। देश का नुकसान हो और परिस्थिति में कोई सुधार न हो, मैं नहीं समझता हूँ कि यह कोई उचित नीति हो सकती है, यह कोई अच्छी नीति हो सकती है।

श्री विभूति मिश्र (गोतीहारी): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो आय व्यय का १९६३-६४ का लेखा पेश किया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूँ। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है आज उसकी भी समालोचना हो रही है। जब चीनी हमला हुआ और हिन्दुस्तान की थोड़ी क्षति हुई तो इस सदन में कहा जाता था कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, और सरकार लड़ाई करने के लिये तैयार नहीं है। लड़ाई बातों से नहीं होती है, हथियारों से होती है, पैसे से होती है, हिम्मत से होती है। उस संकट में बहुत छोटी सचिवालय हमारे वित्त मंत्री जी ने रखी कि हम बजट में इस साल फौज पर कुल मिला कर २७५ करोड़ रुपये ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आज कुल मिला कर हमारी फौज का खर्च ८६७ करोड़ रुपये होता है और डेवलपमेंट के ऊपर इस साल १२२६ करोड़ रुपये हमारे वित्त मंत्री जी ने खर्च करने का अनुमान लगाया है। इस खर्च को पूरा करने के लिये उन्होंने जो टैक्स लगाये हैं उनका विरोध होता है, और सबसे ज्यादा विरोध होता है सुपर टैक्स का। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि अगर सुपर टैक्स का विरोध होगा तो समर्थन किस टैक्स का होगा? एक मेरे मित्र हैं जिनका एक पक्के गांधीवादी से संबंध है, वह व्यापारी हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई, सुपर टैक्स का क्या असर होगा? उन्होंने बतलाया कि जिसका १ लाख ६० का मुनाफा होता था वह पहले ५० हजार ६० टैक्स देता था लेकिन अब जो उसका ५० हजार ६० बचा करता था उसमें से भी ६,००० ६० टैक्स का देगा। इसके माने यह है कि अब सुपर टैक्स ५६ हजार ६० हो जायेगा और ४४ हजार ६० उसको मिलेंगे। हमारे व्यापारी लोग कहते हैं कि उनके पास पूंजी नहीं रहेगी। आखिर हमारी सरकार पैसा ले रही है, लेकिन पैसा लेकर वह करेगी क्या? डेवलपमेंट पर खर्च करेगी, लड़ाई का सामान जुटायेगी। मैं बहुत अदब से अपने व्यापारियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यहां चाइना आ गया तो जिन गरीबों पर हमारे वित्त मंत्री जी ने टैक्स लगाया है, जो १ ६० के मालगुजार हैं, और जिनको ८ आ० अनिवार्य बचत योजना में देना पड़ेगा, उनका क्या नुकसान होगा? बुक्सान उन धनी आदमियों को होगा जो चाहे इस बेंच पर बैठे हों या उस बेंच पर बैठे हों। कम्प्यूनिस्टों की मार से तो वे जायेंगे, गरीबों का क्या जायेगा? फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत उदारता पूर्वक बहुत थोड़ा सा टैक्स लगाया है। मैं तो कहूँगा कि जो सुपर टैक्स उन्होंने लगाया है उसको थोड़ा और बढ़ायें, तब वे न्याय करेंगे, वरना न्याय नहीं करेंगे।

मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन कितना जबर्दस्त है। मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है :

“वर्तमान आपातकाल में अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता पर गोष्ठी”।

उसके चेयरमैन हैं श्री बी० टी० ठाकुर। उसमें कहा गया है:—

“विश्व में चीन तीसरी बड़ी सैनिक शक्ति है। लाखों व्यक्तियों को युद्ध कला में प्रशिक्षण दिया गया है। उनके पास ३००० से अधिक जेट विमान हैं गोरीला लड़ाई में वे पारंगत हैं। इस तरह के हमारे दुश्मन हैं और उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिये अगर थोड़ा सा टैक्स हमारे यहां लगा तो हमारे देश में चीख मचने लगी, लोग घबराने लगे, खास तौर से धनी आदमी। मैं इसे बरकर मानता हूँ कि जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनका कर थोड़ा कम किया जाय। सरकार किरोसिन

आयल का टैक्स छोड़ दे, गांवों में जो गरीब आदमी हैं जो कि १ रु०, २ रु०, ४ रु० मालगुजारी देते हैं, उन से जो बचत की रकम ले रहे हैं उसको छोड़ दें, तो अच्छा होगा। लेकिन अगर उसको छोड़ने की इच्छा न हो तब जहां तक चीन से लड़ने का सवाल है, मैं कहता हूं कि वे भी हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने शहर में रहने वालों पर बहुत कम टैक्स लगाया है। हमारे वित्त मंत्री जी पक्के गांधीवादी हैं। "लास्ट फेज" नामक पुस्तक में श्री प्यारे लाल ने गांधी जी का वयान निकाला है। गांधी जी ने कहा है कि शहर और गांव का बराबर का झगड़ा है। शहर चाहता है कि गांव को खा जाय। हमारे वित्त मंत्री जी ने शहर में १५०० रु० के बाद बचत लेने के लिए टैक्स प्रयोजन किया है। इसी तरह से जो रेंट में मिलेगा उस का ३ परसेंट लिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मुल्क के लिए शहर वाले क्या देते हैं? हम गल्ला पैदा करते हैं और वे सस्ते दाम पर हम से खाना चाहते हैं लेकिन टैक्स देने के वक्त वे भाग जाते हैं। गरीब लोग जो गांवों में बसते हैं उनके लड़के फौज में मारे जायें, वे फौज में जायें, गल्ला सस्ता दें और मालगुजारी अगर १ रु० देते हैं तो ८ आने बचत में दें, यह सब क्या है? आज हिन्दुस्तान में बड़े बड़े शहर जैसे कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, पटना आदि पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने शहर पर जो टैक्स लगाये हैं उन को कस कर लगायें।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार को इस वक्त पूरी तरह से ध्यानावस्थित रहना है क्योंकि हमारी विरोधी बेंचेज में जो कम्युनिस्ट भाई हैं, इस समय वे यहां पर हैं नहीं, उन के दो पक्ष हो गये हैं। एक तो कहता है कि वे प्रो जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरा पक्ष है उन का जो जेल खाने में बन्द हैं, या न भी बन्द हों, वे हमारी सरकार के खिलाफ जवर्दस्त तरीके से और इस ताक में हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार कब कमजोर पड़े और उस के ऊपर वे हमला कर दें। मैं अपने जिले में गया मैंने देखा कि हमारे वित्त मंत्री ने जो टैक्स लगाये हैं उन का वे कम्युनिस्ट भाई विरोध करते हैं। खुले आम विरोध नहीं करते हैं, लुके छिप कर करते हैं। समझते हैं कि जनता हमारे खिलाफ है और जनता के बीच में वे सफलता नहीं प्राप्त करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप भी प्रचार करेंगे, कुछ दिनों बाद ।

श्री विभूति मिश्र : जरा सुनिये, साहब, चीन जो है वह अपने उत्पादन का २१.८ फी सदी फौज पर खर्च करता है, यू० एस० ए० ११.५ खर्च करता है, इंग्लैंड ८.४ खर्च करता है, फ्रांस ८.६ खर्च करता है, कनाडा ७.१ खर्च करता है। इस बार हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट रक्कबा है उस में हम ६ फी सदी खर्च करने जा रहे हैं अपनी फौज पर। जो २१.८ फी सदी खर्च करता है उस चीन के पास तीन हजार से ज्यादा जेट फाइटर्स हैं, जो कि रोज एक जेट फाइटर पैदा करता है, उस का मुकाबला हम कैसे करेंगे? कुछ भाइयों ने कहा कर्ज ले कर। मैं कहता हूं कि कर्ज के बोझ से मर जाओगे, कितना कर्ज लोगे। कुछ अपने पैर पर भी खड़े हो।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी का जो बजट है वह बड़ा दुरुस्त है। बल्कि जो उन्होंने १५०० रु० के ऊपर सेविंग में रुपया लेने की बात कही है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि १२०० रु० पर सेविंग लेनी चाहिये और हो सके तो ६०० रु० पर सेविंग लेनी चाहिये। शहर के मजदूर गांवों के किसानों से कहीं बैटर आफ हैं। आज गांव उजाड़ होते जाते हैं। गांव के लोग शहरों में जाते हैं क्योंकि वहां अधिक मजदूरी मिलती है, गांवों में अधिक मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस टैक्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ायें, यदि हम को चाइना का मुकाबला करना है। आज मैं नहीं देखता हूं कि इस सदन में लोगों के दिलों में जलती हुई आग है कि हम चाइना का मुकाबला करें। बल्कि असलियत यह है कि हर आदमी चाहता है कि टैक्स घट जाय, टैक्स घट जाय। अगर हम टैक्स छुड़ा लेंगे तो सड़ाई कैसे होगी? हम सामान किस प्रकार

[श्री विभूति मिश्र]

खरेंदेंगे ? आप को तो तारीफ करनी चाहिये कि हमारे वित्त मंत्री जी कितनी हिम्मत के साथ बजट लाये हैं । लेकिन हमारे भाई वित्त मंत्री जी की तारीफ करने के बजाय कहते हैं कि वे यह टैक्स लाये, वह टैक्स लाये । खास तौर से हमारे घनी भाई जो सारे हैं वे गजब ढा रहे हैं । वे बोल रहे हैं कि सुपर टैक्स न लगाइये । अगर सुपर टैक्स हट गया तो सारे बजट का एसेन्स ही चला गया । तब इस बजट में रहा क्या ? मैं घनी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अगर चीन आ गया तो जो गांव वाले हैं, जो दो बीघा या चार बीघा जोतने वाले हैं, उन का क्या नुक्सान होगा ? नुक्सान होगा जो कारखानेदार हैं उन का, जो मोटर में चढ़ते हैं, जो एअर कंडिशनड मकानों में रहते हैं ।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के खर्च में भी कमी करें, मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार अपने हाथ में लीडरशिप ले । जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, जो गर्मी के दिनों में अपने घरों में एअर कंडिशन में रहते हैं, जो उन के यहां फर्निशड दफ्तर हैं, बंगले हैं, उन को भी वे खत्म करें, तब तो मालूम होगा, साहब, कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं । नहीं तो हम यों ही कहते रहते हैं कि हम लड़ाई के लिये तैयार हैं, लेकिन अपने आरामों में भी कमी करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

इस के बाद मैं एक बात हिन्दी के बारे में कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी हिन्दी के पक्षपाती हैं । मैं चाहता हूँ कि जिस स्टेट की जो भाषा है उस भाषा में वहां का काम चले । अगर सेंटर में दिक्कत हो तो अंग्रेजी चल सकती है । लेकिन हम देखते हैं कि इस देश में २ फी सदी अंग्रेजी जानने वाले हैं और वह २ फी सदी अंग्रेजी जानने वाले चाहते हैं कि देश में उन का साम्राज्य कायम रहे । अगर कोई यह कहे कि अंग्रेजी जानने वाले ज्यादा अच्छी तरह से शासन कर सकते हैं, तो मैं इस को नहीं मानता । अगर सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले ही अच्छे तरीके से शासन कर सकते हैं तो मैं आप को बतलाता हूँ कि मद्रास के मुख्य मंत्री श्री कामराज नादर हैं । श्री रणवीर सिंह ने मुझे बतलाया है कि मद्रास की सरकार ने डेढ़ लाख पम्पिंग सेट लगा दिये हैं । और सारे हिन्दुस्तान का मिला कर डेढ़ लाख नहीं होगा ।

आप कहेंगे कि अंग्रेजी जानने वाले अच्छा शासन करते हैं । यह कोई बात नहीं है । रंजीत सिंह और शिवाजी अंग्रेजी नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने कितना अच्छा शासन किया ।

एक माननीय सदस्य : उस वक्त अंग्रेजी स्कूल नहीं थे ।

श्री विभूति मिश्र : अंग्रेजी नहीं थी तो उर्दू थी, दूसरी भाषाएं तो थीं । मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के हर राज्य का कारोबार उस राज्य की भाषा में किया जाये । सेंटर में अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अंग्रेजी को रहने दिया जाये । हमारे मौलाना आजाद मिनिस्टर थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन उस के बाद वह परम्परा चली गयी । यहां पर अंग्रेजी जानने वालों का राज हो गया । मैं ने सिलेक्ट कमेटी के सामने यह बयान दिया है कि अंग्रेजी जानने वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं । वे सरटिफिकेट ले लेते हैं और समझते हैं कि हम शासन कर सकते हैं चाहे उन को काम करना आवे या न आवे ।

श्री कृष्णराय (देवास) : और इस में अपनी शान समझते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : आप बैठिए, हमीं काफी हैं कहने के लिए ।

मैं आगे एक बात और कहना चाहता हूँ । किसानों के लिए कम से कम इतना कर दीजिए कि जो उन का सामान पैदा हो उस की उन को फेरर प्राइस मिले । अब इस बारे में थोड़ी सी चर्चा

तो होने लगी है। मैं इस सभा का १२ वर्ष से सदस्य हूँ। अब देखता हूँ कि स बारे में कुछ चर्चा होने लगी है कि किसानों को उन की पैदावार का उचित दाम दिया जाये। ऐसा करने के बाद ही किसानों में इंसेंटिव पैदा होगा। देश की पचास फीसदी आय खेती से होती है। अगर किसानों को इंसेंटिव दिया जाय तो हमारी यह आय दूनी हो सकती है। इस सम्बन्ध में मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, अगर उन सब को आप के सामने रखूँ तो मेरा सारा समय निकल जायगा लेकिन सरकार के कामों के कारण भी किसानों के काम में बाधा पहुंची है।

वित्त मंत्री ने राज्य सभा में उत्तर देते हुए कहा कि हम प्रीवी पर्सन को खत्म नहीं कर सकते। इस का एक खास कारण है। मैं वित्त मंत्री जी से बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में परमानेंट सेंटिलमेंट था, लेकिन वहां जमींदारी को तोड़ने में तो उन को जरा भी देरी नहीं लगी। वह भी तो सरकार के साथ एक कमिटमेंट था। आप ने कराची के कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर यह पवित्र निर्णय लिया था कि हम किसानों की मालगुजारी को कम करेंगे लेकिन उस पवित्र प्रस्ताव को आप नहीं निभा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आप इस प्रकार के कंट्राडिक्टरी बयान क्यों देते हैं।

मैं चाहता हूँ कि सैलरीज पर सीलिंग कायम कर दी जाय कि कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी सैलरी किसी को मिलनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा देश में समाजवाद नहीं आयगा। वित्त मंत्री जी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम ने त्याग और तपस्या की है। हमारे ऐसे साथी अभी जिन्दा हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए लगा दिया। लेकिन उसके बल पर अधिक दिनों तक काम नहीं चल सकता। जब तक सरकार समाजवाद नहीं लायगी तब तक लोगों में उत्साह नहीं पैदा होगा। आज आप एक आदमी को चार हजार तनखाह देते हैं यह कह कर कि ये पुराने आई० सी० एस० के आदमी हैं और इस के लिए हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट है और दूसरी तरफ आप एक आदमी को ५० रुपये देते हैं। तो यह ८० गुना का फर्क हो जाता है।

एक बात मैं आप को और बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं ने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिस में लिखा था कि आई० ए० एस० की सरविस में ७० फीसदी उन्हीं लोगों के लड़के जाते हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं या जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं और बाकी तीस प्रतिशत में बाकी लोग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार हिन्दुस्तान का राज थोड़े से बड़े लोगों के हाथों में है। मैं इस बात की सत्यता के बारे में चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस अवस्था में हमारी डिमांडेंसी कहां गयी। गांधी जी चाहते थे कि दिल्ली की गंगा गांवों में जाय। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज दिल्ली की गंगा गांवों में न जा कर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लटकी हुई है। मैं सरकार को बार्निंग देता हूँ कि अगर आप ने देश में समाजवाद का प्रसार न किया तो देश में क्षोभ पैदा होगा और हम को उस का नतीजा भुगतना होगा। यह कोई ठंडी बात नहीं है, यह गर्म बात है, लोग इस को कहते हैं।

एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। हम लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं संयोग से पार्लियामेंट के मेम्बर भी हैं। हम चाहे अपने घर पर रहें या दिल्ली में, हमारे पास रोज पत्र आते हैं लोगों के कि हम बेकार हैं हमारी बेकारी दूर कीजिए। मैं ने एक किताब पढ़ी है, गन्यर की लिखी हुई, "इनसाइड रशिया"। उस में लिखा है कि वहां लड़कों को पढ़ने के लिये पैसा दिया जाता है और वहां कोई बेकारी नहीं है। लेकिन हमारे यहां बेकारों की संख्या बहुत बढ़ती जाती है। अगर बेकारी का मसला हल नहीं होता है तो हमारे खिलाफ असंतुष्ट लोगों का एक वर्ग पैदा हो जायगा। हम को इस का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समस्या को हल करें।

अन्त में मैं एक बात और बतला देना चाहता हूँ। हमारी सरकार शिक्षा के लिए जाति पांत के आधार पर छात्रवृत्तियां देती है। मैं चाहता हूँ कि ये छात्रवृत्तियां जाति पांत के आधार पर न दी जा कर गरीबी के आधार पर दी जाय करे। हमारे प्रधान मंत्री जी बिहार गए थे और वहां उन्होंने

[श्री विभूति मिश्र]

अपने भाषण में कहा कि बिहार में जाति पांत बहुत जबरदस्त है। मैं पूछता हूँ कि क्या सेंटर में जातिपांत का लिहाज नहीं रखा जाता। मैं चाहता हूँ कि ये छात्रवृत्तियाँ गरीबी के आधार पर दी जाया करें न कि जाति पांत के आधार पर। बिहार में गरीबी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री उस का सुधार करें। वे मजबूत आदमी हैं ऐसा कर सकते हैं।

इतना ही कह कर मैं चेयरमैन साहब आप को धन्यवाद देता हूँ।

†श्री फोया (कोझीकोडे) : आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए वित्त मंत्री चिन्तित हैं। तभी उन्होंने इतने कर लगाए हैं। करों को लगाते समय वित्त मंत्री को लोगों का, विशेषतः गरीब लोगों की इन अतिरिक्त भारों के सहने की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी कर लगाए हैं। इन करों से वेतन वाले लोगों और गरीब लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा है। मिट्टी का तेल निर्धन रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब करों के कारण गरीब कर्मचारियों और किसानों के मासिक खर्च दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। अनिवार्य बचत योजना का भी गरीब तथा निम्न श्रेणी के मध्यम वर्ग के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

देश के सभी भागों का बराबर विकास होना चाहिए। योजनाएं इस प्रकार से तैयार की जानी चाहियें कि हम देश में एकरूपी तथा संतुलित प्रकार के विकास को पूरा कर सकें। इस समय स्थिति भिन्न है। केरल राज्य बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां कृषि संबंधी जो संसाधन उपलब्ध हैं उन सब का पूरा प्रयोग किया जा चुका है। उस राज्य का विकास औद्योगिक विकास से हो हो सकता है। वहां सरकारी क्षेत्र में उद्योग नहीं खोले गए हैं। उस राज्य के प्रविविध, आर्थिक पर्यवेक्षण के अनुसार, केरल में आर्थिक विकास के लिए अगले १० वर्षों में १००० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। शिक्षित बेकार युवकों को रोजगार देने की समस्या का समाधान करने के लिए उस राज्य का औद्योगीकरण आवश्यक है। इस काम में तभी प्रगति हो सकती है जब केन्द्रीय सरकार सहायता दे, क्योंकि राज्य के अपने संसाधन बहुत कम हैं।

मद्यनिषेध की नीति का परित्याग नहीं किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री की यह नीति प्रशंसनीय है। मद्यनिषेध से निर्धन लोगों को लाभ होगा। इस नीति को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि ऐसा करने से राजस्व में वृद्धि होगी। यह तो हमारे संविधान के अनुसार है। सरकार को मद्यनिषेध उन क्षेत्रों पर भी लागू करना चाहिए जहां अभी तक लागू नहीं है।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : आयव्ययक न केवल आपात की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परन्तु समाज के एक समाजवादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य को और यह एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोरारजी देसाई भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के इतिहास में दो बातों के लिए याद किये जायेंगे।

सब से पहले सोने की कदर उन्होंने कम कर दी है। यह तो बाकी धातुओं की तरह हो गया है। इस कदम से भारत की अर्थ-व्यवस्था मजबूत बनाने में काफी सहायता मिलेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मोरारजी देसाई स्वर्ण का राष्ट्रीयकरण करेंगे।

दूसरी नई चीज जो वित्त मंत्री ने चालू की है वह अनिवार्य बचत योजना है। यह एक बहुत प्रभावकारी उपाय है जिस से हम मुद्रास्फीति को रोक सकेंगे तथा उस का हमारी अर्थव्यवस्था पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि लोगों पर कर न लगाये जायें और हमें अपने विदेशी मित्रों की सहायता पर निर्भर रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आत्मसम्मान को धक्का लगेगा। हमें स्वयं अपना भार सहन करना चाहिए। और दान स्वीकार करने वाली बात का सहन नहीं करना चाहिए। भारत दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखेगा।

मुझे यह देख कर बहुत ही खेद हुआ कि साम्यवादी दल ने सरकार की स्वर्ण नीति का विरोध किया है। आशा यही थी कि साम्यवादी दल कराधान प्रस्तावों का समर्थन करेगा, परन्तु इसमें भी निराशा हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कर प्रस्ताव बहुत घबरा देने वाले हैं। स्वयं वित्त मंत्री ने हा है कि इस प्रकार = र किसी भी वित्त मंत्री ने संसार भर में प्रस्तुत नहीं किये। यह सब ठीक है, परन्तु इस समय प्रश्न तो चीनी हमले का मुकाबला करने का है। यह जो भार राष्ट्र पर पड़ा है, यह गरीब और अमीर दोनों पर पड़ा है। चीन की चुनौती का सामना करने के लिये हरेक को यह भार प्रसन्नता पूर्वक वह न करना है। यह बात गलत है कि इन आयव्ययक प्रस्थापनाओं से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी। इस प्रकार के आपातकालीन अवसरों पर ये अनिवार्य बचत अधिलाभ कर वाली बातें की ही जाती हैं।

इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मिट्टी के तेल पर शुल्क बहुत अधिक है। मैं इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्तर निर्धारित किये जायें। मूल्यों को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही राजस्व का कम और व्यय का अधिक अनुमान लगाने की आवश्यक प्रक्रिया को अब छोड़ देना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं वित्त मंत्री महोदय की कठिनाइयों को समझता हूँ। उनके ऊपर भारी उत्तरदायित्व है। मुझे इस बात का भी अहसास है कि क्यों इतने भारी कर लगाये गये हैं। परन्तु इन सब के होते हुए मुझे तो केवल एक ही बात कहनी है कि सरकार को इस उद्देश्य से तुरन्त कदम उठाने चाहिये कि मूल्यों में वृद्धि न हो। शायद आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मूल्यों में असाधारण तौर पर वृद्धि हो रही है। सरकार यह बताये कि इस दिशा में भारत की रक्षा : नून के अन्तर्गत क्या पग उठाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जो लाखों सुनार बेकार हुए हैं, उनके लिये कोई काम की व्यवस्था हो जायेगी, परन्तु सरकार उन लोगों पर हाथ क्यों नहीं उठाती जिन्होंने काफी सोना इकट्ठे र रखा है। दिल्ली में तो एक व्यक्ति को ४७,००० गैलन मिट्टी के तेल को इकट्ठे किये हुए पकड़ा गया। पता नहीं क्या हो रहा है अतः कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिये।

बकाया करों की यहां तक बात है, ३१ दिसम्बर, १९६२ को बकाया राशि १८३.४२ करोड़ की थी; दानकर १६.६१ लाख की और धनकर की २,१८,८७,००० की थी। केवल कानपुर में बिक्रीकर की बकाया राशि २१ लाख रुपये है। यह रकम क्यों इकट्ठी नहीं कर ली जाती। राज्यों में कर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये कदम उठाये जायें। हमारे यहां सम्मिलित अर्थ व्यवस्था है। गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में अलग अलग काम हो रहा है, अतः निवेदन यह है कि सभी बड़े बड़े समवायों के मामले की 'विवियन बोस' जांच आयोग जैसा आयोग जांच करे। मेरा यह भी कहना है कि प्रतिरक्षा उत्पादन का कार्य गैर सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाना चाहिये।

हमें अपने साधन बढ़ाने चाहिये, इस दृष्टि से, बैंक, सामान्य बीमा, कोयला खानों, और यदि सम्भव हो तो चीनी उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। डालमिया जैन समवाय को भी सरकार को अपने हाथ में कर लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि गैर सरकारी सारथों को आयात और निर्यात के लिये लाइसेंस काफी जांच पड़ताल के बाद दिया जाय। अभी हाल में ही राज्य व्यापार निमग के द्वारा ईरान से मेवे के आयात के लिये लाइसेंस दिल्ली में एक अज्ञात व्यक्ति को दिया गया है। मिट्टी के तेल और तम्बाकू पर लगाये गये शुल्क पर पुनर्विचार किया जाये

इसके पश्चात् लोक-सभा १५ मार्च, १९६३/ २४ फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

(गुरुवार, १४ मार्च, १९६३)
 २३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

विषय

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

१६५३-७७

तारांकित

प्रश्न संख्या

३८८	घूम्रपान में वृद्धि	१६५३-५५
३८९	सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को कम करना	१६५५-५८
३९०	कीटाणु नाशक पदार्थ	१५५८-५९
३९१	ब्रह्मपुत्र में बाढ़ें	१६५९-६२
३९२	भांडागार रसीदों की जमानत पर बैंकों द्वारा ऋण	१६५२-६३
३९३	आयात बोर्ड	१६६३-६५
३९४	केन्द्रीय मंत्रियों को निःशुल्क पानी तथा बिजली	१६५५-७१
३९५	सुपर चम्बल भाखड़ा 'ग्रिड'	१६७१-७२
३९६	देश की बिजली की आवश्यकता	१६७२-७४
३९७	राजधानी में अनधिकारवासी	१६७६-७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

१६७७-१७८१

तारांकित

प्रश्न संख्या

३९८	श्रीषध निर्माण संबंधी सर्वेक्षण	१६७७-७८
३९९	मक्खन निकाला हुआ दूध	१६७८
४००	अन्तर्राष्ट्रीय नेत्रविज्ञान कांग्रेस	१६७८-७९
४०१	पोंग बांध परियोजना	१६७९
४०२	राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजनाय	१६७९-८१
४०३	जीवन बीमा निगम से आवास ऋण	१६८१
४०४	ए कीकृत विद्युत 'ग्रिड'	१६८१-८२
४०५	'यूनीटेक' से जीप	१६८२-८३

विषय

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

प्रश्न संख्या

४०६	दिल्ली में भूमिगत जल	१६८३
४०७	राज्य विद्युत बोर्डों के प्रधानों का सम्मेलन	१६८३-८४
४०८	घग्घर नदी की बाढ़	१६८४

अतारांकित

प्रश्न संख्या

७३३	पुनर्वास कार्य	१६८५
७३४	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	१६८५
७३५	केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में पलंगों की संख्या	१६८५-८६
७३६	कैंसर अस्पताल	१६८६-८७
७३७	सामान्य डाक्टरों की जांच का अस्पताल	१६८७
७३८	उड़ीसा में तलचेर विद्युत केन्द्र	१६८७
७३९	बम्बई में विद्युत करघों के मालिक	१६८७-८८
७४०	स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड के प्रधान	१६८८
७४१	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	१६८८-८९
७४२	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पंखे के लिये अग्रिम-धन	१६८९
७४३	चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों के लिये पुरस्कार	१६८९
७४४	हस्तिनापुर नगर का विकास	१६८९-९०
७४५	इंग्लैंड के बैंक रेट में कमी	१६९०
७४६	होम्यो पथिक संस्थायें	१६९०-९१
७४७	सेना कर्मचारियों को शुल्क रहित सिगरेटें	१६९१
७४८	भारत सेवक समाज	१६९१
७४९	मनीपुर में लोक निर्माण विभाग की शाखायें	१६९१-९३
७५०	रीवां और रायपुर में मेडिकल कालेज	१६९३
७५१	जबलपुर में कैंसर अस्पताल	१६९३-९४
७५२	केरल में कोराही में सरकारी मुद्रणालय	१६९४
७५३	बैंक आयफ चाइना का बन्द होना	१६९४-९५
७५४	दिल्ली-संघ राज्य-क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी	१६९५
७५५	कलकत्ता में घड़ियों का पकड़ा जाना	१६९५
७५६	न्यू एशियाटिक इंशोरेंस कम्पनी	१६९६

विषय

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारंकित

प्रश्न संख्या

७५७	मनीपुर से चिकित्सा छात्र	१६६६-६७
७५८	लुंकादनसर को पीने का पानी	१६६७
७५९	बम्बई का सीमाशुल्क विभाग	१६६७-६८
७६०	बन्देल बिजली घर	१६६८
७६१	दन्त चिकित्सालय	१६६९
७६२	अजय घाटी विकास योजना	१६६९
७६३	'पी' फार्म	१६६९-१७००
७६४	औषधि प्रविधिक मंत्रणा बोड	१७००
७६५	रेंड बांध	१७००
७६६	मलरिया संस्था, नई दिल्ली	१७००-०१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७०१

- (१) दामोदर ाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, वर्ष १९६३-६४ के लिये दामोदर घाटी निगम के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति ।
- (२) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१-६२ के लिये दामोदर घाटी निगम की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति ।
- (३) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत, दिनांक, ८ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७४ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (चौथा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश १७०१

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने अपनी ८ मार्च, १९६३ की बैठक में श्री मु० वि० भार्गव के समुद्री बीमा विधेयक १९६३ को पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया १७०२

सचिव ने श्री एम० पी० भार्गव के समुद्री बीमा विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखा ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

१७०२-४६

सामान्य आय व्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १५ मार्च, १९६३/२४ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावाली

सामान्य आय व्ययक, १९६३-६४ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा और गैरसरकारी सदस्यों के संकल्प पर विचार ।

विषय-सूची—जारी

श्री गोपाल दत्त मेंगी .	१७३६—४०
श्री विभूति मिश्र .	१७४०—४४
श्री कोया	१७४४
श्री अ० ना० विद्यालंकार	१७४४—४५
श्री स० मो० बनर्जी .	१७४५—४६
दैनिक संक्षेपिका	१७४७—५०

१९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।
